PERFECT 7

FORTNIGHTLY CURRENT AFFAIRS

जनवरी 2022 / Issue-2

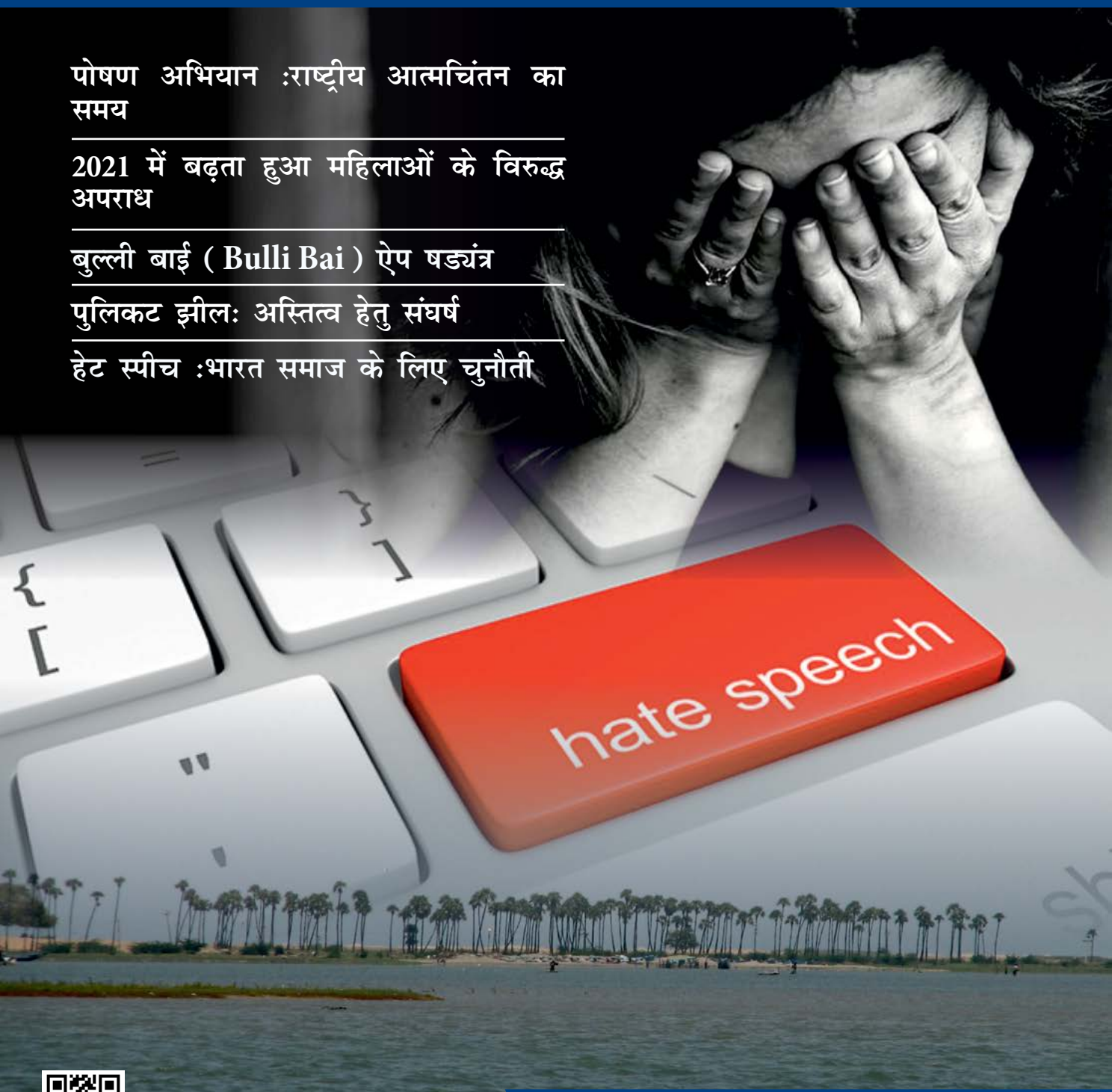

पोषण अभियान :राष्ट्रीय आत्मचिंतन का समय

2021 में बढ़ता हुआ महिलाओं के विरुद्ध अपराध

बुल्ली बाई (Bulli Bai) ऐप षड्यंत्र

पुलिकट झील: अस्तित्व हेतु संघर्ष

हेट स्पीच :भारत समाज के लिए चुनौती

dhyeyaias.com

ध्येय IAS
most trusted since 2003

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

UK PSC PRELIMS 2022 TEST SERIES PROGRAMME

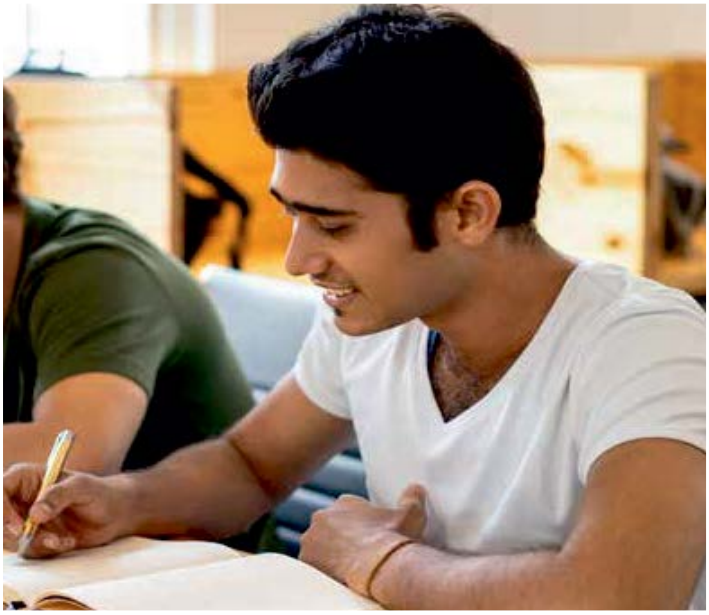

ONLINE ₹ 2,500/-
(Including GST)

STARTS FROM: 23rd JANUARY, 2022

TEST-01	TEST-02	TEST-03
23 JANUARY, 2022	**30 JANUARY, 2022**	**6 FEBRUARY, 2022**
TIMING : 10:00 AM - 12:00 PM	TIMING : 10:00 AM - 12:00 PM	TIMING : 10:00 AM - 12:00 PM
General Studies Full Length Mock Test	General Studies Full Length Mock Test	General Studies Full Length Mock Test

TEST-04	TEST 5, 6	TEST 7, 8
13 FEBRUARY, 2022	**20 FEBRUARY, 2022**	**27 FEBRUARY, 2022**
TIMING : 10:00 AM - 12:00 PM	TIMING : 10:00 AM - 12:00 PM	TIMING : 10:00 AM - 12:00 PM
General Studies Full Length Mock Test	General Studies Full Length Mock Test	General Studies Full Length Mock Test
	TIMING : 02:00 PM - 04:00 PM	TIMING : 02:00 PM - 04:00 PM
	CSAT	CSAT

www.dhyeyaias.com

9205274741/42/44

Director's Message

Mr. Vinay Kumar Singh

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धति में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है। साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

Yours very truly,

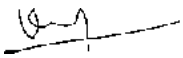

Vinay Kumar Singh
CEO and Founder

Mr Q H Khan

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहां छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

Yours very truly,

Q H Khan
Managing Director

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

MP PSC PRELIMS 2022 TEST SERIES PROGRAMME

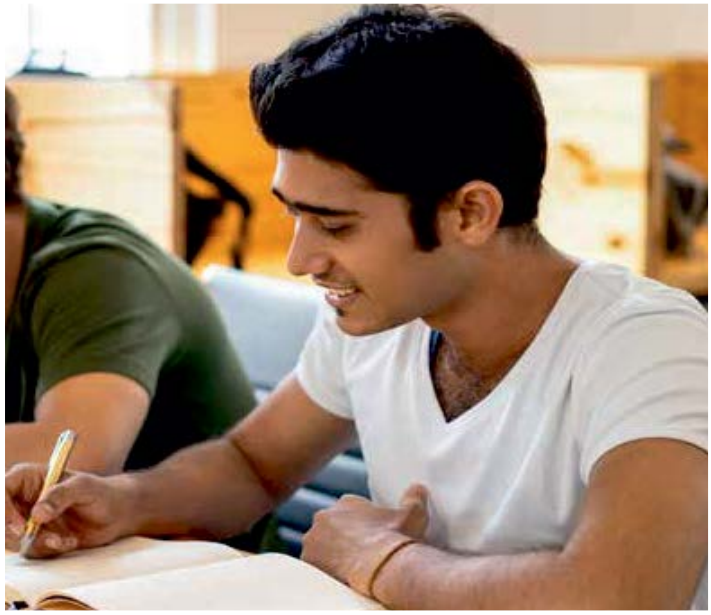

ONLINE ₹ 2,500/- (Including GST)

STARTS FROM: 30th JANUARY, 2022

TEST-01	TEST-02	TEST-03	TEST-04
30 JANUARY, 2022	6 FEBRUARY, 2022	13 FEBRUARY, 2022	20 FEBRUARY, 2022
TIMING : 10:00 AM - 12:00 PM	TIMING : 10:00 AM - 12:00 PM	TIMING : 10:00 AM - 12:00 PM	TIMING : 10:00 AM - 12:00 PM
General Studies Full Length Mock Test	General Studies Full Length Mock Test	General Studies Full Length Mock Test	General Studies Full Length Mock Test

TEST-05	TEST-06	TEST-07	TEST-08
27 FEBRUARY, 2022	6 MARCH, 2022	13 MARCH, 2022	27 MARCH, 2022
TIMING : 10:00 AM - 12:00 PM	TIMING : 10:00 AM - 12:00 PM	TIMING : 10:00 AM - 12:00 PM	TIMING : 10:00 AM - 12:00 PM
General Studies Full Length Mock Test	General Studies Full Length Mock Test	General Studies Full Length Mock Test	CSAT

TEST-09	TEST-10	TEST-11+12
3 APRIL, 2022	10 APRIL, 2022	17 APRIL, 2022
TIMING : 10:00 AM - 12:00 PM	TIMING : 10:00 AM - 12:00 PM	TIMING : 10:00 AM - 12:00 PM
General Studies Full Length Mock Test	General Studies Full Length Mock Test	General Studies Full Length Mock Test
		TIMING : 02:00 PM - 04:00 PM
		CSAT

www.dhyeyaias.com

9205274741/42/44

प्रस्तावना

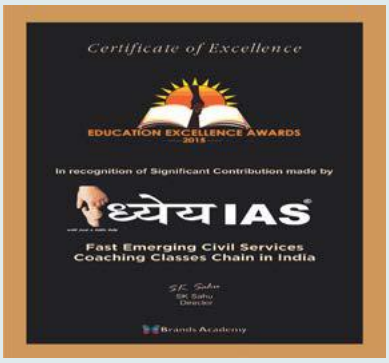

समसामयिक मुद्दे अथवा करेंट अफेयर्स संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण स्थान रखता है. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर प्रासंगिक सूचनाओं से जुड़ाव होना अभ्यर्थियों के लिए काफी जरूरी समझा गया है और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए परफेक्ट 7 मैगजीन को विद्यार्थी जगत के समक्ष माह में दो बार रखा जा रहा है. आईएस और पीसीएस की तैयारी तभी पूर्ण मानी जाती है जब प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू स्तर की गतिशील प्रकृति के तथ्यों और विश्लेषणों को आप सभी तक समावेशी रूप में रखा जाय. परफेक्ट 7 मैगजीन इसी विजन और दृष्टिकोण को ध्यान में रखती है और विद्यार्थियों की कंटेंट के स्तर पर बहुआयामी जरूरतों को समझती है. इसीलिए इस मैगजीन को करेंट अफेयर्स के साथ साथ सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण खंडों से जुड़े अति प्रासंगिक कंटेंट के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है. एक तरफ जहां करेंट अफेयर्स के स्तर पर सबसे पहले मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 7 ज्वलंत विषयों पर समसामयिक लेखों को, पेपर 4 के लिए एथिक्स की केस स्टडीज को, स्वतंत्रता आंदोलन और अन्य क्षेत्रों से जुड़े व्यक्तित्वों के जीवन और भूमिक. ाओं, सामान्य अध्ययन के विविध खंडों के सर्वाधिक उपयोगी विषयों पर मुख्य परीक्षा के स्तर पर कवरेज दिया जा रहा है, वहीं प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर एक माह के 14 सबसे महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के मुद्दों को कवर किया जा रहा है जिसमें सर्वाधिक जोर पर्यावरण पारिस्थितिकी, कला और संस्कृति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी , अर्थव्यवस्था के मुद्दों पर है. शब्दावली और अन्य आयामों एक छोटा खंड भी परफेक्ट 7 मैगजीन का पार्ट होगा.

विद्यार्थियों की संकल्पना के स्तर पर समझ को बढ़ाने के लिए ब्रेन बूस्टर्स को 7 ग्राफिक्स के जरिये विषय को संक्षेप और सारगर्भित रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है. इसके अलावा सिविल सर्विसेज की परीक्षा में प्रमुखता से पूछे जाने वाले ग्लोबल इनिशिएटिव्स, वैश्विक संस्थाओं, संगठनों की संरचना, कार्यप्रणाली, महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स, सूचकांकों पर अपडेटेड जानकारी इस पत्रिका में शामिल रहेगी. इस मैगजीन को केवल तथ्यों या केवल एनालिसिस पर जोर देते हुए नही बनाया गया है बल्कि इस मैगजीन का विजन यह है कि सिविल सेवा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के उभरते हुए ट्रेंड्स और प्रश्नों की नई प्रकृति को देखते हुए हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को एक ऐसी समावेशी मैगजीन उपलब्ध कराई जाए जिससे वे सिविल सेवा एग्जाम की नई जरूरतों को समझते हुए अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकें. हमें उम्मीद हैं कि परफेक्ट 7 अपने नए रूप में आप लोगों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा और इसके साथ ही आप सभी के सुझावों का स्वागत रहेगा.

विनय कुमार सिंह
सम्पादक
ध्येय **IAS**

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

PERFECT 7 TEAM

संपादक · विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक · क्यू. एच. खान
सहसंपादक · गौतम तिवारी
उप-संपादक · आशुतोष मिश्र
· सौरभ चक्रवर्ती
प्रकाशन प्रबंधक · डॉ.एस.एम.खालिद
संपादकीय सहयोग · प्रिंस कुमार, गौरव चौधरी, देवेंद्र सिंह, मृत्युंजय त्रिपाठी, लोकेश शुक्ल
मुख्य लेखक · विवेक ओझा
मुख्य समीक्षक · ए.के श्रीवास्तव
· विनीत अनुराग
· बाघेन्द्र सिंह
आवरण सज्जा एवं विकास · प्रगति केसरवानी
· पुनीष जैन
टंकण · सचिन
· तरून
कार्यालय सहायक · राजू, चन्दन, अरुण

साभार : PIB, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, जनसत्ता, दैनिक जागरण, डाउन टू अर्थ, इकनोमिक एंड पोलिटिकल वीक्ली, योजना, कुरुक्षेत्र, द प्रिंट

DHYEYA EDUCATIONAL SERVICES PVT. LTD.
AN ISO 9001:2008 COMPANY

Face to Face Centres

MUKHERJEE NAGAR : 9205274741, 9205274742
RAJENDRA NAGAR : 9205274743
LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002
ALLAHABAD : 0532-2260189, 8853467068
LUCKNOW (ALIGANJ) : 0522-4025825, 9506256789
LUCKNOW (GOMTINAGAR) : 7234000501, 7234000502
GREATER NOIDA : 9205336037, 9205336038
KANPUR : 7887003962, 7897003962
BHUBANESWAR : 8599071555
SRINAGAR (J&K) : 9205962002

PERFECT 7

FORTNIGHTLY CURRENT AFFAIRS

विषय सूची

समसामयिक लेख ———————— 1-16

- पोषण अभियान :राष्ट्रीय आत्मचिंतन का समय
- 2021 में बढ़ता हुआ महिलाओं के विरुद्ध अपराध
- बुल्ली बाई (Bulli Bai) ऐप षड्यंत्र
- पुलिकट झील: अस्तित्व हेतु संघर्ष
- हेट स्पीच :भारत समाज के लिए चुनौती
- चुनाव कानून (संशोधन) विधयेक 2021
- इथियोपिया में गहराता गृहयुद्ध

संक्षिप्त मुद्दे राष्ट्रीय ---------------------------------- 17-19

संक्षिप्त मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय ---------------------------------- 20-21

संक्षिप्त मुद्दे पर्यावरण ---------------------------------- 22

संक्षिप्त मुद्दे विज्ञान एवं तकनीक -------------------------- 23-24

संक्षिप्त मुद्दे आर्थिक ---------------------------------- 24-25

राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाओं की महत्वपूर्ण खबरें --------- 26-28

समसामयिक घटनाएं एक नजर में ------------------------ 29

ब्रेन बूस्टर -- 30-36

समसामयिक तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण

बहुविकल्पीय प्रश्न ---------------------------------- 37-42

GS Paper IV के लिए हल केस स्टडी ---------------------- 43

व्यक्ति विशेष -- 44

राजव्यवस्था शब्दावली ---------------------------------- 45

OUR OTHER INITIATIVES

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...
Hindi & English Current Affairs Monthly News Paper

DHYEYA TV
Current affairs Programmes hosted by Mr. Qurban Ali Ex. Editor RSTV) & by Dhyeya Team
Broadcasted on YouTube & Dhyeya TV

सात महत्वपूर्ण मुद्दे

1 पोषण अभियान :राष्ट्रीय आत्मचिंतन का समय

- संदर्भ
- पोषण अभियान क्या है
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के निष्कर्ष और हमारी स्थिति
- इन समस्याओं के निस्तारण में किस प्रकार के हस्तक्षेपों की आवश्यकता है

चर्चा में क्यों ?

नवम्बर में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का पांचवा संस्करण भारत में कुपोषण की स्थिति में धीमी गति से सुधार का संकेत दे रहा है. इस समय भारत में कुपोषण की व्यापक तथा गंभीर स्थिति निरंतर बनी हुई है. पांच वर्ष से कम आयु वर्ग का हर तीसरा बच्चा तथा हर पांचवी महिला कुपोषित है. इसी के साथ -साथ मोटापे से ग्रसित महिलाओं की संख्या में एक चौथाई वृद्धि हुई है। बच्चों , किशोरों तथा महिलाओं में एनिमिया की संख्या भी बढ़ रही है.

छह माह से अधिक आयु वर्ग वाले बच्चों में 10 में से मात्र 1 बच्चा इस आयुवर्ग हेतु अनुशंसित आवृत्ति के अनुसार खाद्य पदार्थ, अर्थात अर्धठोस खाद्य पदार्थों को दिन में तीन से चार बार सेवन कर रहा है.

पोषण अभियान क्या है ?

- पोषण(समग्र पोषण के लिए प्रधानमंत्री की व्यापक योजना या प्राइम मिनिस्टरस ओवररीचिंग स्कीम फॉर हॉलिस्टिक न्यूट्रीशन) अभियान बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं के पोषण संबंधी परिणामों में सुधार करने के उद्देश्य से आरम्भ किया गया प्रमुख कार्यक्रम है. इसे राष्ट्रीय पोषण मिशन भी कहा जाता है.
- पोषण अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रमुख आंगनबाडी सेवा के उपयोग तथा वितरण की गुणवत्ता में सुधार के द्वारा कुपोषण के अधिकतम दबाव वाले जिलों में स्टंटिंग कम करना है.
- इसके साथ ही पोषण अभियान महिलाओं तथा 1000 दिन के बच्चो तक कई सरकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों के लाभ पहुंचाने के लिए स्पष्ट रुप से एकीकृत तथा समन्वय की आवश्यकता को इंगित करता है.

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5

- यह भारत के परिवारों के सैम्पल पर आधारित एक व्यापक तथा बहु चरणीय सर्वेक्षण है.
- एनएफएचएस 5 (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5) विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख निष्कर्षों को बताता है. इसके साथ ही साथ क्षेत्रो में सुधार के मार्ग में आने वाली कमियों के कारणों को भी इंगित करता है.

मुख्य निष्कर्ष

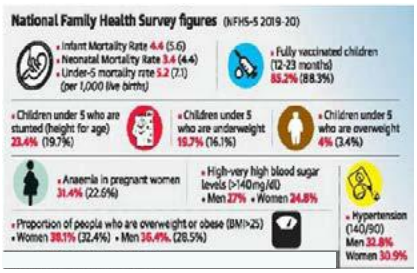

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के निष्कर्ष और हमारी स्थिति

- जीवन के प्रथम 1000 दिन (गर्भावस्था के 270 दिन तथा जन्म के उपरांत 730 दिन) के दौरान उल्लेखनीय तथा आवश्यक पोषण की कमी के फलस्वरूप कई नकारात्मक प्रवृत्तियां भी जन्म लेती हैं.
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार हमारे पास मातृत्व पोषण से सम्बन्धित कोई नीति नहीं है परंतु शिशु तथा छोटे बच्चे को स्तनपान कराने के संदर्भ में (आईवाईसीएफ) नीति, 2000 से क्रियान्वित की जा रही है.
- आईवाइसीएफ प्रारंभिक 6 माह के लिए स्तनपान तथा प्रभावी नर्सिंग तथा इसके उपरांत स्तनपान के पूरक के फलस्वरूप अर्ध ठोस पदार्थों के सेवन जैसी क्रियाकलापों को सुनिश्चित करता है परंतु अभी भी यह सशक्त रूप से व्यवहार में नहीं आ सकी हैं.
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़े यह बताते हैं कि अर्द्ध ठोस पदार्थों के पूरक आहारों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है. 6 माह से अधिक आयु वर्ग वाले 10 बच्चों में मात्र एक बच्चा अनुशंसित आवृत्ति, (अर्थात चार खाद्य समूह की वस्तुओं से निर्मित आहार को दिन में तीन से चार बार सेवन करना) के अनुरूप पर्याप्त आहार का सेवन कर रहा है.
- इस समस्या का मुख्य कारण सूचनाओं की कमी है क्योंकि इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि 20% कुपोषित बच्चे धनाढ्य समुदायों से संबंधित हैं.
- इसके अतिरिक्त अधिक वजन वाली माताओं की संतान प्राय: कुपोषित होती है. संतानों की देखभाल करने वालों को प्राय: यह ज्ञान नहीं होता कि 6 माह से अधिक उम्र वाले बच्चे को कब, क्या तथा किस प्रकार खिलाना चाहिए. वे यह भी नहीं जानते कि इस आयु वर्ग में भी स्तनपान आवश्यक

होता है.

- आईवाईसीएफ की निम्न स्तरीय प्रथाएं मोटापा ,सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी तथा वयस्कों में गैर संचारी रोगों की संभावना में वृद्धि जैसी स्थितियों के बढ़ने में योगदान करती हैं.
- कई बार माता-पिता अनुचित भोजन से होने वाली हानियों से अनभिज्ञ होते हैं. वह अपनी संतान को घर में बनी दाल, दही, सब्जियां, अंडों के स्थान पर पैकेज्ड स्नैक्स खिलाने पर स्वयं को गर्वांवित महसूस करते हैं. कई बार 6 से 8 माह के आयु वर्ग वाले बच्चों को खिचड़ी के स्थान पर पानी वाली दाल खिलाई जाती है , यह कार्य इस गलत धारणा पर आधारित होता है कि 6 से 8 माह के बच्चे अर्द्ध ठोस खाद्य पदार्थो का सेवन नहीं कर पाएंगे.
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंक. ड़े स्पष्ट रूप से यह बताते हैं कि जीवन के महत्वपूर्ण , प्रथम 1000 दिनों के दौ. रान पोषण देखभाल में सुधार हेतु आवश्यक कदम उठाने में असफल रहे जबकि यह राष्ट्रीय पोषण मिशन की एक आधारभूत रणनीति थी.

इन समस्याओं के निस्तारण में किस प्रकार के हस्तक्षेपों की आवश्यकता है ?

- स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं तथा चिकित्सक दलों द्वारा समय-समय पर परामर्श अनिवार्य होता है. इस संदर्भ में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना एक प्रमुख कार्यक्रम है परंतु इसका लाभ देखभाल करने वालों तथा माताओं तक पर्याप्त रूप से नहीं पहुंच सका है.
- इसके विपरीत, सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था, जो एएनसी, चाइल्ड डिलीवरी, पीएनसी, होम बेस्ड न्यू बोर्न एंड यंग चाइल्ड केयर तथा टीकाकरण जैसी सेवाएं प्रदान करती है, उसे गर्भावस्था से लेकर बच्चे के 16 माह तक हो जाने के दौरान कम से कम 15 से अधिक बार माताओं से संपर्क होता है. अत: इनके माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, गर्भावस्था तथा पोषण प्रथाओं को प्रभावित किया जा सकता है.

- पोषण देखभाल , हमारी स्वास्थ्य प्रणाली और आईसीडीएस के मध्य रोकथाम और देखभाल की अवस्थाओं में विभाजित है. दोनों में ही यह धारणा बन गई है कि रोकथाम की समस्याओं को सामुदायिक स्तर पर समाधान किया जाना सुविधाजनक है , लेकिन वास्तव में यह धारणा अत्यधिक अव्यावहारिक और ज्यादा समय लेती है. इस समय आवश्यकता है कि सरकार, पोषण देखभाल की प्रथाओं और सेवा वितरण में अन्तर स्पष्ट करने के लिए, एक वैकल्पिक पोषण वितरण तंत्र पर ध्यान दें.
- नीति-निर्माताओं को इसका परीक्षण करना चाहिए कि क्या आईसीडीएस के स्थान पर नियमित स्वास्थ्य प्रणाली को पोषण सम्बन्धी कार्यो में नेतृत्व करने का अधिकार दिया जाना चाहिए. प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली के साथ आईसीडीएस के मानव संसाधनों को मिलाने से मातृ-शिशु पोषण और स्वास्थ्य सेवा कार्यबल और टीम वर्क सुदृढ़ होगा. यह बाल मृत्यु दर को प्रभावी रूप से कम कर सकता है, क्योंकि भारत की 5 वर्ष से कम आयु के 68 प्रतिशत मृत्यु दर का कारण अल्पपोषण है.
- वर्तमान समय में बुनियादी तथा उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ, वहनीय और सभी के लिए स्वीकार्य बनाने के लिए स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े सभी स्वास्थ्य संस्थानों, शिक्षाविदों और अन्य भागीदारों के एकीकृत तथा समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है.

NOTES

2 2021 में बढ़ता हुआ महिलाओं के विरुद्ध अपराध

- संदर्भ
- क्या है महिलाओं के विरुद्ध अपराध
- महिलाओं के विरुद्ध अपराध के कारण
- महिलाओं के विरुद्ध अपराध के सन्दर्भ में आकड़े
- भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत इंगित अपराध
- महिलाओं को अपराध के विरुद्ध विधिक सुरक्षा
- महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को रोकने के लिए राष्ट्रीय पहल
- आगे की राह

चर्चा में क्यों ?

2020 की तुलना में 2021 में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की शिकायतों में 30% की वृद्धि हुई है.

क्या है महिलाओं के विरुद्ध अपराध की परिभाषा?

• संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रदत्त महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की परिभाषा के अनुसार ष्यह सार्वजनिक या निजी जीवन में घटित लिंग आधारित हिंसा के किसी भी ऐसे कृत्य को संदर्भित करता है, जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं को शारीरिक, यौन या मानसिक हानि या पीड़ा हो रही हो अथवा होने की संभावना हो. यह महिलाओ को धमकी देने जबरदस्ती करने तथा स्वतंत्रता से वंचित करने कृत्यों को भी महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की परिभाषा में सम्मिलित करता है.

महिलाओं के विरुद्ध अपराध के कारण

• **ऐतिहासिक असमानता:** कई शताब्दियों से विकसित हुई राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रक्रियाओं ने पुरुषों को महिलाओं पर सत्तासीन स्थिति में रखा है.

• **महिलाओं की कामुकता पर नियंत्रण:** विभिन्न समाजो में एक महिला की कामुकता को नियंत्रित करने के लिए हिंसा का प्रयोग किया जाता है. इसीप्रकार विभिन्न समाजों में हिंसा का प्रयोग ऐसी महिलाओं को दण्डित करने के लिए किया जाता है जिन्होंने सांस्कृतिक मानदंडों का उल्लंघन करने वाले यौन व्यवहारो, वरीयताओं तथा दृष्टिकोणों को प्रदर्शित किया हो.

• **सांस्कृतिक विचारधारा:** संस्कृति लैंगिक भूमिकाओं को परिभाषित करती है. इन सांस्कृतिक भूमिकाओं का उलंघन करने पर महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को उचित सिद्ध करने के लिए कुछ रीति-रिवाजों, परंपराओं और धर्मों का दुरूपयोग किया जाता है.

• **निजता के सिद्धांत** -: विभिन्न समाजो में यह विश्वास प्रचलित है कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा एक निजी मुद्दा है. यह सामाजिक विश्वास महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के निस्तारण के प्रयासों को गंभीर रूप से बाधित करता है.

• **संघर्ष समाधान का पैटर्न** : संघर्षरत तथा सैन्यीकरण वाले क्षेत्रों में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधो के बढ़ने की प्रवृत्ति में आपसी जुड़ाव (लिंक) पाया गया है.

• **सरकार की निष्क्रियता:** महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को प्रतिबंधित तथा समाप्त करने में सरकार की निष्क्रियता, पूरे समुदाय में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को सहन करने के प्रथा को स्थापित करने में सहायक होतीं है.

महिलाओं के विरुद्ध अपराध के सन्दर्भ में आकड़े -

• पिछले वर्ष में राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) को महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की लगभग 31,000 शिकायतें प्राप्त हुईं जो 2014 के उपरान्त सर्वाधिक है.

• गरिमामय जीवन के अधिकार के उलंघन तथा घरेलू हिंसा से संबंधित सर्वाधिक शिक. ायतें उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुईं,जो सकल अपराधों के आधे से अधिक है.

अपराध की व्यापक श्रेणियां:

- महिलाओं के साथ शील भंग या छेड़छाड़
- बलात्कार तथा बलात्कार का प्रयास
- महिलाओं के प्रति पुलिस की उदासीनता
- साइबर अपराध की शिकायतें
- घरेलू हिंसा
- गरिमामय जीवन से सम्बद्ध मुद्दे

भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत इंगित अपराध :-

- बलात्कार (धारा 376 आईपीसी)
- विभिन्न उद्देश्यों के लिए अपहरण तथा एब्डक्शन (धारा 363-373 आईपीसी)
- दहेज हत्या अथवा दहेज हत्या का प्रयास (धारा 302/304-बी आईपीसी)
- मानसिक और शारीरिक यातना (धारा 498-ए आईपीसी)
- छेड़छाड़ (आईपीसी की धारा 354)
- यौन उत्पीड़न (धारा 509 आईपीसी)
- लड़कियों का आयात (21 वर्ष की आयु तक) (धारा 366 बी आईपीसी)

महिलाओं को अपराध के विरुद्ध विधिक सुरक्षा :-

• कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध तथा निवारण)

अधिनियम, 2013- महिलाओं को कार्यस्थल पर यौनउत्पीडन से सुरक्षा देने के उद्देश्य से पारित किया गया था.

- एसिड अटैक: भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 326 बी संक्षारक पदार्थों(एसिडिक सब्स्टांसेस) के उपयोग और संक्षारक पदार्थों को जानबूझकर उछालने के प्रयास करने से संबंधित है.
- घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005: यह अधिनियम मि. हलाओं को घरेलू हिंसा की श्रेणी में आने वाले किसी भी कार्य/आचरण/गतिविधि से संरक्षण प्रदान करता है
- दहेज हत्याएं: दहेज निषेध अधिनियम, 1961 में महिलाओं के विरुद्ध दहेज से सं. बंधित अत्याचारों की रोकथाम करता तथा दंड का प्रावधान करता हैं.

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को रोकने के लिए राष्ट्रीय पहल

- **राष्ट्रीय महिला आयोग:** जनवरी 1992 में, महिलाओं के लिए प्रदान किए गए संवैधानिक तथा कानूनी सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों के अध्ययन और निग. रानी के लिए सरकार द्वारा एक विशिष्ट जनादेश के साथ इस वैधानिक निकाय की स्थापना की गई.
- **स्थानीय स्वशासन में महिलाओं के लिए आरक्षण:**- संसद द्वारा 1992 में पारित 73वां संविधान (संशोधन) अधिनियम, स्थ. ानीय निकायों(चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में) में सभी निर्वाचित कार्यालयों में महिलाओं के लिए कुल सीटों का एक तिहाई शीट आरक्षित करता है.
- मार्च 2010 में राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन का शुभारंभ महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति है तथा यह वर्तमान सरकारी हस्तक्षेपों के समन्वित मूल्यां. कन और भविष्य के कार्यक्रमों को संरेखित करने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करता है.

महिला सशक्तिकरण के लिए सरकारी योजनाएं:

- **वन स्टॉप सेंटर योजना:** वन स्टॉप

सेंटर (ओएससी) का उद्देश्य निजी और सार्वजनिक स्थानों पर, परिवार, समुदाय और कार्यस्थल पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं की सहायता करना है.

- **बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना:** बेटी बचाओ, बेटी पढाओ भारत सरकार का एक अभियान है जिसका उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना तथा भारत में लड़कियों हेतु केंद्रित कल्याणकारी सेवाओं की दक्षता में सुधार करना है.
- **उज्ज्वला:** यह अवैध व्यापार की रोक. थाम तथा बचाव से सम्बंधित है तथा यह अवैध व्यापार व वाणिज्यिक यौन शोषण के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए एक व्यापक योजना है.
- **स्वाधार गृह:** यह कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं के लिए एक योजना है.
- **महिला पुलिस स्वयंसेवक (एमपीवी):** एमपीवी महिलाओं के खिलाफ अपराध से लड़ने के लिए जनता तथा पुलिसबल के मध्य इंटरफेस के रूप में काम करेगी.
- महिला शक्ति केंद्र (एमएसके) का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को कौशल विकास और रोजगार के अवसरों के साथ सशक्त बनाना है.

आगे की राह

- मात्र विधि तथा विधियों को प्रवर्तित करने वाली एजेंसियां ही महिलाओं के विरुद्ध अपराध की घटना को प्रतिबंधित नहीं कर सकतीं.
- महिलाओं को उचित सम्मान तथा समान दर्जा प्रदान करने के लिए सामाजिक जागृति तथा साधारण जनमानस में व्यावहारिक परिवर्तन की आवश्यकता है.
- विभिन्न शिक्षा अभियानों द्वारा युवाओं को महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अन्याय के सन्दर्भ में अवगत करके जागरूक किया जा सकता है.
- मीडिया इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभा सकता है क्योंकि वर्तमान समय मीडया की पहुंच पूरे देश में है.
- विभिन्न गैर सरकारी संगठन इस तरह के अपराधों के लिए उत्तरदायी सामाजि. क-आर्थिक कारको की पहचान तथा इन कारको द्वारा नारीत्व व समाज पर पड़ने वाले विनाशकारी प्रभाव के बारे में जाग. रूकता प्रसारित करने का उत्ततरदायित्व ग्रहण सकते हैं.

NOTES

3 बुल्ली बाई (Bulli Bai) ऐप षड्यंत्र

- **महिलाओं के विरुद्ध किए गए विभिन्न प्रकार के साइबर अपराध**
- **महिलाओं के विरुद्ध होने वाले साइबर अपराध को प्रतिबंधित करने के प्रमुख कानून तथा प्रमुख पहल**
- **आगे की राह**

चर्चा में क्यों?

भारतीय महिला प्रेस कॉर्प्स ने 'बुली बाई' ऐप को अल्पसंख्यकों के शोषण तथा लैंगिक हिंसा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रेरित "एक सुनियोजित षड्यंत्र" बताया है.

- "सुल्ली डील्स" (जो सोशल मीडिया पर मुखर मुस्लिम महिलाओं की एक 'नीलामी' से सम्बंधित था) के मामले के एक वर्ष उपरांत इसी प्रकार के एक अन्य घृणित ऐप, "बुली बाई" द्वारा मुस्लिम समुदाय की महिलाओं की सोशल मीडिया पर डाली गई तस्वीरों का दुरुपयोग कर मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को लक्षित किया गया है.
- बुल्ली बाई विवाद उस समय चर्चा में आया जब कई महिलाओं ने स्वयं को एक ऐप पर नीलामी के लिए उपलब्ध श्रेणी में देखा. गिटहब (GitHub) प्लेटफॉर्म द्वारा होस्ट किए गए ऐप द्वारा उनकी तस्वीरों का अनुचित प्रयोग किया गया तथा कई तस्वीरो में एडिटिंग भी की गई थी.
- इस ऐप के द्वारा ज्वलंत राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर मुखर, महिलाओं को लक्षित किया गया. इस ऐप में 'नीलामी' हेतु सूचीबद्ध महिलाओ में प्रमुख पत्रकार, कार्यकर्ता तथा अधिवक्ताएं सम्मिलित थीं.

महिलाओं के विरुद्ध किए गए विभिन्न प्रकार के साइबर अपराध

साइबर स्टॉकिंग

- साइबर स्टॉकिंग आधुनिक विश्व के सर्वाधिक चर्चित साइबर अपराधों में से है. यह अपराध उस स्थिति में होता है जब किसी स्टाकर द्वारा किसी व्यक्ति (सामान्यत: महिला) की गतिविधियों को फॉलो किया जाता है.
- साइबर स्टाकर वेबसाइट, चैट रूम, विभिन्न डिस्कशन फोरम्स, ओपन पब्लिशिंग वेबसाइट तथा ईमेल के माध्यम से, पीड़ित को लक्ष्य बना कर उनका उत्पीड़न तथा शोषण करते हैं.

ईमेल के माध्यम से उत्पीड़न

- यह पत्रों के माध्यम से शोषण के समान है. इसमें ईमेल के माध्यम से ब्लैक मेलिंग धमकी, बुलिंग, तथा धोखाधड़ी की गतिविधियां की जाती हैं .
- साइबरस्टॉकिंग को शोषण का एक माध्यम बनाने में नि:शुल्क ईमेल तथा वेबसाइट स्पेस की उपलब्धता के साथ-साथ विभिन्न चैट रूम प्लेटफार्म द्वारा प्रदान की गई अनामता (एनोनिमिटी) भी महत्वपूर्ण कारक है.

सांप्रदायिकता :-

- हाल ही में बढ़ रहे असंतोष तथा हेट स्पीचो द्वारा संप्रदायिकता बढ़ी है जो महिलाओं के विरुद्ध सांप्रदायिक लक्ष्यीकरण का कारक बनी है.

साइबर बुलिंग :-

- साइबर बुलिंग से तात्पर्य एक प्रकार के ऐच्छिक अपराध से हैं जिसमें कंप्यूटर के प्रयोग से निरंतर धमकी भरे संदेश भेजे जाते हैं.
- वैश्विक स्तर पर साइबर बुलिंग में भारत(चीन तथा सिंगापुर के बाद) तीसरे स्थान पर है. पिछले एक दशक में साइबर बुलिंग से प्रेरित आत्महत्या की संख्या में वृद्धि देखी गई है.

मार्फिंग :

- मार्फिंग गतिविधि किसी अनधिकृत उपयोगकर्ता द्वारा किसी व्यक्ति (अधिकांशत: महिला) द्वारा अपलोड की गई वास्तविक तस्वीर को एडिट करने से सम्बद्ध है.
- प्राय: यह देखा जाता है कि अनधिकृत प्रयोगकर्ता किसी महिला की तस्वीर को वेबसाइट से डाउनलोड करके, उसे एडिट करके किसी अन्य वेबसाइट पर फेक प्रोफाइल द्वारा पुन: पोस्ट कर देता है.

ईमेल स्पूफिंग :

- ईमेल स्पूफिंग का तात्पर्य किसी ईमेल के वास्तविक स्रोत की गलत व्याख्या से है. स्पूफिंग यह दर्शाता है कि ई-मेल में प्रदर्शित स्रोत तथा ई-मेल का वास्तविक स्रोत अलग-अलग है.

साइबर मानहानि

- मानहानि नेट पर महिलाओं के विरुद्ध होने वाला एक अन्य प्रकार का साइबर अपकृत्य है.

ट्रोलिंग तथा जेंडर बुलिंग

- इसमें महिलाओं द्वारा डाले गए पोस्टों को

लक्षित किया जाता है तथा उन्हें ट्रोल किया जाता है. इसका उद्देश्य भड़काऊ पोस्ट के माध्यम से बड़ी संख्या में तुच्छ तथा संकीर्ण प्रतिक्रियाओं को उत्पन्न करना होता है.

बुडापेस्ट अभिसमय

- साइबर अपराध पर अभिसमय ,इसे सा. इबर अपराध पर बुडापेस्ट अभिसमय के नाम से भी जाना जाता है. यह प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो साइबर तथा कंप्यूटर अपराध के निस्तारण हेतु राष्ट्रीय कानूनों के सामंजस्य , परीक्षण तकनीकों में सुधार तथा राष्ट्रों के मध्य सहयोग से सम्बंधित उपबंधों का प्राव. धान करती है.
- यह स्ट्रासबर्ग ,फ्रांस में यूरोपीय परिषद द्वारा तैयार किया गया है जिसे यूरोपीय प. रिषद के पर्यवेक्षक देशों यथा कनाडा, जापान, साउथ अफ्रीका, तथा संयुक्त राज्य अमेरिका का सक्रिय सहयोग प्राप्त हुआ.
- इस अभिसमय द्वारा अवैध पहुंच, अवैध अवरोधन, डाटा हस्तक्षेप, सिस्टम इंटरफेरेंस उपकरणों का दुरुपयोग, कंप्यूटर संबंधित फ्रॉड, कॉपीराइट तथा चाइल्ड पॉर्नोग्राफी से संबंधित गतिविधियों को अपराध की श्रेणी में रखा गया है.
- भारत द्वारा इस अभिसमय को स्वीकार करने से मना कर दिया गया है**.** भारत में यह तर्क दिया है कि भारत इस अभिसमय के प्रारूपण में सम्मिलित नहीं था अत: वह इस अभिसमय को स्वीकार नहीं करेगा.

महिलाओं के विरुद्ध होने वाले साइबर अपराध को प्रतिबंधित करने के प्रमुख कानून तथा प्रमुख पहल

- अनुच्छेद 19 वाक तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(ए) वाक तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौ. लिक अधिकार प्रदान करता है. परंतु यह अधिकार अत्यंतिक नहीं है बल्कि अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत वर्णित युक्तियुक्त प्रतिबंधों के अधीन है.

- **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000:**

भारत में साइबर अपराध तथा डिजिटल वाणि ज्य के संदर्भ में सूचना प्रौद्योगिकी अधि

नियम 2000 (2008 में संशोधित) प्राथमिक कानून है.

- **इलेक्ट्रॉनिक अश्लील सामग्री या इले. क्ट्रॉनिक ओबसीन कंटेंट**

1. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 इंटरनेट पर सार्वजनिक व्यवस्था तथा नै. तिकता को बिगाड़ने वाली अश्लील सामग्री को प्रकाशित तथा प्रसारित करने पर प्रतिबंध लगाती है.
2. यह भारतीय दंड संहिता की धारा 292 के समान है परंतु आईटी अधिनियम के अंतर्गत सजा की मात्रा अधिक है.

- **आपत्तिजनक संदेश प्रेषण (सेंडिंग ऑफ ऑफेंसिव मैसेज)**

1. आईटी अधिनियम की धारा 66 ए कंप्यूटर अथवा संचार उपकरणों के माध्यम से आपत्तिजनक संदेश भेजने के अपराध से संबंधित है
2. धारा 66 ए किसी आपत्तिजनक संदेश के प्रेषण को अपराध बनाती है जब यह कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से भेजा जाए.

- **भारतीय दंड संहिता की धारा 354 : शील भंग**

इस धारा के कई उपखंड है जो विभिन्न यौन आधारित टिप्पणियों, वॉयरिज्म (दृश्यार. तिकता) तथा स्टॉकिंग के मुद्दों को संबोधित करते हैं.

राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 :- यह नीति राष्ट्रीय साइबरस्पेस की सुरक्षा के लिए एक दूरदर्शी दृष्टिकोण तथा रणनीतिक दिशा प्रदान करती है.

- **साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT&in)**

यह टीम 2004 से अस्तित्व में है. यह कंप्यूटर सुरक्षा की घटनाओं के संबंध में प्रतिक्रिया देने हेतु राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है.

- **भारतीय साइबर अपराध समन्वयक केंद्र (I4C % Indian cyber crime coordination centre)**

केंद्र सरकार ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है. यह साइबर अपराधों के निस्तारण के संबंध में शीर्ष समन्वयक केंद्र होगा.

- **साइबर स्वच्छता केंद्र**

2017 में आरंभ में स्थापित साइबर स्वच्छता केंद्र ,उपयोगकर्ताओं को एक मंच प्रदान करता है जिससे वे अपने कंप्यूटर सिस्टम से विभिन्न वायरस, मालवेयर, ट्रोजन, बोट इत्या. दि के विश्लेषण कर उन्हें समाप्त कर सकें.

- **साइबर सुरक्षित भारत**

इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लांच किया गया साइबर सुरक्षित भारत अभियान सरकारी विभागों में मुख्य सूचना सु. रक्षा अधिकारियों तथा फ्रंटलाइन आईटी कर्म. चारियों के लिए साइबर अपराध तथा सुरक्षा उपायों से संबंधित क्षमता निर्माण के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रेरित है.

- **साइबर वॉरियर पुलिस फोर्स**

2018 में सरकार द्वारा साइबर वॉरियर पुलिस फोर्स के गठन के संदर्भ में अपनी योजना घो. षित की गई. यह केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के समान होगा तथा साइबर मामलों को देखेगा.

- **महिलाओं तथा बच्चों के विरूद्ध साइबर अपराध निवारण योजना:** भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं तथा बच्चों के विरुद्ध होने वाले साइबर अपराधों को रोकना तथा उसे कम करना है.

आगे की राह

- **नीति तथा शासन :** इस संदर्भ में एक दृढ नीति को लाना तथा उसे प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करना महत्वपूर्ण है. इसके अतिरिक्त सुचारू कामकाज के संचालन तथा बेहतर समन्वय के लिए विभिन्न विभागों तथा हित धारकों के मध्य दायित्व तथा कर्तव्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए.
- **जागरूकता :** सरकार तथा बड़े निजी संगठनों द्वारा लोगों को साइबर खतरों के संदर्भ में जागरूक करने के लिए समय- समय पर जागरुकता अभियान चलाए जाने चाहिए.
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी को मजबूत करना :** साइबर सुरक्षा पर सार्वजनिक-निजी भागीदारी को मजबूत करना महत्वपूर्ण है.
- **ऑनलाइन वीमेन स्पेसिफिक क्राइम रिपोर्टिंग यूनिट :**-ऑनलाइन वीमेन स्पेसिफिक क्राइम रिपोर्टिंग यूनिट को राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ इस प्रकार सामंजस्य स्थापित करना चाहिए कि यदि कोई महिला साइबर अपराध के विरुद्ध राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत दर्ज कर रही है तो राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा उस शिकायत की एक प्रति गृह मंत्रालय के क्राइम रिपोर्टिंग यूनिट के संज्ञान में भेजे. यह आईटी प्रोफेशनल की सहायता से शिकायतों के त्वरित निस्तारण को प्रोत्साहित करेगा.
- **निगरानी:** निगरानी इकाइयों को राष्ट्रीय महिला आयोग के माध्यम से प्राप्त शिकायतों पर मासिक रिपोर्ट प्रदान करनी चाहिए
- **क्षमता निर्माण :** घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत नियुक्त सुरक्षा अधिकारियों का क्षमता निर्माण किया जाना चाहिए.

4 पुलिकट झील: अस्तित्व हेतु संघर्ष

- चर्चा में क्यों
- पुलिकट झील के विषय में
- रामसर कन्वेंशन
- पुलिकट झील का महत्व
- पुलिकट झील के अति-दोहन के साथ उभरते मुद्दे
- पुलिकट झील के जीर्णोद्धार के लिए प्रमुख सुझाव
- चिल्का झील केस स्टडी
- आगे की राह
- निष्कर्ष

चर्चा में क्यों ?

जर्मनी में स्थित संगठन ग्लोबल नेचर फंड द्वारा एक बार पुन: पुलिकट झील को रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत "संकटग्रस्त झील" श्रेणी में रखा गया है. हालाँकि, सरकार द्वारा पुलिकट झील को मोंट्रेक्स रिकॉर्ड में सम्मिलित करने के सन्दर्भ में किसी भी प्रकार का प्रस्ताव नहीं दिया गया है. पुलिकट झील विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकीय संकटो का सामना कर रहा है अत: विभिन्न पर्यावरणविदों ने इसे मोंट्रेक्स रिकॉर्ड में सम्मिलित करने के लिए कहा है.

पुलिकट झील के विषय में

- पुलिकट झील भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक अद्वितीय जलाशय है तथा यह दो राज्यों आंध्र प्रदेश (84%) और तमिलनाडु(16%) में फैला है.
- मानसून के दौरान इसका जल प्रसार क्षेत्र लगभग 720 वर्ग किलोमीटर हो जाता है. झील की लंबाई लगभग 60 किमी है, तथा इसकी चौड़ाई 200 मीटर से 17.5 किमी तक परिवर्तित होती रहती है.
- झील के पूर्वी किनारे पर बकिंघम नहर, उत्तर से दक्षिण दिशा में, श्रीहरिकोटा द्वीप के सापेक्ष प्रवाह करती है.
- नहर-निर्माण के बाद से ही गाद की समस्या तथा तट के किनारे रेलवे लाइन के निर्माण के कारण यह झील धीरे- धीरे समाप्त हो रही है.

रामसर कन्वेंशन (आर्द्र भूमि पर रामसर अभिसमय)

- 1971 में, ईरान के रामसर नामक स्थान में आर्द्रभूमियों पर संयुक्त राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ.
- रामसर कन्वेंशन मुख्य रूप से स्थानीय,

क्षेत्रीय ,राष्ट्रीय कार्रवाई तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से आर्द्रभूमि के संरक्षण और समुचित उपयोग के लक्ष्य के साथ एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संधि के रूप में जाना जाता है तथा यह सम्पूर्ण विश्व में सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान करता है.

- यह सम्मेलन आर्द्रभूमियों की रक्षा के महत्व को बताते हुए विश्व को जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.
- मोंट्रेक्स रिकॉर्ड रामसर सम्मेलन के अंतग. त एक स्वैच्छिक तंत्र है. यह अंतरराष्ट्रीय महत्व की ऐसी विशिष्ट आर्द्रभूमि, जो वर्तम. ान में संकट का सामना कर रही हैं, को चिह्नित करने हेतु निर्मित किया गया है.
- विशेषतया मोंट्रेक्स रिकॉर्ड ऐसी सू. चीबद्ध रामसर साइटों का एक रजिस्टर है, जहां के पारिस्थितिक स्थिति में परिवर्तन हुआ है अथवा हो रहा है या (तकनीकी विकास, प्रदूषण या अन्य मानवीय हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप) परिवर्तन होने की संभावना है.

पुलिकट झील का महत्व

- पुलिकट झील को प्रवाहमयी नदियों और नहरों के माध्यम से ताजा अथवा अक्षारीय जल तथा बंगाल की खाड़ी से जुड़े इनलेट माउथ के माध्यम से समुद्री जल प्राप्त होता है.
- झील में एक स्थानिक और अस्थाई लवणता ढाल है. यह ढाल विभिन्न विशिष्ट पादपों तथा जंतुओं की विविधता से परिपूर्ण पारिस्थितिकीय उत्पत्ति में सहायक होती है.
- पुलिकट झील के आसपास के 200 गांवों में रहने वाले लगभग एक लाख लोग अपनी आजीविका के लिए समृद्ध मत्स्य संसाधनों के साथ अत्यधिक उत्पादक लैगून पारिस्थि. तिकी तंत्र पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर हैं.
- पुलिकट झील एक जैव विविधता वाला हॉटस्पॉट भी है. जो प्रकृति के संरक्षण के लिए आवश्यक, आईयूसीएन की रेड डाटा बुक में सम्मिलित, कई स्थानिक और लुप्तप्राय प्रजातियों को आश्रय देती है.
- यह कई प्रवासी पक्षियों के लिए एक एवियन स्वर्ग है तथा प्रवास काल में पक्षियों की लगभग 250 प्रजातियां आती हैं जिनमें से 50 अंतरमहाद्वीपीय प्रजातियां हैं.

पुलिकट झील के अति-दोहन के साथ उभरते मुद्दे

- मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र का बड़े पैमाने पर विनाश (तथा विखंडन) व झींगा की व्यावसायिक खेती के उद्देश्य से आर्द्रभूमि का व्यवसायिक रूपांतरण.
- जल-जैविक संसाधनों का अत्यधिक दोहन
- अनुचित निकासी की गतिविधियां (जीव जंतुओं पर प्रभाव के साथ)
- वनों की कटाई तथा वनों का रूपांतरण
- निकटवर्ती कृषि भूमि से अपशिष्ट जल और कीटनाशकों द्वारा उत्पन्न प्रदूषण.
- पुलिकट झील का एक बड़ा भाग संक. टग्रस्त है परन्तु झील को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाली कई अन्य विकास पि. रयोजनाएं प्रस्तावित हैं यथा - दुगराजपट्टनम बंदरगाह का विस्तार तथा अन्य परियोजनाओं के बीच प्रस्तावित अडानी बंदरगाह. इसके अतिरिक्त, वैश्विक तापन, जलवायु परिवर्तन के तटीय क्षेत्र के पारिस्थितिक तंत्र पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण पहले से संकटग्रस्त पारिस्थितिकी तंत्रो के विनाश की गति और अधिक बढ़ जाती है.

पुलिकट झील के जीर्णोद्धार के लिए प्रमुख सुझाव

1. विकास प्राधिकरण की स्थापना: राज्य सरकारों को ओडिशा में चिल्का विकास प्राधि करण के समान पुलिकट झील के लिए एक विकास प्राधिकरण स्थापित करना चाहिए. इस प्राधिकरण द्वारा सुनिश्चित किये गए कार्य निम्नवत होंगे--
   - समुदाय आधारित योजना तथा प्रबंधन (उदाहरण के लिए हितधारकों और संसाधन उपयोगकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी)
   - एकीकृत दृष्टिकोण (अर्थात इसमें न केवल संरक्षित क्षेत्र पर ध्यान दिया जाये बल्कि इसमें संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण सम्मिलित हो)
   - भूमि उपयोग योजना, स्पष्ट संरक्षण उद्देश्य, प्रमुख प्रभावों की पहचान तथा शमन के लिए एक क्षेत्रीय कार्यक्रम की स्थापना की जाये
   - परियोजना के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए एक ठोस तकनीकी आधार की स्थापना की जाये.
2. संसाधनों का उचित आवंटन:- वर्तम. ान में आवंटित मानव संसाधन और वित्तीय संसाधन में पर्याप्तता में कमी इस संकट के मुख्य कारणों में से एक है.
   - झीलों का सफल संरक्षण उनके वाटरशेड के उचित प्रबंधन पर निर्भर करता है परन्तु उनके संसाधनों के उपयोग के सन्दर्भ में परस्पर विरोधात्मक स्थिति रहती है.
3. स्थानीय प्रशासन को लोगो द्वारा लाइम शेल के खनन को प्रतिबंधित करना चाहिए. यह खनन मडफ्लैट आवासों का विनाश कर देता है.
4. स्थानीय सरकारों को इन आवासों की रक्षा का प्रबंध भी करना चाहिए क्योंकि ये आवास प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण हैबिटैट हैं.
5. सरकार को पुलिकट झील को रामसर सूची में पंजीकृत कराने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए.

6. पुलिकट झील के जैव विविधता संरक्षण के लिए रणनीतियों के अतिरिक्त विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के सहयोग से, पारिस्थितिक पर्यटन विकास, सामुदायिक भागीदारी, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन, हाइ. ड्रोलॉजिकल मोनेटरिंग तथा मॉडलिंग गति. विधियों को आरम्भ करने की आवश्यकता है.

7. चिल्का झील के संरक्षण से प्राप्त विभिन्न सीख और ज्ञान का प्रयोग किया जाना चाहिए –

- शैक्षिक और संरक्षण परियोजनाओं और अनुसंधान के वित्तपोषण के द्वारा झील का पुनरुद्धार करना.
- एक इंटरपेंटशन सेंटर, एक जीआईएस सेल, सामुदायिक भागीदारी, पारिस्थितिक पर्यटन तथा विकास कार्यक्रमों की स्थापना करना
- मत्स्य संसाधनों का प्रबंधन (केंद्रीय खारा जलजीव पालन अनुसन्धान संस्थान तथा केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के परामर्श से)
- ड्रेजिंग हस्तक्षेप करना.
- जलीय रसायन तथा गुणवत्ता की निगरानी व आक्रामक प्रजातियों का उन्मूलन करना.
- झील के लिए अनुकूल पारिस्थितिक योजना तैयार करने तथा झील पारिस्थितिकी तंत्र की नियमित निगरानी के उद्देश्य से जीव. विज्ञानियों की एक टीम का निर्माण करना होगा. संसाधनों के सतत प्रबंधन हेतु परि. स्थितीय दृष्टिकोण (इकोलॉजिकल एप्रोच) एक मात्र उपाय है.

चिल्का झील केस स्टडी

चिल्का लैंगून इस तथ्य का एक प्रबल उदाहरण है कि किसी स्थल की पारिस्थितिकी विशेषताओं के उद्धार से न केवल लैंगून की पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार होता है बल्कि आद्रभूमि पर निर्भर समुदायों को भी लाभ प्राप्त होता है.

प्रत्येक परिवार की औसत वार्षिक आय में लगभग 50000 रुपये (लगभग 1040 डॉलर) की वृद्धि हुई है.

चिल्का लैंगून इस संदर्भ में विशिष्ट है कि इसका पुनरुद्धार स्थानीय समुदायों की भागीदारी, विभिन्न राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के जुड़ाव तथा व्यापक निगरानी व मूल्यांकन प्रणालियों से हुआ है.

चिल्का लैंगून इस तथ्य का उचित उदाहरण है कि किस प्रकार मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड पर सूचीबद्ध होने को प्रमोट करके किसी साइट की पारिस्थितिकी चरित्र के परिवर्तन में सुधार के साथ-साथ उस साइट के आसपास रहने वाले लोगों के सामाजिक आर्थिक स्थिति में भी सुधार किया जा सकता है.

आगे की राह

1. झील के जीर्णोद्धार की योजना में जल. संग्रहण का प्रबंधन, नदी बेसिन दृष्टिकोण पर आधारित होना चाहिए।
2. स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी से पक्षी आवासों और पक्षी प्रजातियों का संरक्षण किया जाना चाहिए
3. पक्षियों के अवैध शिकार को रोकने के लिए स्थानीय आबादी को आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए
4. सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार (यथा समुदाय-आधारित पारिस्थितिक पर्यटन की सुविधा के लिए अभिविन्यास प्रशिक्षण) के सन्दर्भ में प्रयास किया जाना चाहिए।
5. द्वीपीय गांवों के लिए सोलर स्ट्रीट लाइट का प्रावधान किया जाना चाहिए
6. पृथक द्वीप गांवों के लिए एक नौका सेवा का विकास किया जाना चाहिए
7. मछुआरों के लिए लैंडिंग सुविधाओं का विकास किया जाना चाहिए
8. क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों और समुदाय आधारित संगठनों की नेटवर्किंग के प्रयास किया जाना चाहिए
9. शिक्षा और पर्यावरण जागरूकता गति. विधियों का संचालन करना चाहिए.

निष्कर्ष

- झीलों और तटीय आर्द्रभूमि के पुनर्स्थापन, संरक्षण और प्रबंधन की प्रक्रिया में सभी हितधारकों को सम्मिलित करना आवश्यक है.
- क्षेत्रीय संबंधों को बढ़ावा देने, रणनीतिक साझेदारी विकसित करने और झीलों और तटीय आर्द्रभूमि के संरक्षण और प्रबंधन में बेहतर कार्य करने की तुरंत आवश्यकता है.
- सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, गैर-सर. कारी संगठनों (एनजीओ), स्थानीय समुदायों, निजी क्षेत्र और व्यक्तियों के बीच चल रहे क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और रणनी. तिक साझेदारी को स्थापित तथा संबंधों को दृढ़ करने की आवश्यकता है.
- पुलिकट झील, आर्द्रभूमि संरक्षण के भविष्य की संभावना में एक महत्वपूर्ण उदा. हरण हो सकता है तथा यदि इसके संरक्षण का प्रयास सफल होता है , तो यह विकास और संरक्षण के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मॉडल के रूप में प्रस्तुत हो सकती है.

NOTES

5 हेट स्पीच :भारत समाज के लिए चुनौती

- सन्दर्भ
- परिचय
- क्या है हेट स्पीच
- भारत में हेट स्पीच की परिभाषाएं
- भारत में हेट स्पीच के कारण
- हेट स्पीच के प्रभाव
- हेट स्पीच को कैसे कम किया जा सकता है
- निष्कर्ष

सन्दर्भ

हाल ही में हरिद्वार की तथाकथित धर्म संसद में व्यापक रूप से हेट स्पीच का प्रयोग किया गया. हेट स्पीच भारत की बड़ी समस्याओं में से एक है जो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने तथा संप्रदायिकता को भड़काने के लिए प्रयोग की जाती है.

परिचय

- दिसंबर 2021 में हरिद्वार उत्तराखंड में एक तथाकथित धर्म संसद का आयोजन हुआ. इस धर्म संसद में कई वक्ताओं ने अपने वक्तव्य दिए. अधिकांश वक्ताओं का विषय हिंदुओं तथा भारत के लिए इस्लामिक संकट था. इसी धर्म संसद में स्वामी प्रबोध आनंद गिरी द्वारा यह वक्तव्य दिया गया कि दिल्ली सीमा पर हिंदुओं को मारा गया है, इस दौरान यह भी कहा गया कि आप (हिन्दू) या तो मरने के लिए तैयार रहें अथवा मारने के लिए. इसी धर्म संसद में नरसिंह आनंद द्वारा भी हिंसात्मक कार्यवाही का आवाहन किया गया। इस धर्म संसद में अधिकांश वक्ताओं द्वारा इस्लाम मानने वालों के विरुद्ध सशस्त्र हिंसा का आवाहन किया गया.
- यह सभी वक्तव्य हिंसा बढ़ाने वाले तथा धार्मिक सौहार्द को समाप्त कर संप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं. भारत में इस प्रकार के हेट स्पीच निरंतर आते रहते हैं जो सामाजिक सामंजस्य को बिगाड़ ने का प्रयास करते हैं इस स्थिति में यह आवश्यक है कि इस प्रकार के हेट स्पीचो को नियंत्रित जाए.

क्या है हेट स्पीच

कैम्ब्रिज की डिक्शनरी के अनुसार हेट स्पीच का अर्थ एक ऐसे सार्वजनिक वक्तव्य से है जो किसी व्यक्ति अथवा किसी समूह (धर्म मूल, लिंग अथवा लैंगिक अभिविन्यास के आधार पर) के विरुद्ध घृणा को बढ़ावा दें अथवा हिंसा को प्रेरित करें.
विभिन्न देशों में हेट स्पीच की परिभाषाएं भिन्न-भिन्न होती हैं.

भारत में हेट स्पीच की परिभाषाएं

- विधि आयोग की 267वी रिपोर्ट में हेट स्पीच को ऐसे अभिभाषण के रूप में परिभा. षित किया गया है जिसके द्वारा नस्ल, जाति, लिंग, लैंगिक अभिविन्यास, धार्मिक विश्वास इत्यादि के विरुद्ध घृणा तथा हिंसा को बढ़ाने का प्रयास किया गया हो.
- साइबर उत्पीड़न के मामले में जांच करने वाली एजेंसियों को दिए गए मैनुअल में पुलिस अनुसंधान तथा विकास ब्यूरो द्वारा हेट स्पीच को ऐसे अभिभाषण के रूप में परि-भाषित किया गया है जिसमे व्यक्ति या समूह के नस्ल, जाति, लिंग, यौन, विकलांगता, ध र्म के आधार पर उसके विरुद्ध अपमानजनक अभिव्यक्ति, धमकी, या बदनामी करने का प्रयास किया गया हो.

भारतीय कानून व्यवस्था तथा हेट स्पीच

भारतीय दंड संहिता में हेट स्पीच के लिए कोई अस्पष्ट परिभाषा नहीं है. यद्यपि इसे परिभाषित करने के उद्देश्य से केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आपराधिक कानूनों पर सुधार समिति का गठन किया गया है इस समिति की अनुशंसा अभी तक आई नहीं है.

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 (2):-

अत: यह स्पष्ट है कि हेट स्पीच के लिए अलग से कोई कानूनी व्याख्या नहीं है परंतु इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत वाक्यों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगने वाले युक्तियुक्त बन्धनों के अधीन एक श्रेणी के रूप में रखा गया है.
इसके साथ ही कुछ अन्य कानून ऐसे हैं जो हेट स्पीच को प्रतिबंधित करते हैं उन कानूनों का विवरण निम्नवत है.

भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए तथा 153 बी

इस कानून के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी धर्म, मूल, जन्म स्थान, भाषा, जाति, अथवा समुदाय या अन्य ऐसे किसी आधार पर विभेदात्मक भावना के साथ बोला , लिखा अथवा अभिव्यक्त किया गया कोई भी शब्द यदि किसी व्यक्ति अथवा समूह विशेष के विरुद्ध हिंसात्मक भावनाओं को भड़काता है अथवा सौहार्द के स्थिति

को बिगड़ता है तो दोषी को 3 वर्ष तक की निरुद्धि (कारावास) अथवा जुर्माना या दोनों हो सकता है.

भारतीय दंड संहिता की धारा 295 ए

यह धारा देश के किसी भी समुदाय की धार्मिक भावना को आहत करने के विरुद्ध प्रतिबंध आरोपित करता है. इस धारा का उल्लंघन करने की स्थिति में भी 3 वर्ष की कैद या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है.

भारतीय दंड सहिंता की धारा 505(1) तथा 505(2):

यह धारा विभिन्न वर्गों में शत्रुता, घृणा या वैमनस्य पैदा या सम्प्रवर्तित करने वाले कथन से सम्बंधित है. इसमें धर्म, मूलवंश, जन्म-स्थान, निवास-स्थान, भाषा, जाति या समुदाय के आधारों पर किसी अभिव्यक्ति के उत्पत्ति, रचना प्रकाशन अथवा परिचालन की स्थिति में तीन वर्ष तक का कारावास या आर्थिक दण्ड, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा.

अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 95

अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 95 राज्य को यह अधिकार देती है कि राज्य, 124 153 ए तथा बी 292, 293 तथा 295 के अंतर्गत हुए अपराधों के संदर्भ में किसी भी प्रकाशन समाचार पत्र पुस्तक या दृश्यात्मक प्रकाशन, यदि उस पर आपत्ति दर्ज की गई है, तो उसे प्रतिबंधित कर दे.

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा (8)

इस कानून के अनुसार हेट स्पीच का प्रयोग करने वाले जनप्रतिनिधि पर निर्वाचन में सम्मिलित होने से प्रतिबंधित कर दिया जाता है.

भारत में हेट स्पीच के कारण

- भारत की राजनीति में जातिवाद तथा ध र्म एक बड़ा फैक्टर होता है। इस राजनीतिक ध्रुवीकरण के चलते किसी विशेष समुदाय या जाति के तुष्टीकरण के लिए प्राय: हेट स्पीच का प्रयोग किया जाता है.
- यह सांस्कृतिक श्रेष्ठता की भावना से प्रेरित होता है तथा इसमें एक समुदाय को दूसरे समुदाय से कमतर आंका जाता है.
- भारत एक विविधता पूर्ण समाज है जहां प्राय: सांप्रदायिक दंगे होते रहते हैं जिसके कारण कई बार एक समूह दूसरे समूह के प्रति द्वेषात्मक भावनाओं को बनाए रखता है.
- हेट स्पीच का एक बड़ा कारण यह है कि भारत में सामाजिक तथा आर्थिक न्याय स्थापित करने के पूर्व ही राजनीतिक न्याय स्थापित कर दिया गया है. इस समस्या के कारण जाति तथा धर्म के आधार पर चुनावी मुद्दे तय होते हैं तथा यह कालांतर में हेट स्पीच का कारण बनती है.
- हेट स्पीच का एक मुख्य कारण यह है कि भारत में राज्य धर्मनिरपेक्ष तथा समाज धार्मिक प्रवृति का है. इस स्थिति में राज्य के संचालक वर्ग यथा मंत्री , बेयूरोक्रेसी इत्यादि जो समाज से आते हैं वे स्वभावत: धर्मनिरपेक्ष नहीं रहते.

हेट स्पीच के प्रभाव

- हेट स्पीच सांस्कृतिक सापेक्षतावाद के सिद्धांत को नकार देता है जिससे सामाजिक सामंजस्य बिगड़ जाता है.
- हेट स्पीच के द्वारा सांप्रदायिकता प्रबल हो जाती है जिससे आगे चलकर मॉब लिंचिंग अथवा सांप्रदायिक दंगों के होने की संभावना रहती है.
- यह शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना को नकार कर विविधता में एकता के तत्वार्थ के लिए संकट उत्पन्न करता है.
- हेट स्पीच असहिष्णुता को प्रदर्शित करता है जो किसी लोकतांत्रिक देश के लिए उचित नहीं है.
- हेट स्पीच के प्रयोग के द्वारा समाज में पहले से ही वंचित वर्ग (अनुसूचित जाति तथा जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग, महिलाएं, समलैंगिक समुदाय, भिखारी वर्ग इत्यादि) की वंचना और बढ़ जाती है तथा वह मुख्य धारा से दूर हो जाता है.
- हेट स्पीच का प्रभाव समाज में अराजकता को जन्म देता है तथा वंचित वर्ग के सदस्य की अपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित होने की प्रायिकता को बढ़ा देता है.

हेट स्पीच को कैसे कम किया जा सकता है ?

- हेट स्पीच के प्रभाव को कम करने के लिए सर्वाधिक आवश्यक है कि सामा. जिक तथा आर्थिक न्याय की जल्द से जल्द स्थापना की जाए. स्थापना होने के उपरांत सामाजिक तथा आर्थिक आधारों पर लोगों को विस्मृत करना कठिन होगा.
- स्पीच को कम करने के लिए यह आवश्यक है कि हेट स्पीच को परिभाषित किया जाए तथा कानून के विभिन्न सेक्शन से हटाकर इसके लिए एक पृथक धारा बनाई जाए तथा इसके उलंघन पर अधिक कठोर दंड की व्यवस्था की जाए.
- कानून के परिपेक्ष में यह किया जा सकता है कि जुर्माने का प्रावधान हटाकर मात्र का. रावास की व्यवस्था की जाए.
- राज्य का यह प्रयास होना चाहिए कि समाज यदि धर्मनिरपेक्षता को स्वीकार नहीं कर पा रहा है तो सांस्कृतिक सापेक्षता वाद को स्वीकारें. सांस्कृतिक सापेक्षता वाद के सिद्धांत के अनुसार सभी धर्म अपनी-अप. नी देश काल तथा परिस्थितियों के अनुसार उचित हैं इस सिद्धांत में कोई धर्म किसी से बड़ा अथवा छोटा नहीं है. सिद्धांत को मानने से शांतिपूर्ण सह अस्तित्व उत्पन्न होगा.

- यह आवश्यक है कि भारतीय संविधान में वर्णित समानता के अधिकार का तत्वार्थ रूप में प्रयोग किया जाए. 15 तथा 16 में वर्णित मूल लिंग तथा धर्म के आधार पर जो विभेदन के प्रतिषेध को वास्तविक रूप से लागू किया जाए.
- शिक्षा का प्रसार किया जाये.

निष्कर्ष

भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है तथा विविध ता में एकता इसकी सबसे अच्छी विशेषता है. जनता को विविधता में एकता के सिद्धांत का पालन आत्मसात करना चाहिए तथा हेट स्पीच देने वालों के बहकावे में नहीं आना चाहिए. लोगों को यह समझना होगा कि सामाजिक सौहार्द ही शांति तथा प्रगति का पथ प्रदर्शक होता है.

6 चुनाव कानून (संशोधन) विधयेक 2021

- **सन्दर्भ**
- **परिचय**
- **चुनाव (संशोधन) विधेयक-2021 के मुख्य प्रावधान**
- **संसोधन से होने वाले लाभ**
- **इन संशोधनों से होने वाली हानियां**
- **आगे की राह**
- **निष्कर्ष**

सन्दर्भ :-

हाल ही में संसद द्वारा चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक पारित किया गया. यह विधयेक चुनावी सुधारों को लागू करने के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 तथा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन करता है.

परिचय

भारत में संप्रभुता जनता में निहित होती है. परंतु जनता अपनी संप्रभु शक्तियों को अपने प्रतिनिधियों को हस्तांतरित करती है.जनता द्व ारा संप्रभु शक्तियों का हस्तांतरण निर्वाचन प्रक्रिया से होता है. भारत में चुनाव एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो लोकतंत्र को जी. वंत रखने में सहायक होता है. भारत में चुनाव मुख्य रूप से जन प्रतिनिधित्व अधि नियम 1950 तथा जन प्रतिनिधित्व अधि नियम 1951 द्वारा संचालित होते हैं. 1950 का अधिनियम जहाँ चुनावों के लिए सीटों के आबंटन और निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन, मतदाताओं की अहर्ता (क्वालिफिकेशंस) और मतदाता सूची से सम्बंधित है वहीँ 1951 के एक्ट में चुनाव कराने तथा चुनावों से संबंधित अपराध और विवादों से जुड़े प्रावधान हैं.

भारत में ऐसी कई समस्याएं हैं जो भारत में चुनाव की निष्पक्षता को प्रभावित करती हैं इसीलिए समय-समय पर सरकारों द्वारा विभिन्न सुधार किए जाते हैं जिससे चुनाव की पवित्रता बनी रह सके. दिसंबर 2021 में सरकार द्वारा लोकसभा में चुनाव (संशोधन) विधेयक- 2021 लाया गया वर्तमान में यह राज्य सभा तथा लोक सभा से पारित हो चुका है. यह संशोधन भारत में चुनाव सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा.

चुनाव (संशोधन) विधेयक-2021 के मुख्य प्रावधान

आधार से मतदाता सूची को लिंक करना:-

- चुनाव संशोधन विधेयक 2021 का सबसे मुख्य प्रावधान है कि मतदाताओं को अपना आधार मतदाता सूची से लिंक कराना होगा. 1950 के अधिनियम में यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन क्षेत्र से अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए आवेदन कर सकता है। इसके उप. रांत व्यक्ति द्वारा दी गई सूचनाओं की जांच की जाएगी तथा पंजीकरण अधिकारी संतुष्ट होने के उपरांत उसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित करेगा.
- हालिया संशोधन के अनुसार चुनाव पंजीकरण अधिकारी उस व्यक्ति से वेरी. फिकेशन के लिए आधार नंबर की मांग कर सकता है. यदि व्यक्ति का नाम पहले से ही मतदाता सूची में है तो उस सूची की प्रविष्टियों के प्रमाणीकरण के लिए उस व्यक्ति के आधार की आवश्यकता होगी. यदि कोई व्यक्ति अपना आधार नंबर नहीं देता है तो वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर ही उसे मतदाता सूची में स्थान दिया जाएगा। इन वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी.

मतदाता सूची में नामांकन के लिए पात्रता तिथि:

- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुसार जिस वर्ष मतदाता सूची तैयार की

जा रही है उस वर्ष के प्रथम दिन अर्थात 1 जनवरी को नामांकन की पात्रता की तिथि के रूप में प्रयोग किया जाता था.

- इसका अर्थ यह है कि यदि कोई व्यक्ति 1 जनवरी तक 18 वर्ष का नहीं हुआ तो उसे मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा. दूसरे शब्दों में 1 जनवरी के बाद 18 वर्ष पूर्ण करने वाला व्यक्ति मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए अगले वर्ष ही आवेदन कर सकता था। हालिया संशोधन चार पात्रता तिथियों 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई तथा 1 अक्टूबर का प्रावधान करता है.

चुनावी उद्देश्यों के लिए परिसर की मांग:

- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधान में राज्य सरकारों को यह अनुमति दी गई थी कि वे मतदान केंद्र बनाने तथा चुनाव के बाद मत पेटी रखने के उद्देश्य से परिसरों की मांग कर सकते थे. हालिया संशोधन इन उद्देश्यों में मतगणना वोटिंग मशीन चुनाव संबंधी सामग्री रखने के साथ-साथ सुरक्षा कर्मियों तथा मतदान कर्मियों के रहने के उद्देश्यों को भी सम्मिलित करता है.

लैंगिक तटस्थता :-

- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य रूप से रहने वाले लोगों को मतदाता सूची में अंकित करने का अधिकार देता है. सामान्यत यह माना जाता है कि जो व्यक्ति किसी निवारण निर्वाचन क्षेत्र में रह रहा है उसकी पत्नी भी उसी क्षेत्र की निवासी मानी जाती है. 1951 के प्रावधान के अनुसार सर्विस क्वालिफिकेशन के व्यक्तियों (सशस्त्र बल के सदस्य तथा भारत से बाहर नियुक्त केंद्र सरकार के कर्मचारी) के लिए पोस्टल बैलट द्वारा अथवा उनके स्थान पर उनकी पत्नी द्वारा मतदान का प्रावधान है.
- यह संशोधन विधेयक दोनों ही यदि नियमों में पत्नी शब्द के स्थान पर स्पाउस शब्द का प्रयोग करेगा जिसका उद्देश्य चुनावी प्रावधानों को लैंगिक तटस्थ बनाना है.

संसोधन से होने वाले लाभ

- भारत के चुनाव में कई प्रकार की अनिय. मितताएं व्याप्त है. कई बार फर्जी वोट डाले जाते हैं. इन फर्जी वोटो में मृतक के वोट, बाहर रहने वाले किसी व्यक्ति के वोट, घर की महिलाओं के नाम पर पुरुषों द्वारा डाले गए वोट इत्यादि सम्मिलित होते हैं. इसके साथ ही कई बार एक व्यक्ति दो स्थानों पर मतदाता सूची में नामांकित होता है वह दोनों ही स्थानों पर जाकर वोट डालता है. आधार कार्ड को आधार आईडी से लिंक करने की स्थिति में यह समस्याएं समाप्त हो सकती हैं.
- चुनाव कराने के उद्देश्य से कई चुनावी कर्मियों तथा सशस्त्र बल के सदस्यों को विभिन्न स्थानों पर तैनात होना पड़ता है. जहां उनके लिए आवश्यक सुविधाओं का अभाव होता है. इस संशोधन के द्वारा सशस्त्र बल के सदस्यों तथा चुनावी कर्मियों के लिए परिसर की व्यवस्था से इन सदस्यों को सुविधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा जिससे यह पूरी तन्मयता तथा ईमानदारी के साथ चुनावी प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करेंगे.
- पात्रता तिथि बढ़ाने से भी कई प्रकार के लाभ होंगे जिन्हें हम एक उदाहरण से समझते हैं. यदि एक व्यक्ति 30 दिसंबर 2021 को 18 वर्ष का हो जाता है तथा एक दूसरा व्यक्ति 2 जनवरी 2022 को 18 वर्ष का हो रहा है तथा मतदान मार्च जून 2022 में होने हैं. इन दोनों की निर्णय लेने की क्षमता में बहुत विशेष अंतर नहीं होगा परंतु पुरानी प्रावधानों के अनुसार 30 दिसंबर 2021 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाला व्यक्ति मतदान प्रक्रिया में भाग ले सकता है परंतु 2 जनवरी 2022 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाला व्यक्ति मतदान प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा. नवीन व्यवस्था इस असमानता को समाप्त करती है.
- पत्नी के स्थान पर स्पाउस या जीवन साथी शब्द का प्रयोग न सिर्फ लैंगिकता तटस्थता को लाएगा बल्कि यह उन सर्विस क्वालिफिकेशन महिलाओं को यह अधिकार देगा कि वे अपने जीवनसाथी के माध्यम से मतदान कर सकें.

इन संशोधनों से होने वाली हानियां

निजता का मुद्दा

आधार कार्ड में व्यक्ति की जैविक जानक. ारियां होती है. सरकार के पास रोबस्ट साइबर सिस्टम के अभाव तथा साइबर हमलों

की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को देखते हुए निजता को प्रभावित कर सकता है. हैकिंग द्वारा गुप्त मतदान के सिद्धांत के उलंघन की भी संभावनाएं रहेंगी.

चुनाव में कंपनियों का हस्तक्षेप:-

विभिन्न कंपनियों के पास भारी मात्रा में व्यक्तियों का आधार डाटा उपलब्ध है. विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ इस डाटा को शेयर करने के संदर्भ में व्यापार कर सकती हैं तथा यह चुनाव को प्रभावित भी करेगा.

परियोजना की सफलता में संदेह

- कई परियोजनाएं जिनमें आधार कार्ड को अन्य व्यवस्थाओं से लिंक किया गया है उनकी सफलता भी संदिग्ध है. उदाहरण स्वरुप मनरेगा में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का प्रावधान किया गया है जो आधार कार्ड मोबाइल नंबर तथा बैंक अकाउंट से संचा. लित होता है इसके उपरांत भी मनरेगा की पारदर्शिता पर संदेह बना रहता है.

समावेशन त्रुटि (इंकलुजन एरर)

- यह कुष्ठ रोग से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए भी चिंताओं को उत्पन्न करेगा. यदि आगे चलकर के यहां व्यवस्था हुई कि फिंगरप्रिंट को वेरीफाई कर के व्यक्ति मतदान करें तो इस स्थिति में कुष्ठ रोग से ग्रस्त व्यक्तियों के साथ समस्या उत्पन्न हो सकती है. ऐसी समस्या पीडीएस वितरण में आधार लिंक करने पर झारखंड के कुछ रोगियों के साथ हुई थी.

आगे की राह

- भारतीय चुनाव व्यवस्था में फर्जी वोट

का अपराधीकरण, राजनीति में जातिवाद , महिलाओं के प्रतिनिधित्व में कमी, सांप्रदा. यिकता, चुनाव में भाग लेने के प्रति उदास. ीनता जैसी कई अन्य समस्याएं हैं जिनका निदान आवश्यक है. वर्तमान संशोधन कई ऐसे प्रावधान कर रहा है जिनसे चुनावी सुधार होने की संभावनाएं हैं परंतु उपरोक्त समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कई अन्य कदम उठाये जाने की आवश्यकता है.

- भारत में चुनाव सुधार के लिए आवश्यक है कि सामाजिक,आर्थिक न्याय स्थापित किए जाएं। सामाजिक ,आर्थिक न्याय की स्थापना होने के उपरांत चुनाव में जातिवादी प्रभाव संप्रदाय प्रभाव तथा धन बल के प्रयोग में कमी आएगी। जब तक सामाजिक आर्थिक न्याय स्थापित नहीं होगा तथा चुनाव जाति ध र्म तथा धन पर केंद्रित होगा तब तक आप एक निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद नहीं कर सकते.
- इसके साथ ही राजनीति में अपराधीकरण को कम करने के लिए जनप्रतिनिधित्व के प्रावधानों को सख्त करने की आवश्यकता है इसके साथ ही साथ जन प्रतिनिधित्व अधि नियम 1951 की धारा 8 जो हेट स्पीच से संबंधित है उसमें दिए गए दंड को और अधिक सख्त किए जाने की आवश्यकता है.
- चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा दिए गए मेनिफेस्टो को एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में मान्यता देनी चाहिए.

निष्कर्ष

हालांकि चुनाव में सुधार एकाएक नहीं हो सकते. धीरे धीरे इन सुधारो को व्यवस्था का भाग बनाना होगा। सरकार तथा भारतीय निर्वाचन आयोग इन दिशाओ में प्रयासरत हैं. ईवीएम का प्रयोग, वीवीपैट का प्रयोग, चुनाव लड़ने से निर्हर्ता के प्रावधान इत्यादि चुनाव सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. चुकी चुनाव जनता द्वारा सम्प्रभुता हस्तांतरण की प्रक्रिया है अत: यह पवित्र होनी भी चाहिए तथा पवित्र दिखनी भी चाहिए। यह लोकतंत्र को मजबूत करेगा.

7 इथियोपिया में गहराता गृहयुद्ध

- सन्दर्भ
- परिचय
- इथियोपिया के विषय में
- इथोपिया संघर्ष :एक नजर में
- इस संघर्ष के प्रभाव
- भारत पर प्रभाव
- निष्कर्ष
- आगे की राह

संदर्भ:-

वर्तमान समय में इथियोपिया में टाइग्रे क्षेत्र तथा ष्अबी अहमद के नेतृत्व वाली संघीय सरकारष् के मध्य चल रहे गृह युद्ध के शांत होने की कोई संभावना नहीं दिख रही है. वैश्विक राजनीतिक शक्तियों के हस्तक्षेप के साथ यह गृहयुद्ध गंभीर होता जा रहा है.

परिचय

लंबे समय तक इरिट्रिया से सीमा विवाद में फंसे रहने के बाद अब इथियोपिया गृह युद्ध से घिर चुका है। इस युद्ध में एक तरफ अबी अहमद के नेतृत्व वाली संघीय सरकार है जिसमें इथोपियन डिफेंस फोर्स, इरिट्रिया डिफेंस फोर्स, अम्हारा डिफेंस फोर्सज सम्मिलित है वही दूसरी तरफ विद्रोही समूह में टाइग्रे पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट, ओरोमा लि. बरेशन आर्मी तथा टीडीएफ सम्मिलित हैं. टीपीएलएफ के द्वारा अम्हारा क्षेत्र में कब्जा करने का दावा किया गया है तथा इनकी सेनाएं राजधानी से महज 380 किलोमीटर दूर रह गई हैं। इस स्थिति के कारण इथियोपिया में आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई है. इस स्थिति से निदान के लिए प्रधानमंत्री अभी अहमद ने अनिवार्य सैनिक सेवा का आवाह्न किया है. अबी अहमद को तुर्की, ईरान तथा संयुक्त अरब अमीरात से सहायता भी प्राप्त हो रही है. दोनों ही पक्ष समझौते पर सहमत नहीं हो रहे हैं. जिससे यह गृह युद्ध और अधिक गंभीर होता जा रहा है. अभी हाल ही में इरिट्रिया के साथ दो दशक पुराने सीमा विवाद को समाप्त करने के उपरांत इथियोपिया में हुए इस संघर्ष ने एक बार फिर इस अफ्रीकी देश पर संकट उत्पन्न कर दिया है.

इथियोपिया के विषय में

- यह हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित एक स्थल-रुद्ध देश है जिसे आधिकारिक रूप में इथियोपिया संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य के नाम से जाना जाता है.
- क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से यह अफ्रीका का दसवाँ सबसे बड़ा देश है.
- इसकी राजधानी अदीस अबाबा है.
- इथियोपिया दक्षिणपूर्व में सूडान से,

दक्षिण में इरिट्रिया से, पश्चिम में जिबूती और सोमालिया से, केन्या से उत्तर में और दक्षिण सूडान से पूर्व में स्थित है.

- यह दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला स्थल-रुद्ध देश है.

इथोपिया संघर्ष :एक नजर में

- वर्तमान समय में इथियोपिया में 70 से अधिक नृजातीय समूह है। इसमें ओरोमो 34.5%, अम्हारा 26.91%, सोमाली 6.20%, टिग्रे 6.07% हैं.
- 1974 में यहां सम्राट हेली सीलासी का शासन समाप्त करके एकल पार्टी राष्ट्र व्यवस्था अपनाई गई परंतु 1987 से 1991 किस समय में वहां पुन: सत्ता संघर्ष आरंभ हो गया और संघीय शासन व्यवस्था को लाया गया.
- इरिट्रिया जो पहले इथियोपिया का ही हिस्सा था 1991 में इथियोपिया से अलग हो गया। 1998 से 2000 तक युद्ध की स्थिति बनी। 2018 तक इरिट्रिया तथा इथोपिया में सीमा पर तनाव बना रहा। 2018 में प्रधानमंत्री के पद पर अबी अहमद का निर्वाचन हुआ तथा उन्होंने इरिट्रिया के साथ सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस शांति समझौते के लागू होने के उपरांत अबी अहमद को 2019 के नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया.
- परंतु फिर वर्तमान संघर्ष अभी अहमद के प्रधानमंत्री बनने के उपरांत ही आरंभ हुआ. अबी अहमद जोकि ओरोमा समुदाय से आते हैं, उन पर टिगरे समुदाय के स्थानीय नेताओं ने आरोप लगाए कि अबी अहमद के नेतृत्व में टिगरे समुदाय का सैन्य अधिकारियों तथा ब्यूरोक्रेट के द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है.
- ध्यातव्य हो कि टिगरे के मूल निवासियों इथियोपिया का लड़ाकू समुदाय के रूप में माने जाते हैं तथा 60 फीसदी वरिष्ठ सैन्य पदों पर टिगरे निवासियों का ही वर्चस्व है. अबी अहमद इस आंकड़े को 25 फीसदी तक लाने हेतु प्रतिबद्ध थे.
- इसके साथ ही विभिन्न अंतरराष्ट्रीय एजें. सियों द्वारा अबी अहमद के पर इथियोपिया में प्रेस स्वतंत्रता को कम करने इंटरनेट शटडाउन लगाने तथा व्यक्तिगत अधिकारों को कम करने के आरोप लगाए गए.
- अबी अहमद की की नीतियों के फल. स्वरूप टिगरे समुदाय का असंतोष बढ़ता गया तथा वहां गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई. टिगरे क्षेत्र में फेडरल सरकार के विरोध में एक चुनाव का आयोजन किया गया परंतु फेडरल सरकार ने उस चुनाव को गैरकानूनी घोषित कर दिया इस निर्णय के उपरांत टिगरे अथॉरिटी तथा फेडरल सरकार के मध्य संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई.
- टिगरे के सैन्य दल द्वारा पड़ोसी देश इरिट्रिया की राजधानी असमारा में मिसाइलें दागी गई जिसके उपरांत इथियोपिया की फेडरल सरकार में टिगरे सैन्य दल (टिगरे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट) के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष की घोषणा कर दी.

इस संघर्ष के प्रभाव

इथोपिया निवासियों पर प्रभाव

- वास्तव में अभी तक इथियोपिया में पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक स्थायित्व नहीं आ सका है 1974 तक का राजतंत्र , तदोपरांत सत्ता संघर्ष ,फिर इरिट्रिया से युद्ध उसके उपरांत आंतरिक ग्रह युद्ध.
- यह समस्या इथोपिया के निवासियों के सामाजिक उत्थान ,आर्थिक सुधार ,राजनी. तिक विकास, तथा प्रौद्योगिकी विकास को रोककर इथियोपिया का एक राष्ट्र के रूप में निर्माण को बाधित करती है.
- हालांकि, इस खूनी गृहयुद्ध के कारण, हजारो लोगों को मृत्यु का वरण करना पड़ा जबकि 2 मिलियन से अधिक लोग बेघर हो गए. संघीय सरकार की मनमानी नीतियों के कारण टाइग्रे क्षेत्र में व्यापक भूखमरी की स्थिति है. लगभग 400,000 लोग अकाल जैसी स्थितियों का सामना कर रहे हैं. लोगों तक स्वास्थ्य तथा भोजन जैसी आवश्यक चीजे उपलब्ध नहीं हैं. इसके साथ ही इथियोपिया में योन आक्रमण , मानवाधिकार का हनन तथा शरणार्थी संकट स्थिति भी बन रही है.

इथियोपिया के गृह युद्ध में चीन

- टाइग्रे गृह युद्ध के प्रारंभ होने तक अमे. रिका इथियोपिया को अपना स्थित भागीदार

मानता था. 2016 से 2020 तक अमेरिका द्वारा इथोपिया को 4.2 इपससपवद-कवससंत की मानवीय सहायता दी गई थी. परंतु गृह युद्ध के बाद स्थिति परिवर्तित होती दिख रही है.

- यदि अमेरिका सहायता देना बंद करता है तो चीन इस शून्यता को भरने के लिए आ सकता है. वर्तमान में चीन के द्वारा अबी अहमद शस्त्र आपूर्ति कर रहा है. इथियोपिया में चीन के मजबूत होने से चीन की पहुंच पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र के साथ-साथ लाल सागर तथा अफ्रीका के महत्वपूर्ण क्षेत्र में हो जाएगी.
- जिबूती में पहले से ही चीन का एक सैन्य अड्डा है इसके साथ ही साथ यह केन्या, सूडान तथा दक्षिणी सूडान जैसे देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध है. यह स्थितियां चीन को अफ्रीका में मजबूत करेंगे.

अन्य अफ्रीकी देशों पर प्रभाव

- इथोपिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका का क्षेत्र है जहां इथियोपिया के अतिरिक्त इरिट्रिया जिबूती तथा सूडान जैसे देश हैं. इथियोपिया के टिग्रे समुदाय द्वारा इरिट्रिया की राजधानी पर मिसाइलों का प्रहार किया जाना अन्य देशों को भी शंकित करता है.
- इस संघर्ष में इरिट्रिया की सेनाएं इथियो. पिया की संघीय सरकार का साथ दे रही हैं। इसके साथ ही तुर्की, सऊदी अरब जैसे देश संघीय सरकार को शस्त्र भी प्रदान कर रहे हैं.
- इस क्षेत्र के अन्य देशों द्वारा इथियोपिया की सरकार को इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए कहा गया है. सूडान इस समय संकट ग्रस्त है तथा इस संघर्ष से मिस्र भी प्रभावित होगा क्योंकि नील

नदी के स्रोतों का महत्वपूर्ण हिस्सा इथियो. पिया से जाता है। इस प्रकार इथियोपिया का संघर्ष सम्पूर्ण क्षेत्र को प्रभावित करेगा.

• इसके साथ ही इथियोपिया का गृह युद्ध चीन, तुर्की ,संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों को अफ्रीका में स्थान दे रहा है। जो कालांतर में अफ्रीका के लिए संकट बन सकता है.

वैश्विक संगठनों पर प्रभाव

इस संघर्ष से वैश्विक संगठन भी प्रभावित हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष में इथियो. पिया में हो रहे संघर्ष की भर्त्सना की है। संयुक्त राष्ट्र संघ, अफ्रीकी संघ भी यहाँ हो रहे संघर्ष की भर्त्स्ना कर रहे हैं.

भारत पर प्रभाव

• भारत इस समय अफ्रीका को अपनी कूटनीति कब महत्वपूर्ण भाग मानता है. भारत के द्वारा अफ्रीकी देशों में विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं. भारत भारतीय लोगों द्वारा इथोपिया में शिक्षण कार्य तथा औद्योगिक कार्य किया जाता है.

• संघर्ष की स्थिति में भारत की वह जन. संख्या जो इथोपिया में है,उसे कुछ संकट का सामना करना पड़ेगा। भारत की सरकार अपनी विदेशों में रहने वाली जनसंख्या की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है इस स्थिति में भारत की चिंताएं बढ़ जाएंगी.

• अफ्रीका में चीन के पहुंच से भी भारत को चिंतित होने की आवश्यकता है. क्योंकि इससे चीन पश्चिमी हिन्द महासागर में मजबूत स्थिति में होगा.

वैश्विक शरणार्थी संकट

• युद्ध से शरणार्थी संकट भी उत्पन्न होता है. वर्तमान में सूडान सहित विश्व के कई देश शरणार्थी संकट से जूझ रहे हैं. भारत में भी बांग्लादेश से आने वाले शरणार्थियों को लेकर कई बार संघर्ष हो चूका है. यह संघर्ष कहीं न कहीं शरणार्थी संकट को बढ़ाएगा.

• संघर्ष के कारण इथियोपिया में 2 मिलियन से अधिक लोग बेघर हो गए। यूरोपीय जगत भी सीरियाई संकट से जूझ रहा है. इस प्रकार इथियोपिया का संकट वैश्विक शरणार्थी संकट को बढ़ाएगा.

वैश्विक अशांति को में वृद्धि

• इस समय जहां संपूर्ण विश्व में संघर्ष व्याप्त हैं. म्यांमार की रोहिंग्या समस्या श्रील. 'का में तमिल समस्या अमेरिका में नस्लवाद, जैसी नृजातीय समस्याएं बढ़ रहीं.

• इथियोपिया में हो रहा यह संघर्ष इन नृजातीय आंदोलनों को हिंसात्मक मार्ग चुनने का विकल्प दे सकता है. जो वैश्विक आतं. कवाद को भी बढ़ावा दे सकता है.

निष्कर्ष

इस युद्ध से इथियोपिया की राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अबी अहमद की सरकार को यह समझना होगा कि एक बहुजातीय संघीय व्यवस्था में केंद्रीकरण की प्रवृत्तियां संकट को जन्म देती हैं। जबकि टाइग्रे समुदाय को इस मामले में लोकतान्त्रिक पद्धति का प्रयोग करना चाहिए था। बहरहाल इन दोनों के तनाव से इथियोपिया सहित सम्पूर्ण अफ्रीका ग्रस्त हो गया है। जिसका लाभ अन्य वैश्विक शक्तियां उठा रही हैं।

आगे की राह :-

• संघीय व्यवस्था का आधार संविधान है. अत: इस समस्या का निदान भी संवैधानिक पद्धति से करना चाहिए.

• वास्तव में युद्ध का कोई भी रूप मानवता के विकास में बाधक है ऐसे में संप्रभु राष्ट्रों तथा वैश्विक संगठनों का यह दायित्व है कि वह इन संघर्षों को रोके-

• यह सर्वाधिक आवश्यक है कि इथियो. पिया के प्रधानमंत्री अपने देश में व्याप्त विश्वास संकट को कम करने का प्रयास करें. इसके लिए उन्हें प्रेस स्वतंत्र की बहाली तथा विद्रोही समूह से वार्ता के विषय में आगे बढ़ना होगा.

• इथियोपिया के अन्य समुदाय को इस गतिरोध तथा तनाव को कम करने में अपनी भूमिका निभानी होगी.

• संयुक्त राष्ट्र संघ, अफ्रीकी संघ को प्रयास करके वहां शांति स्थापित कर लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान के द्वारा वहां गरीबी तथा भूखमरी का निदान करना होगा.

• हालाँकि इसके साथ ही अन्य देशो यथा अमेरिका, चीन, टर्की, को भी शांति बहाल करने की दिशा में काम करना होगा.

• यद्यपि यह इथियोपिया की समस्या है परंतु इस विश्व की विभिन्न समस्याओं का प्रतिबिंब अंकित करता है. अत: विश्व के सम्प्रभू राष्ट्रों, वैश्विक संगठनों, प्रभावशाली प्राधिकरणों तथा जमीनी स्तर पर प्रभावशाली व्यक्तियों को शांति की आवश्यकता समझ कर मानव विकास के पथ पर अग्रसर होने के लिए कदम बढ़ाने होंगे। इस दृष्टिकोण में धर्मनिरपेक्षता, मानववाद, बहुसंस्कृतिवाद तथा लोकतंत्र के सिद्धांतो को आत्मसात करना आवश्यक है.

NOTES

संक्षिप्त मुद्दे

राष्ट्रीय

1 नीति आयोग का वर्नाक्युलर इनोवेशन प्रोग्राम

भारत सरकार ने देश में मानव संसाधन विकास को मजबूती देने और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए युवाओं और उद्यमियों की सोच को नवाचार आधारित बनाने के उद्देश्य से नीति आयोग के तत्वावधान में नई पहलें की हैं. देश भर में नवोन्मेषकों और उद्यमियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य के साथ, अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) और नीति आयोग अपनी तरह का पहला वर्नाक्युलर इनोवेशन प्रोग्राम (वीआईपी) लेकर आया है. इस वर्नाक्युलर इनोवेशन प्रोग्राम में नवोन्मेषकों और उद्यमियों को भारत सरकार की 22 अनुसूचित भाषाओं में नवाचार इको-सिस्टम तक पहुंच बनाने में सक्षम बनाएगा.

वीआईपी के लिए आवश्यक क्षमता निर्माण को लेकर, अटल इनोवेशन मिशन 22 अनुसूचित भाषाओं में से प्रत्येक की पहचान के बाद एक वर्नाक्युलर टास्क फोर्स (वीटीएफ) को प्रशिक्षण प्रदान करेगा. प्रत्येक टास्क फोर्स में स्थानीय भाषा के शिक्षक, विषय विशेषज्ञ, तकनीकी लेखक और क्षेत्रीय अटल इनक्यूबेशन सेंटर (एआईसी) का नेतृत्व शा. मिल है.

नीति आयोग ने कहा है कि भारत इस तरह की पहल शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश हो सकता है जहां 22 भाषाओं के साथ-साथ अंग्रेजी में एक नवाचार इको-. सिस्टम बनाया जा रहा है. किसी की भाषा तथा संस्कृति में सीखने की पहुंच प्रदान करके, एआईएम स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक नवाचार पाइपलाइनों को समृद्ध करने के लिए तत्पर है.

यहां यह जानना ठीक रहेगा कि अटल नवाचार मिशन (एआईएम), नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष (यूएनसीडीएफ) ने अपने महत्वाकांक्षी नवाचारी एग्री-टेक कार्यक्रम के लिए अपना पहला एग्री-टेक चौलेंज कोहॉर्ट शुरू किया है, जिसका उद्देश्य कोरोना महामारी के परिणामस्वरूप पैदा हुई चुनौतियों से निपटने में एशिया और अफ्रीका के छोटे किसानों की मदद करना है.

एआईएम, नीति आयोग ने यूएनसीडीएफ बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और राबो फाउंडेशन के साथ भागीदारी में साउथ-साउ. थ इनोवेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, ताकि इस साल जुलाई 2021 में नवाचारों, परिज्ञान और निवेशों का एक देश से दूसरे देश में आदान-प्रदान को सक्षम बनाया जा सके. इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारत, इंडोनेशिया, मलावी, मलेशिया, केन्या, युगांडा, जाम्बिया के उभरते हुए बाजारों में 'क्रॉस बॉर्डर' सहयोग स्थापित हो सकेगा.

2 मोटे अनाजों को दिया जायेगा बढ़ावा

खाद्य सुरक्षा के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए और खाद्यान्न संसाधनों में एक संतुलन स्थापित करने के नजरिये के साथ नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ 20 दिसंबर, 2021 को एक आशय घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किये हैं. इस साझेदारी के तहत मोटे अनाज को मुख्यधारा में लाने पर ध्यान दिया जायेगा और 2023 को अंत. र्राष्ट्रीय कदन्न वर्ष (इंटरनेशनल मिलेट ईयर) होने के नाते इस अवसर पर भारत को ज्ञान के आदान-प्रदान के क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करने में समर्थन दिया जायेगा.

कदन्न अथवा मोटे अनाज फसलों (ज्वार, बाजरा, रागी, मडुवा, सावां, कोदों, कुटकी, कंगनी, चीना आदि मोटे अनाज) के महत्त्व को पहचान कर भारत सरकार ने 2018 को कदन्न वर्ष के रूप में मनाया था, ताकि मोटे अनाज के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जा सके. इस पहल को आगे बढ़ाते हुये, भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र आमसभा में 2023 को अंतर्राष्ट्रीय कदन्न दिवस के रूप में घोषित करने के प्रस्ताव का नेतृत्व किया था.

संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) ने भा. रत द्वारा प्रायोजित प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया है. इसके तहत 2023 को 'मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष' घोषित किया गया है. इस प्रस्ताव का 70 से अधिक देशों ने समर्थन किया. भारत के अलावा बांग्लादेश, केन्या, नेपाल, रूस और सेनेगल ने भी 2023 को मिलेट का अंतरराष्ट्रीय साल घोषित करने के लिए प्रस्ताव दिया था. मिलेट के उपभोग से पोषण, खाद्य सुरक्षा और किसानों का कल्याण होता है. मिलेट के क्षेत्र में इससे कृषि वैज्ञानिकों और स्टार्ट अप्स के लिए रिसर्च की नई संभावनाए तैयार होंगी.

3 नीति आयोग स्वास्थ्य सूचकांक

संदर्भ

हाल ही में नीति आयोग द्वारा, विश्व बैंक तथा केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से, स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया है.

सूचकांक के मुख्य बिंदु

- इस रिपोर्ट के अनुसार बड़े राज्यों में केरल ने 82.2 के स्कोर के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया है. वही उत्तर प्रदेश 30.57 के स्कोर के साथ निम्नतम स्थान पर है.
- यह स्वास्थ्य सूचकांक राज्यों की स्वास्थ्य के क्षेत्र में तैयारी के प्रदर्शन पर आधारित होता है.
- इस रिपोर्ट के अनुसार 47% राज्यों ने पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है.
- इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश अंतिम स्थान पर रहा, किन्तु पिछले वर्ष की तुलना में 5.57 स्कोर अधिक प्राप्त करके यह सर्वाधिक सुधार वाला राज्य बना. (पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश का स्कोर 25 था.)
- सूचकांक में केरल लगातार 4 वर्षों से शीर्ष स्थान पर है.

श्रेणियाँ : सूचकांक का आधार

यह स्वास्थ्य सूचकांक मुख्य रूप से तीन श्रेणियों पर आधारित होते हैं :-

1- हेल्थ आउटकम या स्वास्थ्य परिणाम,
2- शासन तथा बुनियादी ढांचा,
3- की इनपुट एंड प्रोसेस (महत्वपूर्ण इनपुट तथा प्रक्रिया)

हेल्थ आउटकम

इसमें नवजात मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर तथा जन्म के समय लिंगानुपात को शामिल किया जाता है.

शासन तथा बुनियादी ढांचा

इस श्रेणी के अंतर्गत संस्थागत प्रसव, नियुक्त व्यक्तियों की क्षमता तथा अस्पतालों में बुनियादी ढांचे को सम्मिलित किया जाता है.

की इनपुट्स एंड प्रोसेस

इस श्रेणी में हेल्थ केयर प्रोवाइडर तथा उनके द्वारा अनुशंसित कार्यात्मक स्वास्थ्य सुविधाएं, जन्म तथा मृत्यु रजिस्ट्रेशन, क्षय रोग के निदान में सफलता दर को सम्मिलित किया जाता है

बड़े राज्यों के सन्दर्भ में आकड़े

स्वास्थ्य सूचकांक में तीन शीर्ष बड़े राज्य

- प्रथम स्थान- केरल (स्कोर-82.2)
- द्वितीय स्थान- तमिलनाडु (स्कोर-72.42)
- तृतीय स्थान- तेलंगाना (स्कोर-69.96)

स्वास्थ्य सूचकांक में अंतिम तीन बड़े राज्य

- 19वां- उत्तर प्रदेश (स्कोर-30.57)
- 18वां- बिहार (स्कोर-31)
- 17वां- मध्य प्रदेश (स्कोर-36.72)

पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक सुधार करने वाले तीन बड़े राज्य

1. उत्तरप्रदेश- 5.57 अंकों का सुधार
2. असम- 4.34 अंक का सुधार
3. तेलंगाना- 4.22 अंक का सुधार

पिछले वर्ष की तुलना में नकारात्मक प्रदर्शन करने वाले बड़े राज्य

- कर्नाटक- 1.37 अंकों की गिरावट के साथ 9वां स्थान
- हरियाणा- 0.55 अंकों की गिरावट के साथ 11वां स्थान
- राजस्थान- 0.25 अंकों की गिरावट के साथ 16वां स्थान
- छत्तीसगढ़- 0.09 अंकों की गिरावट के साथ 10वां स्थान
- हिमाचल प्रदेश- 0.06 अंकों की गिरावट के साथ 7वां स्थान

सूचकांक में छोटे राज्यों से सम्बंधित आंकड़े

स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष तीन छोटे राज्य

- प्रथम स्थान- मिजोरम (स्कोर-75.77)
- द्वितीय स्थान- त्रिपुरा (स्कोर-70.16)
- तृतीय स्थान- सिक्किम (स्कोर-55.53)

स्वास्थ्य सूचकांक में अंतिम तीन छोटे राज्य

- 8वां- नागालैंड (स्कोर-27)
- 7वां- अरुणांचल प्रदेश (स्कोर-33.91)
- 6वां- मणिपुर (स्कोर-34.67)

पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक सुधार करने वाले तीन छोटे राज्य

1. मिजोरम- स्कोर 18.45
2. मेघालय- स्कोर 17.7
3. नागालैंड- स्कोर 3.43

पिछले वर्ष की तुलना में नकारात्मक प्रदर्शन करने वाले छोटे राज्य

- गोवा- 12.68 अंकों की गिरावट
- मणिपुर- 5.73 अंकों की गिरावट
- अरूणांचल प्रदेश- 1.54 अंकों की गिरावट
- सिक्किम- 0.72 अंकों की गिरावट

केंद्रशासित प्रदेश के सन्दर्भ में आकड़े

सूचकांक में शीर्ष तीन केंद्रशासित प्रदेश

- प्रथम स्थान- दादरा नागर हवेली तथा दमन दीव (स्कोर-66.19)
- द्वितीय स्थान- चंडीगढ़ (स्कोर-62.53)
- तृतीय स्थान- लक्षद्वीप (स्कोर-51.88)

सूचकांक में अंतिम तीन केंद्रशासित प्रदेश

- 7वां- अंडमान तथा निकोबार (स्कोर-44.74)
- 6वां- जम्मू तथा कश्मीर (स्कोर-47)
- 5वां- दिल्ली (स्कोर-49.85)

पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक सुधार करने वाले तीन केंद्रशासित प्रदेश

1. दिल्ली- 9.68 अंको का सुधार

2. जम्मू तथा कश्मीर- 9.55 अंको का सुधार
3. लक्षद्वीप- 7.72 अंको का सुधार

पिछले वर्ष की तुलना में नकारात्मक प्रदर्शन करने वाले केंद्र शासित प्रदेश

- चंडीगढ़- 10.85 अंक की गिरावट
- दादरा नगर हवेली दमन तथा दीव- 3.5 3 अंक की गिरावट

4 आधुनिकता की तरफ बढ़ते भारतीय सेना के कदम

संदर्भ

हाल ही में भारतीय सेना द्वारा क्वांटम कंप्यू. टिंग प्रयोगशाला तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता का केंद्र स्थापित किया गया है. यह भारतीय सेना के आधुनिकता की तरफ बढ़ते कदमों को प्रदर्शित करता है.

मुख्य बिंदु

- सेना द्वारा इन केंद्रों को मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर स्थापित किया गया है।
- भारतीय सेना ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के सहयोग से क्वांटम कंप्यूटर प्रयोगशाला स्थापित की है.
- इसके साथ ही साथ भारतीय सेना ने शिक्षाविदों तथा उद्योगपतियों के सहयोग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता का केंद्र भी स्थापित किया है.
- ये प्रयोगशालाएं साइबर अपराधों के रोक. थाम तथा साइबर युद्धो में सहायक होंगी.
- इन संस्थानों का मुख्य उद्देश्य नवीनतम प्रौद्योगिकियों के विकास में सहयोग करने से है.

क्या है क्वांटम कंप्यूटिंग

- क्वांटम शब्द का अर्थ परमाणु तथा प्राथ. मिक कणों के अध्ययन से है. क्वांटम कंप्यू. टिंग के विकास के उपरांत प्रकाश तथा पदा. र्थ की अंत:क्रिया सहित भौतिक जगत की मूलभूत विशेषताओं को समझने में सहायता मिलेगी. इन्हीं सिद्धांतों के उपयोग से लेजर तथा सेमीकंडक्टर के अविष्कार तथा उनके अनुप्रयोग संभव हो पाए हैं.
- क्वांटम कंप्यूटिंग सुरक्षित संचार अनुसंध न, आपदा प्रबंधन शोध तथा नए अणुओं की खोज से स्वास्थ्य व ऊर्जा सुरक्षा में सहायक होगा.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता का तात्पर्य मुख्य रूप से मशीनों में समझ विकसित करने से है.
- विशेषज्ञों का मानना है कि चतुर्थ औद्यो. गिक क्रांति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बड़ी भूमिका होगी.
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रयोग से भारत कृषि, डिजिटल शासन, शिक्षा, प्रौद्योगिकी, सेना, स्वास्थ्य इत्यादि के क्षेत्र में प्रगति कर सकता है.
- भारत में व्यापक डेटाबेस होने के कारण कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास की पूरी संभा. वनाएं हैं.
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग भारत के द्वारा 5 ट्रिलियन इकोनामी तक पहुंचने के लक्ष्य में भी सहयोगी होगा.
- यद्यपि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ कुछ चुनौतियां यथा निजता का हनन, तकनीकी तथा डिजिटल पिछड़ापन, बेरोजगारी तथा असमानता में वृद्धि इत्यादि भी संबद्ध है.

निष्कर्ष

हम यह कह सकते हैं कि आने वाला समय क्वांटम तकनीक, इंटरनेट आफ थिंग्स, आ. र्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स जैसे तकनीकों तथा प्रौद्योगिकियों का है इस स्थिति में भारत सरकार द्वारा भी निरंतर तकनीकी उन्नयन का प्रयास किया जा रहा है. भारत की सेना भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए एक आवश्यक अंग है इस स्थिति में सेना का वैश्विक परिस्थितियों के अनुसार तकनी. की उन्नयन अत्यंत आवश्यक है. अत: इन संस्थानों की स्थापना एक सराहनीय कदम है.

NOTES

अंतरराष्ट्रीय

1 चीन का नया सीमा कानून तथा भारत-चीन सीमा संबंध

संदर्भ:-

हाल ही में चीन के नागरिक मामलों के मंत्र. ालय ने भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य के 15 स्थानों को नवीन नाम स्टैंडर्डाइज्ड किया है. चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय द्व ारा यह कार्य चीन संसद द्वारा नवीन सीमा कानून पारित करने के उपरांत किया गया है. इस प्रकार चीन का नवीन सीमा कानून भारत चीन के मध्य बढ़ रहे तनाव को और अधिक बढ़ा सकता है.

परिचय:-

सर्वप्रथम 2017 में चीन के प्राधिकरणों ने पहली बार अरुणाचल प्रदेश के छह स्थानों के लिए "आधिकारिक" नाम जारी किए थे. यह कदम तात्कालिक समय में दलाई लामा द्वारा राज्य का दौरा करने के बाद जवाबी कार्रवाई के रूप में देखा गया था. वर्तमान में जारी की गई नई सूची अधिक विस्तृत है. यह पश्चिम में तवांग से लेकर पूर्व में अंजॉ तक अरुणांचल प्रदेश के 11 जिलों को समाहित करता है. नवीन सूची में चीन द्वारा आठ शहर, चार पहाड़, दो नदियाँ और एक पहाड़ी दर्रा के नाम को "मानकीकृत" किया गया है. यह ध्यान देने योग्य है कि चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय द्वारा यह कार्य चीनी संसद द्वारा नवीन सीमा कानून पारित करने के उपरांत किया गया है.

इन नवीन नामों का प्रयोग चीन अपने आधि कारिक चीनी दस्तावेजों और मानचित्रों में करेगा. इन मानचित्रों में अरुणाचल को "दक्षिण तिब्बत" के रूप में दिखाया जाता है. भारत ने इसके प्रतिउत्तर में कहा कि "आ. विष्कृत नामों को निर्दिष्ट करने" से जमीन स्तर पर कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभि. ान्न अंग है. ध्यातव्य हो कि इन स्थानों का मानकीकरण 1 जनवरी, 2022 को लागू होने वाले चीन के नए भूमि सीमा कानून से पहले आया, भारत द्वारा इसपर अपनी आपत्ति दर्ज की गई है.

क्या है चीन का नवीन कानून?

- हाल ही में चीन द्वारा एक नवीन सीमा कानून लाया गया है तथा यह कानून 1 जन. वरी 2022 से लागू है. इस कानून के अनुसार सेना तथा राज्य चीन द्वारा क्लेम किये गए क्षेत्रो की रक्षा तथा सुरक्षा हेतु प्रतिबद्ध होंगे. वैश्विक शक्तियों के हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में बढ़त तथा भूटान व भारत के साथ असुलझे सीमा विवाद के परिपेक्ष्य में चीन का यह कदम पुन: तनावों को जन्म दे सकता है.
- "लैंड बॉर्डर ला" के नाम से निर्मित इस कानून में 62 अनुच्छेद तथा 7 अध्याय है जो इमिग्रेशन से सीमा सुरक्षा, सीमा निर्धारण, सीमा प्रबंधन तथा व्यापार से संबंधित हैं.
- इस कानून के अनुच्छेद 7 के प्रावधानों के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के स्थानों का नया नाम परिवर्तित किया गया है.
- यह कानून चीन के सैन्य तथा नागरिक अधिकारियों को राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा के लिए आवश्यक उचित कदमों को उठाने में सशक्त करती है.
- ध्यातव्य हो कि चीन द्वारा भारत तथा भूटान के कई क्षेत्रों पर अनाधिकृत क्लेम किया गया है. भारत ने यह कहा है कि चीन का यह नया कानून चीन के सेना द्वारा किए जा रहे गैर कानूनी गतिविधियों को विधिक सहायता देगा तथा इससे हो सकता है सीमा प्रबंधन पर द्विपक्षीय तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाए.
- लगभग 2 वर्षो से भारत तथा चीन सीमा पर निरंतर विवाद की स्थिति उत्पन्न है. इस स्थिति में यह कानून भारत के साथ चीन सम्बन्धो के तनाव को और बढ़ा सकता है.

निष्कर्ष:-

भारत तथा चीन सम्बन्धो में तनाव तथा अवसर दोनों हैं. वर्तमान समय में चीन की आंतरिक राजनीति तथा कोरोना प्रभाव के फलस्वरूप चीन से कंपनियों का पलायन हो रहा है यह पलायन भारत अथवा वियतनाम में स्थापित हो सकता है. भारत को ऐसे समय में तनाव से बचकर परिस्थिति का लाभ उठाना चाहिए. परन्तु यदि चीन द्व ारा अपने कानून को आधार मानकर भारतीय सम्प्रभुता का अतिक्रमण किया जाएगा तो ऐसे में भारत को उचित प्रतिउत्तर देने हेतु तैयार रहना चाहिए.

NOTES

2 मालदीव में इंडिया आउट' अभियान

चर्चा में क्यों ?

मालदीव में चीन के समर्थक पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन के नेतृत्व में "इंडिया आउट" नामक भारत विरोधी प्रदर्शनों के बीच भा. रत ने गुरुवार मालदीव के साथ पारम्परिक मैत्रीपूर्ण सम्बन्धो को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाने के सन्दर्भ में अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है.

पृष्ठभूमि

- सोशल मीडिया में ट्रेंड का विषय बना 'इंडिया आउट' अभियान 2018 में मालदीव के तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन द्वारा प्रतिपादित किया गया था. इसमें अब्दुल्ला यामीन ने भारत को अपने दो हेलीकॉप्टर और एक डोर्नियर विमान को मालदीव से हटाने के लिए कहा था. ध्यातव्य हो कि ये विमान भारत द्वारा मालदीव में राहत कार्यों के लिए तैनात किया गया था. मालदीव द्वारा यह कहा गया था कि यदि भारत ने ये विमान उपहारस्वरूप दिए हैं तो पायलट भारत के नहीं बल्कि मालदीव के होने चाहिए. यह मामला इतना अधिक बढ़ गया कि लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध आरम्भ कर दिया
- 2018 में मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिहवा के सत्ता में आने उपरान्त यह अभियान पुनः तीव्र हो गया. इस अभि. भयानके तीव्र होने का मुख्य कारण यह है कि वर्तमान सत्तारूढ़ दल के नेता मोहम्मद नशीद ने 2018 में भारत से यामीन को हटाने तथा शांति व लोकतंत्र की स्थापना के लिए सैन्य हस्तक्षेप करने का आग्रह किया था.
- निरंतर हो रहे आह्वान के उपरान्त भी भारत मालदीव में सैन्य कार्यवाही को अधिक महत्व नहीं दिया. भारत ने अन्य हितधार. कों के साथ अपने कूटनीतिक सम्बन्धो को समन्वित किया तथा निष्पक्ष और पारदर्शी राष्ट्रपति चुनाव कराने के लिए यामीन पर कूटनीतिक दबाव बनाया.
- फरवरी 2021 में भारत तथा मालदीव के मध्य हुए उथुरु थिला फाल्हू (यूटीएफ) बंदरगाह विकास के डील के विरुद्ध भी यह अभियान चलाया गया. इस बंदरगाह विकास डील के अनुमति को भारतीय सेना की मालदीव में उपस्थिति के एक माध्यम के रूप में देखा जा रहा है.
- हाल ही में, 30 नवंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन की नजरबंदी से रिहाई के बाद यह अभियान और अधिक मुखर हो गया.

यह अभियान फिर से क्यों जोर पकड़ रहा है?

- अगला राष्ट्रपति चुनाव 2023 में प्रस्तावित है, तथा अब्दुल्ला यामीन सत्ता में वापसी का प्रयास कर रहे हैं. इसीलिए वे सत्ता विरोधियों तथा अपने समर्थको के मध्य भारत विरोधी भावनाओ को भड़का रहे हैं.

अभियान के विषय में :

- इस अभियान के समर्थको का यह मानना है कि भारत तथा मालदीव में होने वाले हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पर समझौते तथा उथुरु थिलाफल्हू (यूटीएफ) में तटरक्षक डॉकयार्ड की स्थापना हुआ समझौता मालदीव के लिए हानिकारक है.
- यह तर्क दिया जाता है कि सोलिह प्रशा. सन रक्षा, सुरक्षा तथा बुनियादी ढांचा विकास के क्षेत्र में भारत के साथ समझौता कर "मालदीव को बेच रहा है".
- हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पर भारत और मालदीव के बीच समझौते की आलोचना इस आधार पर की जा रही है कि यह समझौता भारत को पानी के भीतर की सूचना तक पहुंच तथा उन सूचनाओं को विक्रय करने की अनुमति देगा.
- भारत और मालदीव सरकार दोनों ने इनके विरुद्ध प्रतिक्रिया दी है. इसके साथ ही मालदीव सरकार ने सुरक्षा कारणों से भारत के साथ हस्ताक्षरित समझौतों का विवरण साझा करने से स्पष्ट मना कर दिया है.

NOTES

पर्यावरण

1 तस्मान सागर में मिली दुर्लभ वॉकिंग फिश

हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में तस्मानिया तट के पास एक बहुत ही दुर्लभ पिंक हैंडफिश मछली देखी गई है. जो एक दुर्लभ वाकिंग फिश है. इसे ऑस्ट्रेलिया के तट पर 22 वर्षों बाद देखा गया है. 22 वर्षों से इस पर निगाह रखी जा रही थी और इसके संरक्षण के लिए प्रयास भी किए जा रहे थे जिसके परिणाम स्वरुप यह सफलता मिली है. इस पिंक हैंडफिश की विशेषता यह है कि इसके शरीर पर दोनों तरफ से दो आगे को निकले हुए या उभरे हुए पंख होते हैं. जो छोटे हाथ की तरह दिखते हैं और इन्हीं हाथ जैसे दिखने वाले अंग की मदद से यह मछली चलती है. इसलिए इसका नाम वाकिंग फिश है. इसे तस्मान फ्रैक्चर मरीन पार्क में सर्वे के दौरान देखा गया है.

कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जोकि ऑस्ट्रेलिया की नेशनल साइंस एजेंसी है, के द्वारा इस बात की पुष्टि की गई है. इसे ऑस्ट्रेलिया में अंतिम बार वर्ष 1999 में देखा गया था. सीएसआईआरओ के अनुसार एक समय ऐसा था जब उत्तरी पूर्वी तस्मानिया और दक्षिणी तस्मानिया के तटीय जल में वॉकिंग फिश अच्छी तादाद में पाई जाती थी. वहीं वर्ष 2012 में इस प्रजाति को ऑस्ट्रेलिया में क्रिटिकली एंडेंजर्ड घोषित किया गया था. बाद में यह डेरवेन्ट और डीएंटीकास्ट्रेक्स एस्चुअरी में ही दिखती थी. पिंक हैंड केवल ऑस्ट्रेलिया की मूल प्रजाति है. हाल के अनुसंधान में यह भी पुष्टि की गई है कि हैंडफिश जिन्हें अब तक शैलो वॉटर स्पीसीज माना जाता था. वह सागर में अधिक गहराई वाले हिस्सों (150 मीटर गहरे सागरीय क्षेत्र तक) और अधिक खुले सागरीय जल में पाई जा सकती हैं.

पिंक हैंडफिश ऐंगलरफिश फैमिली की सदस्य है. यह 14 प्रकार के हैंडफिशों में से एक है जो तस्मानिया के दक्षिण पश्चिम तट पर पाई जाती है. हाल ही में कनाडा के भी अनुसंधानकर्ताओं ने विलुप्त सोर्डफिश की खोज की है जो आज से 130 मिलियन वर्ष पूर्व कोलंबिया के सागरीय जल में पाई जाती थी.

2 म्यांमार की इन्डॉगी झील

इन्डॉगी झील म्यांमार में स्थित है. म्यांमार के काचिन स्टेट में स्थित इस झील में हाल ही में दुनिया की दो दुर्लभ प्रजातियां पाई गई हैं. यह पाइपफिश की प्रजाति है. ये दोनों प्रजातियां इस लेक की ही एंडेमिक प्रजातियां हैं. इसका मतलब है कि ये प्रजातियां इस क्षेत्र की मूल निवासी हैं और यही उनका प्राकृतिक आवास है.

यह झील दक्षिण पूर्वी एशिया की ताजे जल वाली तीसरी सबसे बड़ी झील है. यह वैश्विक रूप से संकटापन्न और दुर्लभ जल पक्षियों सहित 106 पक्षी प्रजातियों का निवास स्थान है. गौरतलब है कि म्यांमार में ही शान प्रांत मे स्थित इन्ले झील भी म्यांमार की सुप्रसिद्ध मीठे पानी की झील है. यह म्यांमार की सबसे ऊंची और दुसरी सबसे बड़ी झील है. इन्ले झील क्षेत्र म्यांमार का पहला यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व भी है. 2015 में यूनेस्को ने इसे यह मान्यता दी थी. वहीं दूसरी तरफ इन्डॉगी झील को आसियान हे. रिटेज पार्क का दर्जा दिया जा चुका है. यह एक रामसर साइट भी है जिसका मतलब है कि यह अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि भी घोषित की जा चुकी है.

पाइपफिश के संबंध में जरूरी तथ्य :

पाइप फिश मत्स्य समूह की दो प्रजातियों सी हार्स और सी ड्रैगन से मिलती जुलती है. नर पाइपफिश के शरीर में एक गुहा होती है मादा पाइपफिश नरपाइप फिश के साथ संसर्ग के दौरान उसके शरीर की इस गुहा में अपने अंडे छोड़ देती है जहां यह अंडे विकसित होते हैं. इनमें गर्भकाल 12 से 14 दिन का होता है. अनुसंधानों में स्पष्ट किया गया है कि पारदर्शी गुहा में नर पाइपफिश 5 से 40 तक बच्चे रख सकती है.

NOTES

विज्ञान एवं तकनीक

1 ब्रूसेलोसिस से प्रभावित होता पशुधन

भारत में पशुधन का महत्व किसी से छिपा नही है, भारत एक कृषि प्रधान तथा पशु प्रधान देश है. पिछले दो दशक में भा. रत के पशुधन को कई संक्रामक बीमारियां प्रभावित कर रही हैं. ऐसी ही एक बीमारी ब्रूसेलोसिस अभी पश्चिम बंगाल में चर्चा का विषय है. यह निर्विवाद सत्य है कि पशुधन को सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय माना जाता है क्योंकि यह भारत में खाद्य सुरक्षा और दुग्ध उत्पादन और जैविक कृषि की सफलता से जुड़ा विषय भी है. इसलिए ओमिक्रोन वैरिएंट के खतरों के बीच पश्चिम बंगाल राज्य में ब्रूसेलोसिस के बढ़ते मामलों ने चिंता उत्पन्न कर दिया है. इस राज्य में पशुओं में यह बीमारी तेजी से बढ़ रही है. वहीं वैश्विक स्तर पर बात करें तो पिछले साल चीन के उत्तर पश्चिमी इलाके में स्थित गैन्सू प्रांत के लानजोउ शहर में सैंकड़ों लोग ब्रूसेलोसिस संक्रमण से पीड़ित पाए गए थे.

क्या है ब्रूसेलोसिस बीमारी?

ब्रूसेलोसिस एक बैक्टीरियल यानी जीवाणु जनित बीमारी है. यह मवेशियों गाय, बकरी, भेड़ों, सुअरों और कुत्तों जैसे जानवरों को संक्रमित करता है. इसे लहरदार बुखार, भूमध्यसागरीय बुखार और माल्टा बुखार या ज्वर नाम से भी जाना जाता है. यह एक जूनोटिक बीमारी है यानी पशु जनित बीमारी है. ऐसे रोग जिनका कारण पशु होते हैं उन्हें जूनोटिक बीमारी कहते हैं. यह हड्डियों त्वचा और लीवर के अलावा केंद्रीय स्नायु तंत्र और गैस्टरोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट को प्रभावित करता है.

यह ब्रूसेला नामक जीवाणु से होता है. इंसानों में यह बीमारी आमतौर पर तब होती है जब वे संक्रमित पशुओं के प्रत्यक्ष संपर्क में आते हैं. संक्रमित पशुओं के मांस या ऐसे पशुओं के दूषित उत्पादों को पीने के चलते यह बीमारी इंसानों को भी लग जाती है. संक्रमित पशुओं के पाश्चरीकृत दूध और पनीर से भी यह फैलता है.

WHO के अनुसार व्यक्ति से व्यक्ति संक्रमण बहुत दुर्लभ ही होता है. लेकिन इससे यह स्पष्ट है कि इंसानों से इंसानों में संक्रमण की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता. संक्रमित पशु उत्पादों को खाने-पीने से या हवा में मौजूद बैक्टिरिया सांस लेने से इंसान में पहुंच जाने से इंसान संक्रमण का शिकार हो सकते हैं. यह फ्लू जैसे लक्षणों को दर्शाता है. इसमें बुखार, कमजोरी, वजन में कमी आने जैसे लक्षण दिखते हैं.

विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि बीमारी के लक्षण आने में एक हफ्ते से लेकर 2 महीने भी लग सकते हैं लेकिन अक्सर 2 से 4 हफ्ते में लक्षण आ जाते हैं. इसके लक्षण हैं- फ्लू, बुखार, पसीना आना, थ. कान, भूख ना लगना, सिर दर्द, वजन घटना और मांसपेशियों में दर्द. कई लक्षण लंबे वक्त तक रह सकते हैं और कुछ कभी नहीं जाते जैसे कि बार-बार बुखार होना, जोड़ों में दर्द, टेस्टिस, हार्ट और लीवर में स्वेलिंग थकान, डिप्रेशन आदि.

भारत में उपाय :-

राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम **:-**

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा सितंबर, 2019 में खुरपका और मुंहपका रोग और ब्रूसेलोसिस के नियंत्रण के लिए 13,343.00 करोड़ रु. के परिव्यय के साथ पाँच वर्षों (2019-20 से 2023-24 तक) के लिए शुरू किया गया राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएड. ीसीपी) एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत एफएमडी के लिए गोपशु, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर की आबादी का 100% और ब्रूसेलोसिस के लिए 4-8 महीने की आयु की बोवाइन मादा बछियों का 100% टीकाकरण किया जाना है.

एफएमडी और ब्रूसेलोसिस के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएडीसीपी) का समग्र उद्देश्य टीकाकरण के द्वारा 2025 तक एफएमडी का नियंत्रण और 2030 तक इसका उन्मूलन करना है. इसके परिण ाामस्वरूप घरेलू उत्पादन में वृद्धि होगी और अंततः दूध और पशुधन उत्पादों के निर्यात में वृद्धि होगी. पशुओं में गहन ब्रूसेलोसिस नियंत्रण कार्यक्रम की परिकल्पना ब्रूसेलोसिस के नियंत्रण के लिए की गई है जिसके परिणामस्वरूप पशुओं और मनुष्यों दोनों में, इस बीमारी का प्रभावी प्रबंधन होगा. एफएमडी और ब्रूसेलोसिस के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएडीसीपी) एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है जहां राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्र सरकार द्वारा 100% धनराशि प्रदान की जाएगी.

NOTES

2 स्वदेशी मिसाइल 'प्रलय' का सफल परीक्षण

सन्दर्भ

हाल ही में 'डॉ ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वीप' (ओडिशा) के तट से प्रलय मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया.

'प्रलय' मिसाइल के सम्बन्ध में मुख्य बिंदु

- प्रलय मिसाइल का निर्माण रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित तकनीकी के आधार पर किया गया है.
- यह सतह से सतह पर मार करने वाली पारंपरिक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है.
- यह मिसाइल लांच होने के उपरांत मार्ग बदलने में भी सक्षम है.
- इस मिसाइल में ठोस प्रणोदक का प्रयोग किया गया है. यह अत्याधुनिक नेविगेशन प्रणाली से लैस है.
- प्रलय मिसाइल की रेंज 150 से 500 किलोमीटर है.
- यह सतह से सतह पर मार करने वाली सबसे लंबी दूरी की मिसाइल मानी जा रही है.
- प्रलय मिसाइल की एक विशेषता यह है कि इसे गतिशील लॉन्चर से भी लांच किया जा सकता है.

डी. आर. डी. ओ. के विषय में

- डीआरडीओ अथवा रक्षा विकास अनुसंधान संगठन भारत के सैन्य क्षेत्र का प्राथमिक अनुसंधान संगठन है.
- यह रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में कार्य करता है.
- डीआरडीओ की स्थापना 1958 में तत्कालिक टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट तथा डायरेक्टरेट आफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन को डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलाकर की गई थी.
- डीआरडीओ का ध्येय वाक्य "बलस्य मूलम विज्ञानम" है.
- वर्तमान में डीआरडीओ में 50 से अधिक प्रयोगशाला का नेटवर्क है, जो वैमानिक, आयुध, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सिस्टम इंस्ट्रूमेंट, मिसाइल, कंप्यूटिंग, विशेष सामग्री तथा नौसेना इत्यादि के अनुसन्धान से संबंधित है.

आर्थिक

1 पूर्वोत्तर की आर्थिक संभावनाएं

संदर्भ

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर में अपने भाषण के दौरान कहा है कि पूर्वोत्तर में भारतीय अर्थव्यवस्था का संचालक बनने की अपार संभावनाएं हैं.

परिचय

पूर्वोत्तर राज्य भारत का एक संवेदनशील क्षेत्र है. यहां प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के उपरांत भी अपेक्षित रूप से आर्थिक संभावनाएं जन्म नहीं ले सकी हैं. आर्थिक संभावनाओं के न होने के कारण यहां पर अलगाववाद तथा नक्सलवाद की समस्याएं भी बनी रहती हैं. पूर्वोत्तर भारत का एक ऐसा क्षेत्र है जो स्वतंत्रता के उपरांत अभी भी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो सका है अत: इन क्षेत्रों में विकास को बढ़ाने की आवश्यकता है.

पूर्वोत्तर में आर्थिक विकास की संभावनाएं तथा उस दिशा में सरकार द्वारा किए गए प्रयास

- पूर्वोत्तर में आर्थिक विकास के लिए सर्वाधिक आवश्यक यह है कि पूर्वोत्तर क्षेत्रों का भारत के मुख्य भूमि के साथ जुड़ाव स्थापित किया जाए. इस दिशा में सरकार प्रयास भी कर रही है. पूर्वोत्तर के विभिन्न राज्यों के साथ संपर्क बनाने के लिए सरकार लगातार बी.बी.आइ.एन. जैसी परियोजनाओं के माध्यम से बांग्लादेश, नेपाल, भूटान इत्यादि देशों के साथ जुड़ाव को बढ़ा रही है.
- भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं. हमारे देश के 60% से अधिक बांस तथा 35% से अधिक प्राकृतिक जल इस क्षेत्र में पाया जाता है. यहां कुटीर उद्योगों को महत्व दिया जा सकता है. हाल ही में सरकार द्वारा बांस को वृक्ष की श्रेणी से हटाकर घास की श्रेणी में रख दिया गया था जिससे बांस का व्यापार और अधिक आसान हो गया है. इस प्रकार के और अधिक प्रयास पूर्वोत्तर के प्राकृतिक संसाधनों को आर्थिक संसाधन बनाने में सहायक होंगे.
- यहां पर जैव विविधता तथा कई नेशनल पार्क विद्यमान है. जो इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ा सकता है. अत: पर्यटन आधारित उद्योगों को बढ़ावा देकर के यहां के आर्थिक विकास को गति प्रदान की जा सकती है. पूर्वोत्तर

में पर्यावरणीय पर्यटन तथा सांस्कृतिक पर्यटन भी आर्थिक विकास में सहायक हो सकता है. 2017 की रिपोर्ट के अनुसार पूर्वोत्तर में लगभग 77 लाख भारतीय पर्यटक तथा डेढ़ लाख विदेशी पर्यटक गए थे. यदि पूर्वोत्तर की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार कर दिया जाए तो यह संख्या दोगुनी से भी अधिक बढ़ सकती है. सरकार द्वारा इस दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं. हाल ही में सरकार द्व रा चलाई जा रही योजना में पूर्वोत्तर सर्किट के निर्माण का प्रस्ताव है, जो पूर्वोत्तर में पर्यटन को बढ़ाने में सहायक होगा.

- इनके साथ में यह भी आवश्यक है कि पूर्वोत्तर के राज्यों में पाई जाने वाली जनजाति को समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जाए. इसके लिए सरकार द्वारा एकलव्य विद्यालय जैसे कई प्रयास किए जा रहे हैं.
- पूर्वोत्तर में कई राज्य जैसे नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश में भारत के अन्य राज्यों की तुलना में इंग्लिश अधिक बोली जाती है. इस क्षमता का प्रयोग सर्विस सेंटर को बढ़ाने में किया जा सकता है. जो पूर्वोत्तर की आर्थिक स्थिति को बढ़ाने में सहायक होगा.
- नीति आयोग के एक्शन एजेंडा डॉक्यूमेंट में पूर्वोत्तर में आर्थिक संभावनाओं को बढ़ाने के संदर्भ में कई अनुशंसा दी गई हैं. जिन पर सरकार को कार्य करना चाहिए.
- राजनीतिक स्थिरता तथा सामाजिक न्याय के अभाव में आर्थिक विकास की बातें नहीं हो सकती. अत: यहां पर आर्थिक विक. ास की संभावनाओं को बढ़ाने के पूर्व यह आवश्यक है कि सरकार जनजातीय क्षेत्रों में सुधार तथा सामाजिक न्याय की स्थापना के साथ-साथ अलगाववाद तथा नक्सलवाद जैसी समस्याओं को समाप्त करें.
- सरकार द्वारा यहाँ शिक्षा, मानवसंसाधन, उद्योग तथा कृषि सहित कई क्षेत्रों में व्यापक प्रयास किया जा रहे हैं. जो यहाँ की आर्थिक स्थिति को बढ़ाने में सहायक होगा.

निष्कर्ष

प्राकृतिक दृष्टिकोण से पूर्वोत्तर भारत देश का सर्वाधिक संपन्न राज्य है. किन्तु विभिन्न पा. रस्थितियों के कारण यह आर्थिक दृष्टिकोण से उतना अधिक विकास नहीं कर पाया है. गवर्नेंस डेफिसिट तथा अलगाववाद जैसी समस्याओं के कारण यहां के लोगों का समुचित आर्थिक विकास नहीं हो पाया है. परंतु यहां संभावनाएं व्यापक हैं. इन संभा. वनाओं को उचित तरीके से प्रयोग करना होगा जिससे पूर्वोत्तर का क्षेत्र भारत के अन्य राज्यों के समान विकास के पथ पर अग्रसर हो सके.

2 सेबी ने आईपीओ के लिए जारी किये नए दिशानिर्देश

संदर्भ

हाल ही में भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (सेबी) ने इनिशियल पब्लिक ऑफर (आईपीओ) के संदर्भ में नए परिवर्तन किए हैं.

परिचय

वर्तमान में संपूर्ण विश्व के शेयर बाजारों में आईपीओ के माध्यम से पूंजी जुटने की प्रवृत्ति में तेजी देखी गई है. अकेले भारत में, इस वर्ष आईपीओ के माध्यम से 71 ट्रिलियन रुपये से अधिक की पूंजी जुटाई गई है. इस स्थिति में जोखिम की सम्भावना को कम करने तथा पारदर्शिता को बढ़ाने उद्देश्य से के भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड द्वारा ये नवीन दिशानिर्देश जारी किये गए हैं.

भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देश

आईपीओ के संदर्भ में दिए गए नवीन दिशा निर्देश निम्न हैं –

- सेबी के नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार किसी आईपीओ का प्राइस बैंड फ्लोर, प्राइस का कम से कम 105% होगा.
- किसी भी कंपनी द्वारा आईपीओ से जुटाए गए धन का 35% ही अधिग्रहण तथा सामान्य कारपोरेट उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाएगा अर्थात कोई भी कंपनी बिना जानकारी प्रदान किए, किसी दूसरे बिजनेस के अधिग्रहण में आईपीओ से जुटाए गए धन के 35% से अधिक फंड का प्रयोग नहीं कर पाएगी.
- जिन निवेशकों की किसी कंपनी में 20% या उससे कम हिस्सेदारी है वह ऑफर ऑफ सेल द्वारा कुल हिस्सेदारी का 50 प्रतिशत से अधिक भाग नहीं बेच पाएंगे.
- एंकर निवेशकों के लिए लॉक इन पी. रियड को बढ़ाकर 90 दिन कर दिया गया है. अभी तक यह 30 दिन तक का था. लॉक-इन अवधि एंकर निवेशकों को अच. ानक शेयर बेचने से रोकती है, जिससे कंपनी के प्राथमिक बाजारों में सूचीबद्ध होने के बाद सीमित अवधि के लिए शेयर मूल्य में उतार-चढ़ाव को रोका जा सके.
- सेबी ने यह कहा है कि आईपीओ फंड की मॉनिटरिंग तब तक जारी रहेगी जब तक 100% आईपीओ फंड का प्रयोग नहीं कर लिया जाता. इसके पूर्व यह 95 % तक था. सेबी के साथ पंजीकृत क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (सीआरए) को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के स्थान पर निगरानी एजेंसी के रूप में कार्य करने की अनुमति होगी.
- सेबी द्वारा नवीन टेक्नोलॉजी कंपनियों के ऑडिट को ऑडिट कमेटी के समक्ष हर तीन माह में रखने का निर्णय लिया गया है. इसके पूर्व ऑडिट वार्षिक रूप से होता था.
- इसके अलावा, एनआईआई के लिए उपलब्ध हिस्से का दो तिहाई हिस्सा 10 लाख रुपये से अधिक निवेशकों के लिए आरक्षित होगा. एनआईआई श्रेणी के मामले में प्रतिभ. ूतियों का आवंटन 'ड्रा ऑफ लॉट' पर होगा, जो वर्तमान में खुदरा व्यक्तिगत निवेशकों (आरआईआई) श्रेणी के लिए लागू है.
- नवीनतम दिशानिर्देश 1 अप्रैल 2022 से प्रवर्तित होंगे.

निष्कर्ष

सेबी द्वारा यह कहा गया है कि दिशानिर्देशों को लाने का उद्देश्य बाजार को नियंत्रित करना नही बल्कि बाजार में पारदर्शिता लान है. रिटेल निवेशकों के जोखिम को कम करने तथा कंपनियों के वास्तविक वैल्यूएशन के संदर्भ में यह दिशानिर्देश बहुत ही प्रभ. ावशाली होंगे तथा इनके द्वारा वैल्यूएशन की अनिश्चितता को कम करके पूंजी के एकत्री. करण को सफल किया जा सकेगा.

राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाओं की महत्वपूर्ण खबरें

1. भारतीय सेना ने 'असिगमा' नाम से मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया

भारतीय सेना ने आर्मी सिक्योर इंडिजेनस मैसेजिंग एप्लिकेशन (**ASIGMA**) नाम के एक समकालीन मैसेजिंग एप्लिकेशन की शुरुआत कि है. इसे सेना के सिग्नल कोर के अधि कारियों की टीम द्वारा पूरी तरह से आंतरिक रूप से विकसित किया गया है. यह मैसेजिंग एप्लिकेशन आर्मी वाइड एरिया नेटवर्क मैसेजिंग एप्लिकेशन का स्थान लेगा. बता दें कि आर्मी वाइड एरिया नेटवर्क (अवान) मैसेजिंग एप्लिकेशन पिछले 15 वर्षों से सेवा में है. रक्षा मंत्रालय ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि 'भारतीय सेना ने बड़े पैमाने पर स्वचालन को अपनाया है, विशेष रूप से कोविड-19 के प्रसार के बाद और सेना कागज रहित कामकाज की दिशा में पर्याप्त कदम उठा रही है. आर्मी सिक्योर इंडिजेनस मैसेजिंग एप्लिकेशन इन प्रयासों को और प्रोत्साहन देगा और सेना द्वारा अपने कैप्टिव पैन आर्मी नेटवर्क पर पहले से तैनात अन्य एप्लीकेशन में जुड़ जाएगा.'

2. एनडीटीएल को वाडा की मान्यता वापस मिली

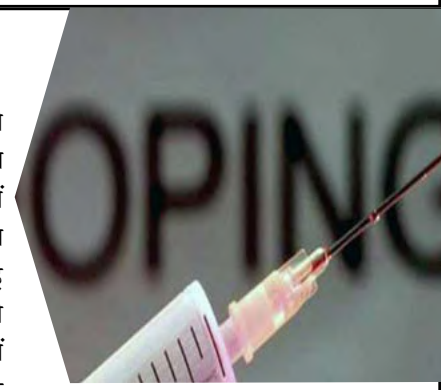

राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (एनडीटीएल) को विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) की मान्यता वापस मिल गई है. बता दें कि वाडा द्वारा सितम्बर 2018 में किये गए अपने मुल्यांकन के बाद अगस्त 2019 में एनडीटीएल कि मान्यता रद्द कर दी गयी थी. एनडीटीएल के निलंबन ने इसे किसी भी डोपिंग रोधी गतिविधियों को करने से रोक दिया था, जिसमें मूत्र और रक्त के नमूनों के सभी विश्लेषण शामिल थे। इस प्रक्रिया ने देश के लिए डोपिंग रोधी कार्यक्रम को बहुत महंगा बना दिया था. क्योंकि विदेशों में नमूने भेजने से लागत बढ़ गयी थी. वाडा से एनडीटीएल को पुन: मान्यता मिलने पर एनडीटीएल की डोपिंग रोधी परीक्षण और गतिविधियां तत्काल प्रभाव से फिर से शुरू हो जाएंगी. वहीं सरकार देश में और अधिक डोप परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने और उन्हें मान्यता देने की इच्छुक है. वर्तमान में भारत वाडा के डोप उल्लंघनकर्ताओं की सूची में तीसरे स्थान पर है.

राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (एनडीटीएल) दुनिया की 32 वाडा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में से एक है. यह देश की एकमात्र प्रयोगशाला है जो डोप परीक्षण के लिए जिम्मेदार है.

विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) का गठन 1999 में किया गया था. इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल,क्यूबेक, कनाडा में है

3. हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 जारी

हाल ही में हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 जारी किया गया है. इस इंडेक्स के अनुसार भारत, अमेरिका और चीन के बाद विश्व में यूनिकॉर्न के मामले में तीसरे स्थान पर है. बता दें कि एक निजी स्टार्ट कम्पनी जिसका उद्यम मूल्य 1 बिलियन डॉलर से ज्यदा होता है उसे यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहा जाता है. 2021 के इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर था. इस वर्ष ब्रिटेन को विस्थापित कर भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया है. इंडेक्स में बताया गया है कि इस वर्ष भारत में यूनिकॉर्न की संख्या 54 हो गयी है जो पिछले वर्ष की तुलना में दोगुनी से भी अधिक है. इंडेक्स में दावा किया गया है कि वैश्विक स्तर पर ई-कॉमर्स में 122 यूनिकॉर्न में से 15 भारत में हैं. भारत की यूनिकॉर्न की सूची का नेतृत्व ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़ी कम्पनी 'बायजूस' करती है. इसकी कीमत 21 अरब डॉलर आंकी गयी है. बायजूस के अतिरिक्त मोबाइल एड-टेक प्लेटफॉर्म 'इनमॉबी' का मूल्य 12 बिलियन डॉलर और हॉस्पिटैलिटी प्रमुख ओयो रूम्स का मूल्य 9.5 बिलियन डॉलर है. भारत में यूनिकॉर्न के लिए सबसे उपयुक्त वातावरण प्रदान करने वाला शहर बेंगलुरु है.

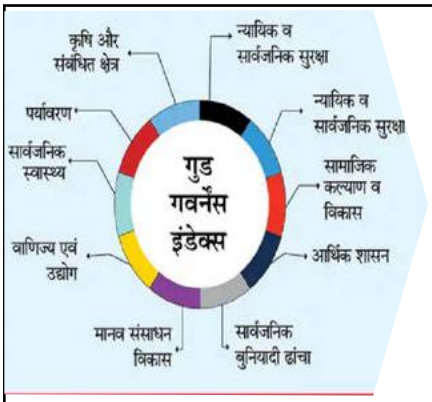

4. सुशासन सूचकांक 2021 जारी किया गया

सुशासन दिवस (25 दिसंबर) के अवसर पर प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभ. ाग (डीएआरपीजी) ने सुशासन सूचकांक जारी किया है. यह सूचकांक 'न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन' पर केंद्रित है. सुशासन सूचकांक, 10 शासन क्षेत्रों और 58 शासन संकेतकों पर आधारित है. सुशासन सूचकांक 2020-21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत करता है. (**i**) ग्रुप ए (**ii**) ग्रुप बी (**iii**) उत्तर-पूर्व और पहाड़ी राज्य और (**iv**) केंद्र शासित प्रदेश। सुशासन सूचकांक 2021 में, 20 राज्यों ने अपने समग्र जीजीआई स्कोर में सुधार किया है। उत्तर प्रदेश ने जीजीआई 2019 के प्रदर्शन की तुलना में 8.9% की वृद्धि दिखाई है. गुजरात ग्रुप ए श्रेणी की समग्र रैंकिंग में शीर्ष पर है. वहीं मध्य प्रदेश ग्रुप बी श्रेणी में शीर्ष स्थान पर है. केंद्र शासित प्रदेशों की समग्र रैंकिंग में दिल्ली शीर्ष पर है.

सुशासन सूचकांक 2021 से सम्बंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

- न्यायपालिका और सार्वजनिक सुरक्षा, पर्यावरण और नागरिक केंद्रित शासन में राजस्थान ने ग्रुप बी श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है.
- उत्तर-पूर्व और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में, मिजोरम और जम्मू और कश्मीर ने क्रमश: 10.4% और 3.7% की समग्र वृद्धि दिखाई है.
- जम्मू और कश्मीर ने जीजीआई संकेतकों में 3.7 प्रतिशत का सुधार दर्ज किया है.

5. दुनिया का सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष टेलीस्कोप पूरी तरह से अंतरिक्ष में तैनात

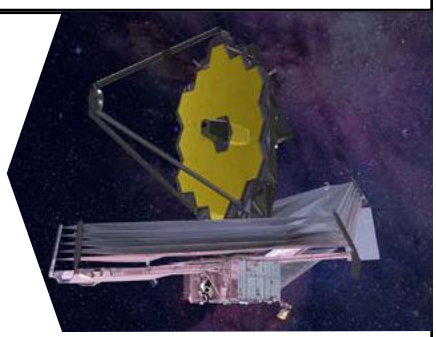

नासा ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष टेलीस्कोप "जेम्स वेब" को यूरोपियन एरियन रॉकेट से फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया है. यह अंतरिक्ष टेलीस्कोप 1.6 मिलियन किलोमीटर की यात्रा करने के बाद कॉसमॉस को स्कैन करना शुरू करेगा. जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप प्रारंभिक ब्रह्मांड में बनी पहली आकाशगंगा का पता लगाएगा. जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नासा, यूरोपीय और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसियों की मदद से विकसित किया गया है. जेडब्ल्यूएसटी का प्राथमिक दर्पण सोने में मढ़वाया गया है और जिसकी चौड़ाई करीब 21.32 फीट है. यह दर्पण बेरिलियम से बने 18 षटकोण टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया है. हर टुकड़े पर 48.2 ग्राम सोने की परत चढ़ी हुई है. जिससे यह एक परावर्तक की तरह काम करता है. जेडब्ल्यूएसटी दूसरे लैग्रेंज पॉइंट (**L2**) के पास स्थित होगा. यह लगभग 15,00,000 किमी दूर से सूर्य की परिक्रमा करेगा. जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नासा के ही हबल टेलीस्कोप का स्थान लेगा

6. अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन्स ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स (एआरआईआईए) 2021 की घोषणा

हाल ही में शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष सरकार द्वारा देश में नवाचार, स्टार्ट-अप और उद्यमिता विकास के मामलों में आगे रहे शिक्षा संस्थानों की अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टी. ट्यूशन्स ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स (एआरआईआईए), 2021 की घोषणा की है. एआ. रआईआईए के अंतर्गत आई.आई.टी-मद्रास को केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान श्रेणी के तहत पहली रैंक मिली है. एआरआइआइए 2021 के अनुसार देश के 10 शीर्ष केंद्र वित्त पोषित एचईआईयस हैं :- आई.आई.टी मद्रास, आई.आई.टी बॉम्बे, आई.आई.टी दिल्ली, आई.आई.टी कानपुर, आई.आई.टी रुड़की, आई.आई.एससी बैंगलोर, आई.आई.टी हैदराबाद, आई.आई.टी खड़गपुर, एनआइटी कालीकट और एमएनआइटी प्रयागराज. एआरआइआइए 2021 के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा संचालित तकनीकी विश्वविद्यालयों की श्रेणी में पंजाब यूनिवर्सिटी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है. इसके बाद क्रमश: दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी व नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी को दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है. वहीं, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, पुणे को सरकारी और सहायता प्राप्त तकनीकी महाविद्यालयों की श्रेणी में पहला स्थान दिया गया है. बता दें कि महाराष्ट्र के सात संस्थानों ने विभिन्न श्रेणियों के तहत 'शीर्ष 10' में स्थान हासिल किया है.

7. यूएनएससी की आतंकवाद निरोधी समिति की अध्यक्षता भारत को

जनवरी 2022 में आयोजित होने वाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की आतं. कवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता भारत ने की. संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थाई प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने भारत की तरफ से समिति की अध्यक्षता की. सुरक्षा परिषद ने अमेरिका में 9/11 के आतंकवादी हमलों के बाद 28 सितंबर 2001 को सर्वसम्मति से अपनाए गए संकल्प 1373 के माध्यम से आतंकवाद विरोधी समिति (सीटीसी) की स्थापना की थी. संकल्प 1373 ने देशों से घरेलू और दुनिया भर में आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए अपनी कानूनी और संस्थागत क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से उपायों को लागू करने का अनुरोध किया. आतंकवाद विरोधी समिति आतंकवादी कृत्यों में शामिल लोगों की जांच, पता लगाने, गिरफ्तारी, प्रत्यर्पण और अभियोजन में अन्य सरकारों के साथ सहयोग करने के लिए उठाए गए कदमों की निगरानी भी करती है. भारत फिलहाल 15 सदस्य वाले सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है और उसका दो साल का कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 को खत्म होगा.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी):

- यह संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंगों में से एक है.
- इसका मुख्य कार्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना है.
- इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी.
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है.
- इसके 5 स्थाई सदस्य :- अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस
- वर्तमान में 10 अस्थाई सदस्य

8. विश्व अर्थव्यवस्था 2022 में पहली बार 100 ट्रिलियन डॉलर के पार होगी

ब्रिटिश कंसल्टेंसी सेबर द्वारा की गई भविष्यवाणी के अनुसार, 2022 में पहली बार विश्व अर्थव्यवस्था 100 ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो जाएगी. ब्रिटिश कंसल्टेंसी सेबर ने यह भी दावा किया कि चीन 2030 में डॉलर के मामले में दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्था बन जाएगा. ब्रिटिश कंसल्टेंसी सेबर ने यह दावा अपनी वार्षिक रिपोर्ट "वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग" में किया है. इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत 2022 में फ्रांस और फिर 2023 में ब्रिटेन से आगे निकल जाएगा और विश्व कि छठी सबसे बड़ी अर्थव्यस्था बन कर सामने आएगा . रिपोर्ट के अनुसार, जर्मनी 2033 में अर्थव्यवस्था के मामले में जापान से आगे निकलने की राह पर है. वहीं रूस 2036 तक शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन सकता है जबकि इंडोनेशिया 2034 तक विश्व कि 9वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो सकती है. रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 में महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि विश्व अर्थव्यवस्थाएं मुद्रास्फीति से कैसे निपटती हैं.

9. ग्रीनमन विरल देसाई को वैश्विक पर्यावरण और जलवायु कार्रवाई नागरिक पुरस्कार

दुबई में आयोजित एक कार्यक्रम में ग्रीनमैन के नाम से मशहूर विरल देसाई को वैश्विक पर्यावरण और जलवायु कार्रवाई नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. यह सम्मान पाने वाले विरल देसाई एकमात्र भारतीय हैं. विरल के अतिरिक्त 11 अन्य देशों के 28 हस्तियों को भी पर्यावरण और जलवायु कार्रवाई नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. बता दें कि इससे पहले विरल देसाई को 23 दिसंबर को संस्कृति युवा संस्थान द्वारा भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है. विरल देसाई की सबसे बड़ी उपलब्धी यह रही कि इन्होने ने सूरत के उधना रेलवे स्टेशन को अपने अथक प्रयास से ग्रीन रेलवे स्टेशन में बदल दिया. विरल देसाई ने इस मॉडल को अन्य स्थानों पर अपनाए जाने की बात तेजी से चल रही है

समसामयिकी घटनाएं एक नजर में

- दिव्या हेगड़े को लैंगिक समानता के लिए संयुक्त राष्ट्र नेतृत्व प्रतिबद्धता पुरस्कार दिया गया.
- ढाका में भारत को हराकर बांग्लादेश ने सैफ अंडर-19 महिला फुटबॉल चौम्पियनशिप जीती.
- महाराष्ट्र विधानसभा ने शक्ति आपराधिक कानून (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक 2020 पारित किया.
- यूपी सरकार ने 25 दिसंबर को 'फ्री स्मार्टफोन योजना' शुरू की। इस योजना के तहत सरकार स्नातक और उससे ऊपर के अंतिम वर्ष के छात्रों को मोबाइल और टैबलेट वितरित करेगी.
- ब्रिटिश-इतालवी प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार विजेता वास्तुकार रिचर्ड रोजर्स का लंदन में निधन हो गया.
- भारत की अनाहत सिंह ने मिस्र की जयदा मारेई को हराकर जूनियर यूएस ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट जीता.
- केंद्र द्वारा नागालैंड में अफस्पा को वापस लेने की जांच के लिए समिति गठित की गई. इस समिति के अध्यक्ष वी.के. जोशी होंगे.
- रक्षा मंत्री ने लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किया.
- जयपुर में आयोजित फाइनल मैच में हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु को हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती.
- भारत की पहली स्वदेश निर्मित मिसाइल कोरवेट, आईएनएस खुकरी, को 32 साल की सेवा के बाद सेवामुक्त कर दिया गया.
- दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को समाप्त करने में अपना योगदान देने वाले नोबेल शांति पुरस्कार विजेता डेसमंड टूटू का निधन हो गया. अपने इसी कार्य के लिए उन्हें 1984 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था.
- पंकज आडवाणी ने 11वीं बार नेशनल बिलियर्ड्स का खिताब जीता.
- गुजरात सरकार ने सूरत में तापी नदी के तट पर नदियों के सम्मान के लिए 'नदी उत्सव' शुरू किया.
- राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लिंगानुपात जो 2014-15 में 918 था जो 19 अंक बढ़कर 2020-21 में 937 हो गया है.
- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एसपीएमआरएम) को लागू करने में तेलंगाना शीर्ष पर रहा. जबकि तमिलनाडु और गुजरात दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन (एसपीएमआरएम) को केंद्र सरकार ने 2016 में लॉन्च किया था. इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी बुनियादी ढांचे का विकास करना है. रुर्बन मिशन ने कई स्मार्ट गांवों का समूह विकसित किया है.
- कपड़े के थैलों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा मीनदम मंजपई योजना शुरू की गई.
- नए सदस्य के रूप में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने मिस्र को शामिल किया. इससे पहले बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और उरुग्वे सितंबर 2021 में एनडीबी में शामिल हुए थे.

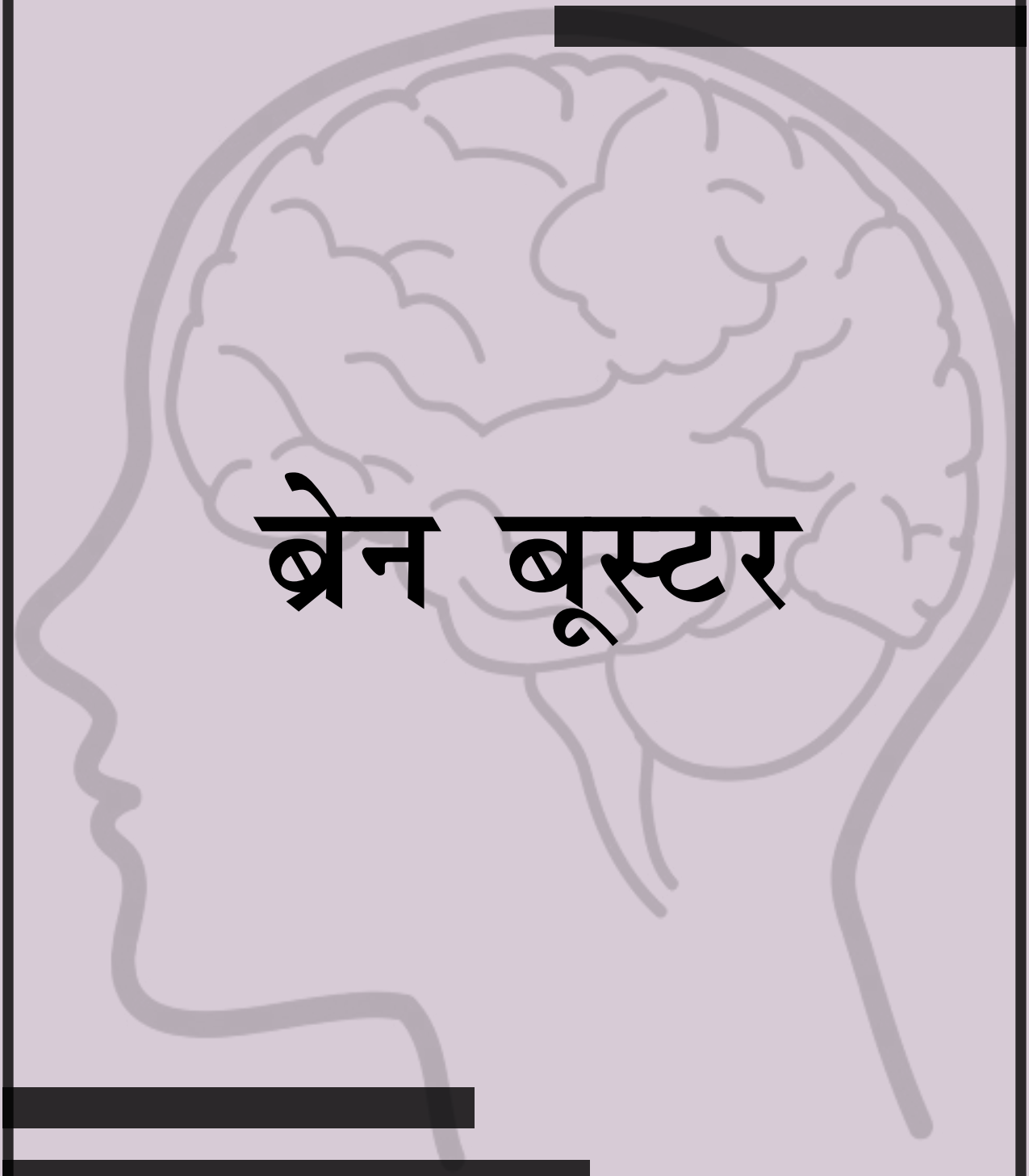

ब्रेन बूस्टर

उपभोक्ता संरक्षण (सीधी बिक्री) नियम, 2021

1. खबरों में क्यों

सरकार ने 28 दिसंबर, 2021 को उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) नियम, 2021 को अधिसूचित किया.

2. सीधी बिक्री

सीधी बिक्री में, सामान या सेवाएं सीधे उप. भोक्ताओं को प्रत्यक्ष विक्रेताओं के माध्यम से बेची जाती हैं जो खुदरा परिसर के बजाय सीधी बिक्री संस्थाओं के व्यक्तिगत प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करते हैं.

3. अधिकार क्षेत्र

ये नियम निम्न पर लागू होंगे

- सीधी बिक्री के माध्यम से खरीदी या बेची गई सभी वस्तुएं और सेवाएं.
- सीधी बिक्री के सभी मॉडल.
- भारत में उपभोक्ताओं को सामान और सेवाएं प्रदान करने वाली सभी सीधी बिक्री संस्थाएं.
- सीधी बिक्री के सभी मॉडलों में सभी प्रकार की अनुचित व्यापार कार्यप्रणालियां.
- एक सीधी बिक्री इकाई पर जो भा. रत में स्थापित नहीं है, लेकिन भारत में उपभोक्ताओं को सामान या सेवाएं प्रदान करती है.

4. समय-सीमा

मौजूदा सीधी बिक्री संस्थाओं को आधि कारिक राजपत्र में इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से 90 दिनों के भीतर इन नियमों का पालन करना होगा.

5. भारतीय सीधी बिक्री उद्योग का आकार

- भारतीय सीधी बिक्री उद्योग 2019-20 में लगभग 1,67,762 मिलियन था, जो 2018-19 में 1,30,800 मिलियन से लग. भग 28% बढ़ा.
- दो मुख्य श्रेणियां 'वेलनेस एंड न्यूट्रास्यु. टकल्स' (57%), और 'कॉस्मेटिक्स एंड पर्सनल केयर' (22%) थीं.
- इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन (IDSA) के अनुसार, सक्रिय सीधी विक्रे. ताओं (डीएस) की संख्या 2019-20 में लगभग 7.4 मिलियन थी तथा पुरुष और महिला डीएस की संख्या लगभग समान थी.

6. सीधी बिक्री संस्था (डीएसइ) और डीएस के लिए निषिद्ध

- किसी पिरामिड योजना को बढ़ावा देना या किसी व्यक्ति को ऐसी योजना में नामांकित करना या सीधे बिक्री व्यवसाय करने की आड़ में किसी भी तरह से ऐसी व्यवस्था में शामिल करना.
- सीधी बिक्री व्यवसाय की आड़ में मनी सर्कुलेशन स्कीम में भाग लेना.

7. पर्यवेक्षण

डीएसइ और डीएस द्वारा इन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, राज्य सरकार को डीएसइ और डीएस की गति. विधियों की निगरानी या पर्यवेक्षण के लिए एक तंत्र स्थापित करना होगा.

8. डीएसइ के दायित्व

- भारत के भीतर अपने पंजीकृत कार्यालय के रूप में कम से कम एक स्थल पर कार्यरत हो.
- अपने डीएस के साथ उनके सामान या सेवाओं को बेचने या बेचने की पेशकश करने के लिए अधिकृत करने हेतु, उनके साथ एक पूर्व लिखित अनुबंध है, और इस तरह के समझौते की शर्तें उचित, निष्पक्ष और न्यायसंगत होंगी.
- सुनिश्चित करें कि उसके सभी डीएस के पास सत्यापित पहचान और मूल पते हैं और वह केवल ऐसे डीएस को पहचान पत्र और दस्तावेज जारी करते हैं.
- डीएस द्वारा दी जाने वाली वस्तुएं और सेवाएं लागू कानूनों के अनुरूप हों यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय तैयार करें.
- अपने डीएस द्वारा वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री के लिए मिलने वाली शिकायतों के लिए उत्तरदायी होगा.
- प्रत्येक डीएसइ को अपनी वेबसाइट पर स्पष्ट और सुलभ तरीके से निम्नलिखित जानकारी प्रदान करनी होगी:

I. डीएसइ का पंजीकृत नाम, पता, संपर्क विवरण, जिसमें ई-मेल पता, फैक्स, लैंड लाइन और इसके ग्राहक सेवा और शिक. ायत निवारण अधिकारियों के मोबाइल नंबर शामिल हैं.

II. दर्ज कराई गई प्रत्येक शिकायत के लिए एक टिकट संख्या जिसके माध्यम से शिकायतकर्ता शिकायत की स्थिति को जान सकता है.

III. रिटर्न, रिफंड, एक्सचेंज, वारंटी और गारंटी, डिलीवरी और शिपमेंट, भुगतान के तरीके, शिकायत निवारण तंत्र और ऐसी अन्य संबंधित जानकारी जो उपभोक्ताओं द्वारा सूचित निर्णय लेने के लिए आवश्यक हो सकती है.

9. डीएस निम्नलिखित नहीं करेगा

- बिना किसी पहचान पत्र और पूर्व नियुक्ति या अनुमोदन के किसी उपभोक्ता के परिसर में जाना.
- ऐसा कोई साहित्य प्रदान करें, जिसे सीधी बिक्री वाली संस्था द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है.
- किसी भी साहित्य या बिक्री प्रदर्शन साधन को खरीदने की संभावना की आवश्यकता है.
- बिक्री के अनुसरण में, कोई भी ऐसा दावा न करें जो डीएसइ द्वारा अधिकृत दावों के अनुरूप न हो.

10. उद्योगजगत की प्रतिक्रिया

उन्होंने कहा कि नियम उद्योग को वैधता प्रदान करते हैं, उपभोक्ताओं को पिरामिड और मनी सर्कुलेशन योजनाओं से बचाते हैं और अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को आकर्षित करने में भी मदद करते हैं.

कोविड-19 के खिलाफ एक नई गोली और दो टीके

केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने कोविड-19 रोधी दवा 'मोलनुपिराविर' (गोली) तथा कोविड-19 रोधी टीके 'कोवोवैक्स' और 'कोर्बेवैक्स' को कुछ शर्तों के साथ आपात स्थिति में उपयोग की अनुमति दे दी है.

1. मोलनुपिराविर: ओरल एंटीवायरल ड्रग

- **औषध :-** मोलनुपिराविर.
- **डेवलपर्स:-** यूएस आधारित फर्म रिजबैक बायोथेरेप्यूटिक्स और मर्क.
- **जनादेश:-** कोविड-19 वाले वयस्क रोगियों के इलाज के लिए इसे मंजूरी दे दी गई है "जिनमें बीमारी के बढ़ने का उच्च जोखिम है".
- **कार्यप्रणाली:-** यह वायरस के आनुवंशिक कोड में त्रुटियों को शामिल करके प्रतिकृति को रोकता है.
- **खुराक:-** मोलनुपिराविर 200 मिलीग्राम की गोलियों में आता है; भारत में 5 दिनों के लिए प्रतिदिन दो बार 800 मिलीग्राम की सिफारिश की जाती है.
- **निर्माता:-** 13 भारतीय दवा निर्माता कंप. निया डॉ रेड्डीज, नैटको, एमएसएन, हेटेरो, ऑप्टिमस, अरबिंदो फार्मा, माइलान, सिप्ला, सन फार्मा, टोरेंट, बीडीआर स्ट्राइड और पुणे स्थित एमक्योर.
- **प्रभाव:-**

I. **यूके:-** 4 दिसंबर को मोलनुपिरवीर को मंजूरी दी, क्योंकि यह "सुरक्षित और प्रभावी" पाया गया है.

II. **अमेरिका :-** 23 दिसंबर को मंजूरी दे दी गई, इसे लगातार पांच दिनों से अधिक समय तक या 18 वर्ष से कम उम्र के रोगि. यों में उपयोग के लिए अधिकृत नहीं किया.

III. **भारत :-** जिन्हें रोग के बढ़ने का उच्च जोखिम है और 93% से अधिक ऑक्सीजन स्तर वाले वयस्क कोविड रोगियों के उपचार के लिए अनुशंसित.

की तीसरी (6-महीने की बूस्टर) खुराक ली है, उन्होंने 189वे दिन में बूस्टर खुराक के बाद "मजबूत एंटी-स्पाइक आईजीजी प्रतिक्रियाए" का उत्पादन किया.

2. कॉर्बेवैक्स :- प्रोटीन सब-यूनिट वैक्सीन

- **वैक्सीन :-** कॉर्बेवैक्स
- **डेवलपर्स:-** वायरस के एंटीजेनिक भागों को टेक्सास चिल्ड्रन हॉस्पिटल सेंटर फॉर वै. क्सीन डेवलपमेंट द्वारा विकसित किया गया है और बीसीएम (बायलर कॉलेज ऑफ मेडि. सिन) वेंचर्स से लाइसेंस प्राप्त है.
- **जनादेश:-** आपातकालीन उपयोग के तहत उपयोग की जाने वाली वैक्सीन
- **कार्यप्रणाली:-** कॉर्बेवैक्स एक प्रोटीन सब-यूनिट वैक्सीन है, जिसका अर्थ है कि पूरे वायरस के बजाय, यह प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर करने के लिए इसके टुकड़ों का उपयोग करता है. इस मामले में, सबयूनिट वैक्सीन में एक हानिरहित

- **निर्माता:-** सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई)
- **प्रभाव:-**

I- एसआईआई ने टीके का मूल्यांकन दो, चरण 3 के परीक्षणों में किया है.

II. यूके में मूल वायरस स्ट्रेन के खिल. फ 96.4% की प्रभावकारिता, अल्फा के खिलाफ 86.3% और 89.7% की समग्र प्रभावकारिता प्रदर्शित कि है.

III- अमेरिका और मैक्सिको में PREVENT&19 परीक्षण ने मध्यम और गंभीर बीमारी के खिलाफ 100% सुरक्षा और 90.4% की समग्र प्रभावकारिता का प्रदर्शन किया है.

IV- 2 दिसंबर, 2021 को नोवावैक्स ने घोषणा की कि जिन रोगियों को इस टीके

एस प्रोटीन होता है. एक बार जब प्रतिरक्षा प्रणाली प्रोटीन को पहचान लेती है, तो यह वास्तव में संक्रमित होने पर लड़ने के लिए एंटीबॉडी का उत्पादन करती है.

- **निर्माता:-** बायोलॉजिकल ई लिमिटेड, हैदराबाद. बायोलॉजिकल ई ने प्रति माह 75 मिलियन खुराक से उत्पादन शुरू करने की योजना बनाई है, और फरवरी से प्रति माह 100+ मिलियन खुराक तक पहुंचने का अनुमानित है.
- **प्रभाव:-**

I. बायोलॉजिकल ई ने पूरे भारत में 33 अध्ययन स्थलों पर 3,000 से अधिक लोगो पर तीसरे चरण के परीक्षण पूरे कर लिए हैं.

II. इसमें कहा गया है, डेल्टा स्ट्रेन के खिलाफ एंटीबॉडी टाइट्रेस को बेअसर करना प्रकाशित अध्ययनों के आधार पर रोगसूचक संक्रमण की रोकथाम के लिए 80% से अधिक की वैक्सीन प्रभावशी. .लता को इंगित करता है.

III. इम्युनोजेनिक श्रेष्ठता के अंतिम बिंदु के साथ किए गए चरण 3 के सक्रिय परीक्षणों में, कॉर्बेवैक्स ने कोविशील्ड वैक्सीन की तुलना में बेहतर प्रति. रक्षा प्रतिक्रिया का प्रदर्शन किया, जब मूल-वुहान वायरस और विश्व स्तर पर प्रमुख डेल्टा संस्करण पर को बेअसर करने के लिए मूल्यांकन किया गया था.

3. कोवोवैक्स:- रिकॉम्बिनेंट नैनोपार्टिकल वैक्सीन

- **वैक्सीन:-** कोवोवैक्स
- **डेवलपर:-** नोवावैक्स, यूएसए
- **जनादेश:-** 20 दिसंबर को डब्ल्यूएचओ ने वैक्सीन के लिए इमरजेंसी यूज लिस्टिंग जारी की है.
- **कार्यप्रणाली:-** कोवावैक्स एक प्रोटीन सब-यू. निट वैक्सीन है, लेकिन पुन: संयोजक नैनोपा. र्टिकल तकनीक का उपयोग करता है. स्पाइक प्रोटीन की हानिरहित प्रतियां कीट कोशिकाओं में उगाई जाती हैं. फिर प्रोटीन को निकाला जाता है और वायरस जैसे नैनोकणों में इकट्ठा किया जाता है. नोवावैक्स ने एक प्रतिरक्षा-बढ़ाने वाले यौगिक (सहायक) का उपयोग किया है.

संघ और उसका राज्यक्षेत्र

1. अनुच्छेद 1, संघ और उसका राज्यक्षेत्र

(1) भारत, अथार्त् इंडिया, राज्यों का संघ होगा

(2) राज्य और उनके राज्यक्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिस्ट हैं

(3) भारत के राज्यक्षेत्र में,–

(a) राज्यों के राज्यक्षेत्र,

(b) पहली अनुसूची में विनिर्दिस्ट संघ राज्यक्षेत्र, और

(c) ऐसे अन्य राज्यक्षेत्र जो अर्जित किये जाएं, समविस्ट होंगे

2. भारत के क्षेत्र का अर्थ

एन. मस्तान साहिब केस, 1962 में, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, "भारत के राज्यक्षेत्र" शब्द का इस्तेमाल संविधान के कई अनुच्छेद में किया गया है और हर लेख में जहां इन वाक्यांशों का उपयोग किया जाता है, इसका मतलब है कि जो भारत का क्षेत्र अनुच्छेद 1(3) के भीतर आता है लेकिन वाक्यांश का अर्थ अलग-अलग अनुच्छेदों में अलग-अलग क्षेत्रों से नहीं हो सकता है.

3. अनुच्छेद 2, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना

संसद, विधि द्वारा, ऐसे निबंधनो और शर्तो पर, जो वह ठीक समझे, संघ में नए रा. ज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी

4. अनुच्छेद 3, नए राज्यों का निमार्ण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन

संसद, विधि द्वारा

(a) किसी राज्य में से उसका रा. ज्यक्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिला. कर अथवा कि सी राज्यक्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिला. कर नए राज्य का निमार्ण कर सकेगी

(b) किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी

(c) किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी;

(d) किसी राज्य की सीमाओं में परिवतर्न कर सकेगी

(e) किसी राज्य के नाम में पिरवतर्न कर सकेगी

5. अनुच्छेद 3 की वैधता

पीवी कृष्णैया केस, 2014 के तहत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, संविधान के अनुच्छेद 3 को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि संसद को अनिवार्य रूप से संघवाद की अवधारणा को बनाए रखने में सक्षम बनाता है. इसलिए, बुनियादी ढांचे में से एक, अर्थात्, संविधान का संघीय चरित्र, संविधान के अनुच्छेद 3 द्वारा आरक्षित है. यह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है.

6. बांग्लादेश के साथ प्रदेशों का आदान-प्रदान

I. 100वें संवैधानिक संशोधन अधि नियम (2015) के तहत भारत ने बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों का अधिग्रहण किया और भारत और बांग्लादेश की सरकारों के बीच हुए समझौते और इसके प्रोटोकॉल के अनुसरण में कुछ क्षेत्रों को बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया.

II. इस सौदे के तहत भारत ने 111 एन्क्लेव बांग्लादेश को हस्तांतरित किए, जबकि बांग्लादेश ने 51 एन्क्लेव भारत को हस्तांतरित किए. इसके अलावा, इस सौदे में प्रतिकूल संपत्ति का हस्तांतरण और 6.1 किमी अनिर्धारित सीमा खंड का सीमांकन भी शामिल था.

7. राज्य पुनर्गठन

I. धर आयोग

जून 1948 में, भारत सरकार ने भाषाई आध र पर राज्यों के पुनर्गठन की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की. आयोग ने भाषाई कारकों के बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की.

II. जेवीपी समिति

- धर आयोग की अनुशंसा से उत्पन्न आक्रोश के कारण दिसम्बर, 1948 में जेवीपी समिति का गठन किया गया.
- इसमें जे एल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पी. सीतारमैया शामिल थे.
- आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को खारिज कर दिया.

III. फजल अली आयोग

आंध्र प्रदेश के निर्माण के बाद, भाषाई आधार पर अधिक राज्यों के निर्माण की मांग ने गति पकड़ी. फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया.

इसकी अनुशंसाएं निम्न थी :-

- देश की एकता और सुरक्षा का संरक्षण और मजबूती.
- भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता.
- वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक तर्क.
- प्रत्येक राज्य के साथ-साथ पूरे देश में लोगों के कल्याण की योजना बनाना और उसे बढ़ावा देना.

जल पक्षी स्थिति सर्वेक्षण-2022 और चिल्का झील

1. खबरों में क्यों

चिल्का झील, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी खारे पानी की झील और पक्षियों का सर्दियों में निवास स्थान है. इस वर्ष मंगोलियाई गल सहित, लाखों पक्षियों का इस जलाशय में आगमन हुआ है.

2. चिल्का झील

- चिल्का झील एक खारे पानी की झील है और पूर्वी भारत के ओडिशा राज्य के पुरी, खुर्दा और गंजम जिलों में फैली हुई, एक उथला लैगून है
- लवणता और गहराई के आधार पर लैगून को मोटे तौर पर चार पारिस्थितिक क्षेत्रों अर्थात् दक्षिणी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र और बाहरी चैनल में विभाजित किया जा सकता है.
- लैगून में कई द्वीप मौजूद हैं, जिनमें कृष्णप्रसाद, नलबाना, कालीजाई, सोमोलो और पक्षी द्वीप समूह प्रमुख हैं.

3. चिल्का झील की विशेषता

- चिल्का एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लैगून है.
- इसे रामसर साइट और एक संभावित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है.
- चिल्का झील को 1981 में भारत में अंतरराष्ट्रीय महत्व की पहली रामसर कन्वेंशन वेटलैंड घोषित किया गया था.
- यह कई भेद्य पौधों और जानवरों की प्रजातियों का घर है और भारतीय उपमहा. द्वीप में प्रवासी पक्षियों के लिए प्रमुख शीतकालीन स्थल है.
- चिल्का में प्रमुख आकर्षण इरावदी डॉल्फिन हैं जिन्हें अक्सर सतपाड़ा द्वीप से देखा जाता है.

- इस साल राजहंसों की संख्या पिछले एक दशक में सबसे अधिक थी.

4. जल पक्षी स्थिति सर्वेक्षण-2022

- पक्षी गणना ओडिशा राज्य वन्यजीव संग. ठन, चिल्का विकास प्राधिकरण (सीडीए) और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से की गई.
- चिल्का के नलबाना पक्षी अभयारण्य में कुल 3,58,889 पक्षियों (97 प्रजातियों) की गिनती की गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 65,899 कम थी.
- कमी का कारण उच्च जल स्तर और आसपास के खेती वाले क्षेत्रों में पानी की उपस्थिति थी. जल पक्षी बड़े मडफ्लैट्स पर झुंड में रहना पसंद करते हैं.
- उत्तरी शोवेलेर, गुच्छेदार बत्तख और लाल कलगी पोचार्ड जैसी प्रजातियों की संख्या में मामूली कमी देखी गई.
- उत्तरी पिंटेल, कॉमन कूट और कॉमन पोचार्ड की आबादी में वृद्धि देखी गई.
- नलबाना मडफ्लैट में फ्लेमिंगो की संख्या में वृद्धि इंगित करती है कि नलबाना में बहाली प्रभावी है. यह मडफ्लैट्स के उचित प्रबंधन के कारण हुए है.
- स्थानीय प्रजातियाँ जैसे बैंगनी दलदल-मुर्गी, बैंगनी बगुला, भारतीय मूरहेन और जकाना अधिक संख्या में पाए गए.

5. चिल्का के अतिथि

चिल्का झील कैस्पियन सागर, बैकाल झील, अरल सागर, रूस के दूरदराज के हिस्सों, मंगोलिया के किर्गिज स्टेप्स, मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया, लद्दाख और हिमालय से प्रवास करने वाले पक्षियों की मेजबानी करती है.

6. चिल्का लैगून में पारिस्थि. तिक समस्याएं

- अंतर्देशीय नदी प्रणालियों से तटीय बहाव और तलछट के कारण गाद कि समस्या.
- जल सतह क्षेत्र का सिकुड़ना.
- इनलेट चौनल का बंद होना और साथ ही समुद्र से जुड़ने वाले मुहाने का स्थानांतरण.
- लवणता और मत्स्य संसाधनों में कमी.
- ताजे पानी की अस्थानीय प्रजातियों का प्रसार, जैव विविधता का एक समग्र नुकसान, उत्पादकता में गिरावट के साथ इस पर निर्भर समुदाय की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव.

7. चिल्का झील के जीर्णोद्धार के उपाय

- झींगा पालन का उन्मूलन और झींगा 'घेरियों' का विध्वंस जो ज्वार को बाधित करता है, लवणता के स्तर को कम करता है और झील के सीमांत क्षेत्रों में गाद की प्रक्रिया को तेज करता है.
- चिल्का में मोटर चालित नौकाओं पर प्रतिबंध क्योंकि वे पानी को प्रदूषित करती हैं.
- 'जीरो नेट' पर प्रतिबंध क्योंकि यह विभि. न्न छोटी मछलियों, झींगा और केकड़े को नष्ट कर देता है, जिससे कुल संख्या में कमी हो रही है.

- चिल्का के पास बंगाल की खाड़ी में ट्रॉलरों द्वारा मछली पकड़ने पर प्रतिबंध क्योंकि वे समुद्र से झील में मछली और झींगा के प्रवेश में बाधा डालते हैं.
- विशेष रूप से चिल्का के पश्चिमी और उत्तरी स्रोतों में तैरते जलीय खरपतवारों को हटाना क्योंकि वे गाद बढ़ाते हैं और नावों की आवाजाही में बाधा डालते हैं.

8. बहाली के प्रयासों के बाद लाभ

- चिल्का लैगून की बहाली से पता चलता है कि किसी साइट की पारिस्थितिक विशेषताओं की बहाली से न केवल लैगून पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार होता है बल्कि आर्द्रभूमि पर निर्भर समुदाय को भी लाभ होता है.
- प्रत्येक परिवार की औसत वार्षिक आय में रु.50,000 से अधिक की वृद्धि हुई.

1. खबरों में क्यों

कैलिफोर्निया स्थित क्वांटमस्केप कॉर्प, वोक्सवैगन एजी द्वारा समर्थित एक बैटरी स्टार्टअप, ने सीईओ जगदीप सिंह के लिए एक बहु-अरब डॉलर के वेतन पैकेज को मंजूरी दी है. इससे पता चलता है कि इस नेसेन्ट क्षेत्र में कितनी क्षमता है.

2. उद्यम से आशा

- क्वांटमस्केप की सॉलिड-स्टेट बैटरी – जो लिथियम धातु के साथ ठोस इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा दो इलेक्ट्रोड को अलग करने कि कोशिश को आशा के साथ देखा जा रहा है.
- कंपनी को वोक्सवैगन और बिल गेट्स के वेंचर फंड से वित्तीय सहायता मिली है.
- क्वांटमस्केप का दावा है कि इसमें सॉलिड स्टेट सेपरेटर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जो पारंपरिक लिथियम-आयन सेल्स के एनोड में लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट और कार्बन/ग्रेफाइट के बीच साइड रिएक्शन को खत्म करता है.
- वोक्सवैगन ने क्वांटमस्केप के साथ साझेदारी में 2025 तक सॉलिड-स्टेट बैटरी बनाने की योजना बनाई है.

3. सॉलिड-स्टेट बैटरी के बारे में

- लिथियम-आयन कोशिकाओं के मुख्य नुकसान लंबे चार्जिंग समय और कमजोर ऊर्जा घनत्व हैं.
- लिथियम-आयन बैटरी फोन और लैपटॉप के लिए पर्याप्त रूप से कुशल हैं, लेकिन ईवी के लिए नहीं.
- वर्तमान लिथियम-आयन बैटरी में, इले. क्ट्रोलाइट एक ज्वलनशील तरल है, डेंड्राइट (शाखाओं वाली लिथियम संरचनाएं) के गठन से आग लग सकती है.
- क्वांटमस्केप के अनुसार इसकी सॉ. लिड-स्टेट लिथियम-मेटल बैटरी पारंपरिक लिथियम-आयन बैटरी में इस्तेमाल होने वाले पॉलीमर सेपरेटर के स्थान पर सॉलिड-स्टेट सेपरेटर का प्रयोग करेगी .
- सेपरेटर का प्रतिस्थापन पारंपरिक कार्बन/ग्रेफाइट एनोड के स्थान पर लिथियम-मेटल एनोड के उपयोग को सक्षम बनाता है

4. सॉलिड-स्टेट बैटरी की श्रेष्ठता

- सॉलिड-स्टेट बैटरी तकनीक की श्रेष्ठता इस प्रकार है

I- उच्च सेल ऊर्जा घनत्व
II- कम चार्जिंग समय
III- अधिक चार्जिंग चक्र
IV. लम्बी बैटरी लाइफ और बेहतर सुरक्षा
V- कम लागत, बैटरी के रूप में कुल वाहन लागत का लगभग 30% खर्च होता है.

- डेलॉयट अध्ययन के अनुसार, ईवी खरीदने वाले उपभोक्ताओं के लिए तीन प्रमुख बिंदु हैं:

I- कीमत,
II- विश्वसनीयता,
III- चार्ज करने की लागत

- ब्लूमबर्गएनईएफ के अनुसार, वर्तमान में लिथियम-आयन बैटरी की कीमत लगभग $137 प्रति kWh है, जो 2023 तक $101/kWh तक पहुंचने की उम्मीद है.
- क्वांटमस्केप का लक्ष्य बैटरी की लागत को चक्रीय जीवन में लिथियम-आयन बैटरी की लागत की तुलना में 15-20% तक कम करना है.

बैटरी प्रौद्योगिकी की क्षमता

5. कुछ अन्य प्रतिस्पर्धी

- **फार्म एनर्जी :**

I. अमेरिकी कंपनी फॉर्म एनर्जी इंक एक रिचार्जेबल आयरन-एयर बैटरी पर काम कर रही है जो 100 घंटे तक बिजली देने में सक्षम होगी.

II- कंपनी ने कहा कि इसकी बैटरी का उपयोग अक्षय बिजली ग्रिड के चौबीसों घंटे संचालन सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है.

III- बैटरी का आकार और वजन - प्रत्येक इकाई एक छोटे रेफ्रिजरेटर के आकार की होती है, जो ईवी में इसके अनुप्रयोग को अव्यावहारिक बनाती है.

- **टोयोटा:**

I- टोयोटा सॉलिड-स्टेट बैटरी से जुड़े 1,000 वैश्विक पेटेंट की सूची में सबसे आगे है.

II- टोयोटा की योजना सॉलिड-स्टेट बैटरी से लैस ईवी बेचने वाली पहली कंपनी बनने की है और वह एक प्रोटोटाइप का अनावरण करने की प्रक्रिया में है.

- **एप्पल :**

I- एप्पल ने कहा कि वह सेल्फ-ड्राइविंग कार तकनीक पर काम कर रहा है और एक यात्री वाहन का उत्पादन करने के लिए 2024 को लक्षित कर रहा है.

II. ऐप्पल "ब्रेक-थ्रू" बैटरी डिजाइन पर काम कर रहा है जो बैटरी की लागत को "मौलिक रूप से" कम कर सकता है और वाहन की चलने की सीमा को बढ़ा सकता है.

6. प्रतिस्पर्धा में भारत

- केंद्र अक्षय ऊर्जा उत्पादन को स्थिरता देने के लिए लगभग 4,000 मेगावाट की ग्रिडस्केल बैटरी भंडारण प्रणाली की एक परियोजना के लिए एक खाका पर काम कर रहा है.
- आरआईएल ने एनर्जी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की योजना की घोषणा की है.
- एनटीपीसी ने ग्रिड-स्केल बैटरी भंडारण परियोजना के लिए एक वैश्विक निविदा जारी की है.
- भारी उद्योग मंत्रालय ने भारत में उन्नत रसायन प्रकोष्ठ (एसीसी) बैटरी भंडारण के लिए विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना के लिए प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) जारी किया है.

- लिथियम धातु एनोड पारंपरिक एनोड की तुलना में अधिक ऊर्जा-घना होता है, जो बैटरी को समान आयतन में अधिक ऊर्जा संग्रहीत करने में मदद करता है.

हरित ऊर्जा कॉरिडोर : चरण 2

1. खबरों में क्यों

सरकार ने 6 जनवरी को सात राज्यों में लगभग 20 गीगावॉट अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के ग्रिड एकीकरण और बिजली निकासी की सुविधा के लिए 12,031 करोड़ के परिव्यय के साथ हरित ऊर्जा कॉरिडोर के दूसरे चरण को मंजूरी दी.

2. हरित ऊर्जा कॉरिडोर के बारे में

- हरित ऊर्जा गलियारा परियोजना का उद्देश्य सौर और पवन जैसे अक्षय स्रोतों से उत्पादित बिजली को ग्रिड में पारंपरिक बि. जली स्टेशनों के साथ सिंक्रनाइज करना है.
- हरित ऊर्जा गलियारा एक अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली है जिसे भारत में आठ नवीकरण ीय समृद्ध राज्यों-तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है.
- अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली संबंधित स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटीज (एसटीयू) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है और अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है.
- यह योजना सात राज्यों में लगभग 20 गी. गावाट अक्षय ऊर्जा (आरई) के ग्रिड एकीकरण और बिजली निकासी की सुविधा प्रदान करेगी.

3. हरित ऊर्जा कॉरिडोर : चरण 1

- भारत सरकार ने 2013 में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना शुरू की.
- 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौ. रान संभावित अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के लिए, नवीकरणीय संसाधन संप. न्न राज्यों में इसे लागू किया जा रहा है.
- हरित ऊर्जा गलियारों का पहला चरण आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थ. ान और तमिलनाडु में लागू किया जा रहा है और 2022 तक लगभग 20GW अक्षय ऊर्जा की आपूर्ति में मदद करेगा.

4. हरित ऊर्जा कॉरिडोर : चरण 2

- हरित ऊर्जा गलियारा परियोजना के दूसरे चरण में लगभग 10,750 सर्किट किलोमी. टर पारेषण लाइनें और 27,500 मेगा वोल्ट-एम्पीयर (एमवीए) सबस्टेशनों की क्षमता में वृद्धि होगी.
- यह योजना 2030 तक 450GW स्थापित आरई क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी.

5. भारत में हरित ऊर्जा कॉरिडोर आवश्यकता

- परियोजना का उद्देश्य मुख्य ग्रिड के साथ बड़े पैमाने पर नवीकरणीय उत्पादन क्षमता वृद्धि को एकीकृत करना है.
- भारत का लक्ष्य 500 GW गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा उत्पादन और 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% नवीकरणीय स्रोतों से पूरा करना है. इसलिए इन ऊर्जाओं को एकीकृत करने की आवश्यकता है.
- देश को नवीकरणीय ऊर्जा की अधिक पहुंच के लिए खुद को तैयार करने की जरूरत है.
- ग्रिड स्थिरता और सुरक्षा भारत के लिए मुख्य चिंताएं हैं.
- विद्युत मंत्रालय ने नवीकरणीय ऊर्जा को ग्रिड में एकीकृत करने में, मदद करने के लिए अक्षय ऊर्जा प्रबंधन केंद्र (आरईएमसी) स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है.
- ये केंद्र, राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के पूर्वानुमान और शेड्यूलिंग और राज्य लोड डिस्पैच केंद्रों (एसएलडीसी) के साथ समन्वय के लिए जिम्मेदार होंगे.

6. हरित ऊर्जा कॉरिडोर के लाभ

- यह योजना 2030 तक 450GW स्थापित आरई क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी.
- यह देश की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा में भी योगदान देगा और कार्बन फुटप्रिंट को कम करके पारिस्थितिक रूप से सतत विकास को बढ़ावा देगा.
- यह कॉरिडोर बिजली और अन्य संबंधित क्षेत्रों में कुशल और अकुशल दोनों कर्मियों के लिए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करेगा.
- यह 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली की हिस्सेदारी को 40% तक बढ़ाने की भारत की प्रतिज्ञा में मदद करेगा.
- इस परियोजना से भारत को COP-26, ग्लासगो शिखर सम्मेलन, में की गई जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी.
- यह कॉरिडोर देश की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा में योगदान देगा.
- यह कॉरिडोर, सौर और पवन ऊर्जा जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों से जो रुक-रुक कर विद्युत आपूर्ति करते हैं, से राष्ट्रीय ग्रिड की नियमितता तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करेगा.

1. खबरों में क्यों

यूरोपीय संघ ने पांच भारतीय जैविक प्रमाणन एजेंसियों को काली सूची में डाल दिया और प्रमाणन प्रक्रिया के बारे में चिंता जताई.

2. जैविक उत्पाद

- जैविक उत्पादों को पर्यावरण और सामा. जिक रूप से जिम्मेदार दृष्टिकोण के साथ, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग के बिना कृषि प्रणाली के तहत उगाया जाता है.
- यह खेती की एक ऐसी विधि है जो जमीनी स्तर पर काम करती है, मिट्टी की प्रजनन और पुनर्योजी क्षमता को बनाए रखती है, पौधों का अच्छा पोषण और मिट्टी का अच्छा प्रबंधन करती है, जीवन शक्ति से भरपूर पौष्टिक भोजन का उत्पादन करती है जिसमें रोगों का प्रतिरोध होता है.
- भारत को अपनी विभिन्न कृषि जलवायु परिस्थितियों के कारण सभी प्रकार के जै. विक उत्पादों के उत्पादन की बहुत अधिक संभावनाएं हैं.
- देश के कई हिस्सों में, जैविक खेती विरासत के रूप में मिली हुई है.
- यह जैविक उत्पादकों के लिए बाजार का दोहन करने का वादा करता है जो घरेलू और निर्यात क्षेत्र में लगातार बढ़ रहा है.
- उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, भारत 2020 के आंकड़ों के अनुसार विश्व की जैविक कृषि भूमि के मामले में 8 वें और उत्पादकों की कुल संख्या के मामले में प्रथम स्थान पर है.

3. भारत में जैविक उत्पाद का प्रमाणन

- इंडिया ऑर्गेनिक भारत में निर्मित जैविक खेती वाले खाद्य उत्पादों के लिए एक प्रमाणन चिह्न है. प्रमाणन चिह्न प्रमाणित करता है कि एक जैविक खाद्य उत्पाद वर्ष 2000 में स्थापित जैविक उत्पादों के लिए राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है.
- ये मानक सुनिश्चित करते हैं कि उत्पाद या उत्पाद में प्रयुक्त कच्चे माल :

I. जैविक खेती के माध्यम से उगाया गया
II. रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, या प्रेरित हार्मोन के उपयोग के बिना है.

- प्रमाणीकरण भारत सरकार के जैविक उत्पादन के राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विक. ास प्राधिकरण (एपीडा) द्वारा मान्यता प्राप्त परीक्षण केंद्रों द्वारा जारी किया जाता है.
- एपीडा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीओपी) का कार्यान्वयन कर रही है.
- कार्यक्रम में प्रमाणन निकायों की मान्यता, जैविक उत्पादन के मानक, जैविक खेती और विपणन आदि को बढ़ावा देना शामिल है.
- असंसाधित संयंत्र उत्पादों के लिए यूरोपीय आयोग द्वारा उत्पादन और प्रत्यायन प्रणाली के लिए एनपीओपी मानकों को मान्यता दी गई है.
- इन मान्यताओ के साथ, भारत के मान्यता प्राप्त प्रमाणन निकायों द्वारा विधिवत प्रमाणित भारतीय जैविक उत्पादों को आयात करने वाले देशों द्वारा स्वीकार किया जाता है.

4. भारत के जैविक उत्पाद निर्यात में वृद्धि

- भारत से जैविक उत्पादों का निर्यात 2019-20 की तुलना में 2020-21 में 51% बढ़कर 1.04 बिलियन डॉलर हो गया.
- अमेरिकी कृषि विभाग (यूएसडीए) की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत का जैविक उत्पाद बाजार - खाद्य और पेय पदार्थ, स्वास्थ्य और कल्याण, सौंदर्य और व्यक्तिगत देखभाल और वस्त्र, 2020-21 में 1.04 बिलियन डॉलर के मुकाबले 2026 तक 10.1 बिलियन डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है.

जैविक उत्पाद के निर्यात के मुद्दे

5. भारत के जैविक उत्पाद के निर्यात की चुनौतियाँ

- जैविक उत्पादों के विपणन में सबसे बड़ी चुनौती उत्पाद की अखंडता सुनिश्चित करना है.
- भारत की जैविक उत्पाद नियंत्रण प्रणाली से संबंधित चुनौतियां और धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं ने भारत के जैविक उत्पाद क्षेत्र की विश्वसनीयता को प्रभावित कर रहे है.
- जैविक प्रमाणीकरण के संबंध में समस्या यह है कि प्रणाली में खामियों का उपयोग बेईमान तत्वों द्वारा किया जाता है.
- वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनाए रखना और जैविक सिद्धांतों को वाणिज्यिक अनिवार्यताओं के साथ संतुलित करना.
- मानकों और प्रमाणन के अंतर्राष्ट्रीय सामंजस्य का अनुसरण करना.
- जैविक उत्पादन, प्रसंस्करण, परिवहन और प्रमाणन आदि के दिशा-निर्देश आम भारतीय किसान की समझ से परे हैं.
- उत्पादन बाधाओं, जैसे खरपतवार, पशु स्वास्थ्य और मिट्टी की उर्वरता के लिए स्थानीय रूप से विकसित कृषि समाधान विकसित करना.

6. भविष्य के उपाय

- दीर्घावधि में, केंद्रित और बड़े पैमाने पर गतिविधियों को करने के लिए एक प्राकृतिक और जैविक कृषि संवर्धन बोर्ड का निर्माण जैविक उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए रोडमैप का हिस्सा होना चाहिए
- प्रमाणन प्रक्रिया को लीक प्रूफ बनाया जाना चाहिए
- भारत के जैविक उत्पाद में विदेशी विश्वास बनाने के लिए एक प्रभावी नीतिगत वातावरण बनाने की आवश्यकता है.

समसामायिक आधारित बहुविकल्पी प्रश्न

Q-1. पोषण अभियान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह युवा लड़कियों और महिलाओं में एनीमिया की रोकथाम के लिए एक वित्तीय प्रोत्साहन योजना है.
2. इसे 'जन आंदोलन' के रूप में प्रारम्भ किया गया था, जिसका अर्थ है, महिलाओं और बच्चों के बीच कुपोषण की ओर देश का ध्यान आकर्षित करने के लिए लोगों के आंदोलन से है.

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (b)

Q-2. निम्नलिखित में से कौन रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत आर्द्रभूमि के रूप में सम्मिलित होने का मानदंड नहीं है?

(a) यह स्वदेशी मछली उप-प्रजातियों के एक महत्वपूर्ण अनुपात का समर्थन करता है.
(b) यह नियमित रूप से 2000 या अधिक जलपक्षियों का समर्थन करता है.
(c) यह एक प्रजाति या आर्द्रभूमि प्रजातियों की उप-प्रजातियों की आबादी के 1% का प्रतिनिधित्व करती है.
(d) यह कमजोर, लुप्तप्राय, या गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों या संकटग्रस्त पारिस्थितिक समुदायों का समर्थन करता है.

उत्तर: (b)

Q-3. बुडापेस्ट कन्वेंशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?

(a) मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण
(b) अंतरिक्ष परमाणुकरण
(c) महिला अधिकार
(d) साइबर अपराध

उत्तर: **(d)**

Q.4. महिला सशक्तिकरण के लिए सरकारी योजनाओं के संदर्भ में, निम्नलिखित पर विचार करें:

1. राष्ट्रीय महिला कोष (आरएमके) - यह एक शीर्ष सूक्ष्म वित्त संगठन है जो गरीब महिलाओं को विभिन्न आजीविका और आय सृजन गतिविधियों के लिए रियायती शर्तों पर सूक्ष्म ऋण प्रदान करता है.
2. कामकाजी महिला छात्रावास (डब्ल्यूडब्ल्यूएच) - यह कामकाजी महिलाओं की रक्षा तथा सुरक्षा सुनिश्चित करता है.
3. सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) - इस योजना के तहत बैंक खाते खोलकर लड़कियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया गया है.
4. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना- इसका उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को मातृत्व लाभ प्रदान करना है.

उपरोक्त में से कौन सा/से मिलान सही है?

(a) केवल 1, 2 और 4
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1, 2 और 3
(d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (d)

Q-5. विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) का मुख्यालय कंहा स्थित है?

(a) न्यूयॉर्क, अमेरिका
(b) विएना, ऑस्ट्रिया
(c) मॉन्ट्रियल, कनाडा
(d) पेरिस, फ्रांस

उत्तर: (c)

Q-6. हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत में यूनिकॉर्न कि संख्या कितनी है?

(a) 54 **(b)** 55
(c) 64 **(d)** 65

उत्तर: (a)

Q-7. सुशासन सूचकांक 2021 के ग्रुप ए श्रेणी कौन सा राज्य पहले स्थान पर है ?

(a) महाराष्ट्र
(b) गुजरात
(c) तमिलनाडु
(d) केरल

उत्तर **(b)**

शेष भाग पेज 42 पर-

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण से संबंधित प्रश्न

1. निम्नलिखित पर विचार करें -
   1. बोटनिकल गार्डेन
   2. बायोस्फीयर रिजर्व
   3. वाइल्डलाइफ सफारी पार्क
   4. वाइल्डलाइफ सेंक्चुरी
   5. पवित्र उपवन
   6. जीन बैंक

   उपरोक्त में से कौन इन-सीटू संरक्षण का उदाहरण है?
   (a) केवल 2, 3 और 4
   (b) केवल 2, 4 और 5
   (c) केवल 1, 3, 5 और 6
   (d) केवल 3, 4, 5 और 6

2. निम्नलिखित में से कौन-कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं और क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत शामिल हैं?
   1. कार्बन डाइ ऑक्साइड (Co_2)
   2. जल वाष्प
   3. सल्फर डाइ ऑक्साइड
   4. परफ्लोरोकार्बन (PFCs)
   5. ओजोन

   नीचे दिये गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें -
   (a) केवल 1, 2, 3 और 5
   (b) केवल 1, 2 और 5
   (c) केवल 1 और 4
   (d) 1, 2, 3, 4 और 5

3. निम्नलिखित में से कौन-सा अभिसमय अपने थीम के साथ सही सुमेलित नहीं है:
   1. रोटरडम अभिसमय - खतरनाक रसायन और कीटनाशक
   2. स्टॉकहोम अभिमसय - खतरनाक कचरे और उनके निपटान के ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट का नियंत्रण
   3. बेसेल अभिसमय - सतत् कार्बनिक प्रदूषक
   4. नगोया प्रोटोकॉल - जैविक विविधता

   निम्नलिखित कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें-
   (a) 1 और 2 **(b)** 2 और 3
   (c) 3 और 4 **(d)** 1 और 4

4. 'की स्टोन' प्रजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:-
   1. की स्टोन प्रजातियाँ स्वतंत्र प्रजातियाँ होती हैं जो भोजन तंतु में किसी और प्रजातियों से जुड़ी नहीं होती।
   2. पौष्टिकता पिरामिड में कीस्टोन प्रजातियों के पास उच्चस्तर का बायोमास होता है।
   3. कीस्टोन प्रजातियों की क्षति अन्य प्रजातियों के प्रसार का कारण हो सकती है।

   ऊपर दिये गए कथनों में से कौन सही है/हैं?
   (a) केवल 1 **(b)** 1 और 2
   (c) 1, 2 और 3 **(d)** कोई नहीं

5. हाल ही में 'लाइक माइन्डेड मेगाडाइवर्स कन्ट्रीज (LMMC) ग्रुप समाचारों में था। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
   1. 'द लाइक माइन्डेड मेगाडाइवर्स कन्ट्रीज (LMMC) उन देशों का समूह है जिसके पास पृथ्वी की प्रजातियों की बहुलता है।
   2. ये सभी देश उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अवस्थित हैं।
   3. भारत इस समूह के सदस्य देशों में से एक है।

   ऊपर दिये गए कथनों में से कौन सही है/हैं?
   (a) केवल 1 **(b)** 1 और 2
   (c) केवल 3 **(d)** 1, 2 और 3

6. कथन (A): खाद्य श्रृंखला स्थलीय बायोम की तुलना में महासागरीय जल में अधिक जटिल है।
   कारण (R): महासागरों और समुद्रों में प्रभावी अवरोध होता है जो जीवों और वनस्पतियों को कुछ निश्चित इलाकों में प्रतिबंधित करता है।
   निम्नलिखित कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करें:
   (a) **A** और **R** दोनों सही हैं तथा **R, A** की सही व्याख्या करता है।
   (b) **A** व **R** दोनों सही है, किंतु **R, A** की सही व्याख्या नहीं करता।
   (c) **A** सही है, किंतु **R** गलत है.
   (d) **A** गलत है, किन्तु **R** सही है.

7. निम्नलिखित कथन पर विचार करें :
   1. जैविक विकास न केवल नई प्रजातियों को जन्म देता है बल्कि कुछ पुराने प्रजातियों को समाप्त भी करता है।
   2. विलुप्त होने का तात्पर्य पृथ्वी से एक प्रजाति का पूरी तरह से गायब हो जाना है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

8. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :

1. संकटग्रस्त प्रजातियाँ वे प्रजातियाँ हैं जिनकी आबादी कम है और स्थान सीमित क्षेत्रों तक ही सीमित है.
2. दुर्लभ प्रजातियाँ वे प्रजातियाँ हैं जिनकी जनसंख्या में काफी गिरावट आई है या जिनका आवास पूर्णत: उन्मूलन के कगार पर है.

उपरोक्त में से कौन से/सा कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

9. भारत के 'गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति के संबंध में निम्न लिखित पर विचार करें:

1. जर्डन'स करसर
2. पिग्मी हॉग
3. नामदफा फ्लाइंग स्क्वेरल
4. हॉक्सबिल टर्टल

दिए गए प्रजातियों में से कौन स्तनधारी नहीं है?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 4
(d) 1, 2 और 3

10. निम्नलिखित में से कौन-सा राज्य लोकसभा चुनाव 2014 में सभी चुनाव बूथों को 'नो स्मोकिंग एरिया' के रूप में घोषित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया?

(a) अरूणाचल प्रदेश
(b) मध्य प्रदेश
(c) जम्मू और कश्मीर
(d) गुजरात

11. 'इण्डियन राइनो विजन' **(IRV)** 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें -

1. एक संयुक्त कार्यक्रम 'भारतीय राइनो विजन **(IRV)** 2020 को शुरू करने के लिए वर्ल्ड वाइड फण्ड **(WWF)** और भारत ने संयुक्त भागीदारी है.
2. यह योजना 2020 तक असम में गैंडों (राइनो) की आबादी वृद्धि कर 3000 तक करने के उद्देश्य के साथ जनवरी 2014 में बनायी गयी.
3. कार्यक्रम के तहत गैंडों को स्थानांतरित करने से पहले उसके सींगों की छंटनी की जाएगी.

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) 1 और 2
(c) 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

12. सुमेलित कीजिए-

महत्वपूर्ण दिवस	संबंधित तिथि
A. विश्व क्षय रोग दिवस	1. 3 मार्च
B. विश्व वन्यजीवन दिवस	2. 15 मार्च
C. विश्व जल दिवस	3. 22 मार्च
D. विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस	4. 24 मार्च

कूट:

	A	B	C	D
(a)	2	1	4	3
(b)	4	3	2	1
(c)	4	1	3	2
(d)	1	2	4	3

13. 'व्यासी परियोजना' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. व्यासी परियोजना उत्तराखण्ड में यमुना नदी पर जलविद्युत परियोजना है.
2. यह एक वहनीय नदी योजना **(run-of-the river scheme)** है.
3. उत्तराखण्ड में इस परियोजना की स्थापना के लिए भेल **(BHEL)** ने अनुबंध प्राप्त किया है.

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 2 व 3
(d) 1, 2 व 3

14. भारत ने रानी की वाव एवं ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के दर्जे के लिए नामित किया है. यह क्रमश: स्थित हैं-

(a) गुजरात एवं हिमाचल प्रदेश में
(b) हिमाचल प्रदेश एवं गुजरात में
(c) उत्तराखण्ड एवं हिमाचल प्रदेश में
(d) गुजरात एवं उत्तराखण्ड में

15. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
1. भारत में ''प्रोजेक्ट टाईगर'' के लिए 16 से अधिक टाईगर रिजर्व हैं.
2. राष्ट्रीय ''वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम'' 1972 में पारित हुआ.
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सत्य है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

16. निम्न कथनों पर विचार कीजिए
1. स्थानिक प्रजाति एक ऐसी प्रजाति है जो एक विशेष क्षेत्र में सीमित होती है.
2. साल और टीक शीतोष्ण पर्णपाती वनों की प्रमुख प्रजातियाँ हैं.
3. भारत का एकमात्र लंगूर 'हूलॉक गिब्बन' हजारी बाग नेशनल पार्क में पाया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 तथा 3

17. निम्नलिखित जन्तुओं पर विचार कीजिए-
1. चीता
2. स्नो लियोपार्ड
3. वूल्फ
4. हिप्पोपोटैमस
उपर्युक्त में से कौन सा/से जन्तु भारत से विलुप्त हो गया/गये है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4

18. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-
1. जल में कार्बनिक प्रदूषक की गुणवत्ता जैव रासायनिक माँग **(B.O.D)** द्वारा निर्धारित की जाती है।
2. यदि एक नदी के जल का बी. ओ. डी. अत्यधिक उच्च पाया जाता है, तो इसका अर्थ है कि जल बहुत कम प्रदूषित है.
उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 न ही 2

19. जैव आवर्धन क्या है?
(a) मानव द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों का वृहदीकरण
(b) खाद्य खपत के कारण जीवों का विकास
(c) सूक्ष्मजीवीय क्रियाकलाप द्वारा घुलित ऑक्सीजन का न्यूनीकरण
(d) गैर अपघटनीय प्रदूषक के सान्द्रण में वृद्धि जब वे खाद्य श्रृंखला से होकर गुजरते हैं.

20. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
1. जलाशयों में उर्वरकों का अत्यधिक मुक्त होने का परिणाम यूट्रोफिकेशन है.
2. यूट्रोफिकेशन के कारण घुलित ऑक्सीजन में कमी होती है.
3. किसी झील का पूर्ण यूट्रोफिकेशन इसके पोषक तत्वों को क्षीण तथा अनुत्पादक कर देता है.
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

21. निम्नलिखित खाद्य पदार्थों पर विचार कीजिये-
1. काली मिर्च 2. इलायची
3. अदरक 4. आलू
5. मक्का
उपर्युक्त खाद्य पदार्थों में से कौन से भारतीय मूल के हैं?
(a) केवल 1, 2 तथा 3
(b) केवल 1, 2, 3 तथा 4
(c) केवल 3, 4 तथा 5
(d) केवल 1, 4 तथा 5

22. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-
1. भरतपुर राष्ट्रीय पार्क अपने प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है.
2. केईबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क (मणिपुर) भूरीसींगदार हिरन के लिए प्रसिद्ध है, जो भारत में पाये जाने वाली दुर्लभतम स्तनपायी में से एक है.
3. दुर्लभ जानवरों की अधिकतम संख्या वाला उद्यान मानस नेशनल पार्क है.

उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं?

(a) केवल 1 तथा 2
(b) केवल 2 तथा 3
(c) केवल 1 तथा 3
(d) 1, 2 तथा 3

23. बॉटनिकल गार्डेन के सार्वधिक महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है, कि

(a) ये विश्राम हेतु एक सुन्दर क्षेत्र प्रदान करते हैं.
(b) वहाँ उष्णकटिबंधीय पौधे देखे जा सकते हैं.
(c) वे जर्म प्लाष्म को बाह्य स्थाने संरक्षण प्रदान करते हैं.
(d) वे वन्य जीवों को प्राकृतिक निवास स्थान प्रदान करते हैं.

24. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. ऐसे पौधे जो छाँव में बढ़ने की क्षमता रखते हैं, मीसोफा. इट्स कहलाते हैं.
2. पौधे जिनमें रूट कैप तथा स्टोमैटा की कमी होती है, हाइड्रोफाइट्स हैं.
3. जीरोफाइट्स में संकीर्ण स्टोमैटा, गहरी जड़ें तथा मोटे भासल होते हैं.

उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 तथा 3

25. निम्नलिखित जन्तुओं पर विचार कीजिये-

1. जेबरा
2. ब्लैक बक
3. कंगारू रैट
4. हॉर्न्ड टोड
5. ऊँट

उपरोक्त जन्तुओं में से कौन सा/से रेगिस्तानी परिस्थितियों के अनुकूल नहीं हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2, 3 और 4
(d) केवल 3, 4 और 5

26. निम्नलिखित गैसों पर विचार कीजिये तथा नीचे दिये गये कोड की सहायता से वायुमंडल में इनके प्रतिशत आयतन के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिये-

1. नाइट्रोजन
2. ऑक्सीजन
3. आर्गन
4. कार्बन डाई-ऑक्साइड
5. निआन

कूट:

(a) 1, 2, 3, 4, 5
(b) 2, 1, 4, 3, 5
(c) 1, 2, 4, 5, 3
(d) 1, 2, 4, 3, 5

27. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. कार्बन डाईऑक्साइड आने वाले सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है लेकिन जाने वाले पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है.
2. ओजोन एक फिल्टर की तरह कार्य करता है तथा सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है.
3. जल वाष्प एक कंबल की तरह कार्य करती है तथा पृथ्वी को न तो अधिक गर्म और न ही अधिक ठण्डा होने देती है.

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

28. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए-

1. उष्णकटिबंधीय : सभी महीनों का औसत तापमान 18व ब या से अधिक.
2. शुष्क जलवायु : वर्षण की तुलना में विभव वाष्पीकरण की अधिकता.
3. कोष्ण शीतोष्ण : सर्वाधिक ठण्डे महीने (मध्य अक्षांशीय जलवायु) का औसत तापमान 3व ब से अधिक किंतु 18व ब से कम.
4. शीतल हिम-वन जलवायु : वर्ष के सर्वाधिक ठण्डे महीने का औसत तापमान शून्य अंश तापमान से 3व ब नीचे.
5. उच्च भूमि : सभी महीनों का औसत तापमान 10व ब से कम.
6. शीत जलवायु : ऊँचाई के कारण शीत

उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा/से सही सुमेलित है/हैं?

(a) केवल 1, 2, 3 और 4
(b) केवल 2, 3 और 4
(c) केवल 1, 5 और 6
(d) 1, 2, 3, 4, 5 और 6

29. 'बायोम' **(biome)** को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है

(a) विशेष परिस्थितियों में पादप व जंतुओ के अंतर्संबंधों का कुल योग

(b) नियंत्रित वातावरण में पौधे उगाने की तकनीक
(c) जीवों तथा पर्यावरण के बीच अन्तर्संबंध
(d) पर्यावरण पर पौधों एवं जंतुओं का प्रभाव

30. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. संकटापन्न प्रजातियों में वे सभी प्रजातियाँ सम्मिलित हैं, जिनके लुप्त हो जाने का खतरा है.
2. आईयूसीएन (IUCN) संकटापन्न प्रजातियों पर नजर रखता है.
3. संकटापन्न प्रजातियों से संबंधित आँकड़ों को तीन वर्गों - लाल सूची, पीली सूची तथा हरी सूची में प्रकाशित किया जाता है.
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 व 2
(b) केवल 2 व 3
(c) केवल 1 व 3
(d) 1, 2 व 3

उत्तर

1.	(b)	18.	(a)
2.	(c)	19.	(d)
3.	(b)	20.	(a)
4.	(**d**)	21.	(a)
5.	(d)	22.	(d)
6.	(c)	23.	(c)
7.	(c)	24.	(b)
8.	(d)	25.	(b)
9.	(c)	26.	(a)
10.	(c)	27.	(d)
11.	(d)	28.	(a)
12.	(c)	29.	(a)
13.	(d)	30.	(a)
14.	(a)		
15.	(c)		
16.	(b)		
17.	(a)		

पेज 37 का शेष भाग-

Q-8. हाल में चर्चा में रहा नाम "जेम्स वेब" निम्न में किससे सम्बंधित है?
(a) दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष टेलीस्कोप.
(b) आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता करने वाले अमरीकी राजदूत.
(c) वैश्विक पर्यावरण और जलवायु कार्रवाई नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले ब्रिटिश नागरिक.
(d) यूरोपियन अन्तरिक्ष एजेंसी द्वारा छोड़ा गया एक उपग्रह.
उत्तर :(a)

Q-9. नागालैंड में अफस्पा को वापस लेने के जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया है. इस समिति के अध्यक्ष कौन हैं?
(a) विरल देसाई
(b) सुनील चंद्रा
(c) वी.के. जोशी
(d) अमित शाह
उत्तर **: (c)**

Q-10. हाल में आयोजित विजय हजारे ट्रोफी किस प्रदेश ने पहली बार जीती है?
(a) पंजाब
(b) असम
(c) बिहार
(d) हिमाचल प्रदेश
उत्तर **: (d)**

Paper IV केस स्टडी

आपको हाल ही में गुजरात मैरीटाइम बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया गया है. आप देखते है कि श्रमिक बहुत ही दयनीय जीवन जी रहे है. ये मुख्यत: उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से आए हुए प्रवासी मजदूर है. इनमें से अधिकांश श्रमिक जहाजों को तोड़ने का काम करते है. इन्हें न ही प्रशिक्षण दिया जाता है और न ही सुरक्षा-उपकरण. इन्हें पीने के लिए शुद्ध जल भी उपलब्ध नहीं होता. ये अक्सर हानिकारक रसायनों (जैसे एस्बेस्टस) के सम्पर्क में आते हैं और विभिन्न बीमारियों जैसे : त्वचा कैंसर, फेफडों के कैंसर, टीबी इत्यादि का शिकार हो जाते है. कई बार ये जहाजों से गिर जाते है और इनके हाथ-पैर टूट जाते हैं.

जहाज तोड़ने के कार्य में संलग्न विभिन्न इकाइयां, सरकार को भारी कर (जैसे: कस्टम शुल्क 15 प्रतिशत एवं उत्पाद शुल्क 16 प्रतिशत) चुकाती हैं, लेकिन मजदूरों को सरकार से आवश्यक सहायता नहीं मिल पाती.

जब आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों से इन समस्याओं की चर्चा करते हैं तो वो नजर अंदाज करने के लिए कहते हैं, पर आपकी अंतरात्मा को यह स्वीकार नहीं है.

प्रश्न

(a) आपके पास क्या-क्या विकल्प उपलब्ध है?

(b) प्रत्येक विकल्प का मूल्यांकन करके बताइए कि आप कौन सा विकल्प चुनेंगे. उसके कारण भी बताइए.

उत्तर (**a**) दिए गए मामला अध्ययन में, मैं गुजरात, मैरीटाइम बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी हूं, जहां मुझे श्रमिकों की विभिन्न समस्याएं हल करनी है. इस मामले में जिम्मेदारी, जवाबदेहिता, करूणा, सेवा भावना एवं न्याय जैसे मूल्य निहित है.

विकल्प :

1. श्रमिकों की समस्या को नजरअंदाज कर दें.

गुण : अतिरिक्त प्रयास करने में लगने वाले समय और ऊर्जा की बचत होगी.

दोष : श्रमिक परेशान होते रहेंगे.
मुझे अपराध बोध होगा.

2. श्रमिकों से, निजी व्यय करके, नौकरी से पहले प्रशिक्षण लेने, और सुरक्षा उपकरण खरीदने के लिए कहेंगे.

गुण : इससे श्रमिकों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करने एवं दुर्घटना कम करने में सहायता मिलेगी.

दोष : इससे श्रमिकों की आय पर अतिरिक्त भार पड़ेगा. हो सकता है वो इसे वहन न कर पाएं.

3. मैरीटाइम बोर्ड से किसी अन्य विभाग में हस्तांतरण करा लें.

गुण : मैं अपराध बोध से मुक्त हो सकता हूं.

दोष : यह कायरतापूर्ण कार्य होगा। इससे मजदूरों की समस्या हल नहीं होगी.

4. एक गैर सरकारी संगठन की सहायता से मैं मजदूरों के मध्य एक सर्वेक्षण करूंगा, उनके प्रतिनिधियों से बात करूंगा और उनकी समस्याओं की एक विस्तृत रिपोर्ट बनाऊंगा. इसके साथ मैं सम्बन्धित श्रम कानूनों की सूची, सर्वोच्च न्यायालय के सम्बन्धित निर्णय, और आवश्यक सुधारों के लिए अपनी संस्तुति संलग्न करूंगा. इसकी एक-एक प्रति मैं अपने विभाग के सचिव एवं कैबिनेट मंत्री को भेज दूंगा.

उत्तर (b) सरकार को आवश्यक सुधार करने में समय लगा सकता है इसलिए मैं श्रमिकों के कल्याण में कार्यरत किसी अनुभवी एवं लोकप्रिय गैर सरकारी संगठन से संपर्क करूंगा. मैं इसे मैरीटाइम बोर्ड को आवश्यक प्रशिक्षण एवं जानकारी देने की व्यवस्था करने के लिए कहुंगा. इसके पश्चात मैं विभिन्न मालवाहक/यात्री-जहाज कंपनियों और देश में कार्यरत अन्य कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से संपर्क करूंगा. हम उन्हें अपनी पहल के बारे में सूचित करेंगे, और निगमों के सामाजिक उत्तरदायित्व कोष से, इस गैर सरकारी संगठन को वित्त प्रदान करने के लिए सहमत करेंगे. इस धन से हम सभी श्रमिकों को आवश्यक प्रशिक्षण देगें और उन्हें पीने योग्य जल उपलब्ध कराने के लिए प्रयाप्त संख्या में वाटर-कूलर लगाएंगे.

तत्पश्चात मैं सभी इकाइयों के प्रबंधकों के साथ मीटिंग करके उन्हें, मजदूरों को सुरक्षा-उपकरण उपलब्ध कराने के लिए सहमत कर लुंगा, क्योंकि इससे मजदूरों का निष्पादन बढ़ेगा, जिसका लाभ इन इकाइयों को मिलेगा.

इसके उपरांत मैं पात्र मजदूरों को 'आयुष्मान भारत योजना' के बारे में शिक्षित करके उन्हें अपना पंजीकरण कराने के लिए प्रेरित करूंगा. इससे उन्हें बीमारियों के लिए आवश्यक चिकित्सा सहायता मिल जाएगी.

सरकार भी शीघ्र ही मेरी रिपोर्ट पर कार्य करेगी, जिससे समस्या हमेंशा के लिए हल हो जाएगी.

व्यक्ति विशेषः हेनरी विवियन डेरेजिओ

भारत विशेषकर बंगाल में धार्मिक राजनीतिक पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रदूतों में से एक तथा बंगाल में स्वतंत्र चिंतन (फ्री थिंकिंग) के मजबूत स्तम्भ, तार्किक रूप से राष्ट्रवादी भावनाओं को जनमानस में पिरोने वाले हेनरी विवियन डेरेजिओ का जन्म 18 अप्रैल, 1809 को कोलकाता में हुआ था. डेरेजिओ एक ऐसे इंसान थे जिन्हें आधुनिक भारत का पहला राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता है. हिंदू कॉलेज जो कि 20 जनवरी 1817 को स्थापित किया गया था वह हेनरी विवियन डेरेजिओ के चिंतन की बड़ी प्रयोगशाला बना था. मात्र 17 वर्ष की आयु में डेरेजिओ ने हिंदू कॉलेज में एक फैकल्टी के रूप में 1826 में पढ़ाना शुरू किया लेकिन 25 अप्रैल 1831 को उन पर बंगाली युवाओं को भ्रष्ट करने, उन्हें गुमराह करने, ब्रिटिश विरोधी बनाने के गंभीर आरोप लगाए गए लेकिन डेरेजियो मरते दम तक अपने तार्किक चिंतन के जरिए सामाजिक रूढ़ियों प्रथाओं परंपराओं की आलोचना करने से नहीं चूके.

1809 में जन्मे हेनरी विलियम डेरेजिओ एक एंग्लो-इण्डियन थे. उनके पिता पुर्तगाली मूल के थे और माता अंग्रेज महिला. उन्होंने बंगाल के युवाओं को मुक्त रूप से चिंतन करने और सभी सत्ता प्रतिष्ठानों से सवाल खड़े करने की सीख दी.

उन्होंने बंगाल के युवाओं में डिबेट और डिस्कशन को एक आंदोलन बना दिया. साहित्य, इतिहास, दर्शन के मुद्दों पर बंगाल के युवा काफी रेशनल हो गए. इस तरीके से कहे तो बंगाल में एक बौद्धिक क्रांति लाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही. डेरेजिओ ने महिलाओं के अधिकारों की पुरजोर वकालत की और महिला सशक्तिकरण को एक प्रबल मुद्दा बनाने के लिए बंगाली युवाओं के मध्य काम किया. 1828 में जब राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की और मूर्ति पूजा का घोर विरोध किया तो उनका स्वतंत्र चिंतन डेरेजिओ के स्वतंत्र चिंतन से मेल खाया और उसी समय उन्हें हिंदू कॉलेज में नियुक्त किया गया. उनका बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने बंगाल में पुनर्जागरण आंदोलन के दौरान युवाओं को स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व के मूल्यों के लिए संघर्ष करने की चिंगारी प्रदान की. डेरेजिओ फ्रांस की महान क्रांति से बहुत प्रभावित थे.

पश्चिम बंगाल में यंग बंगाल आंदोलन उन्हीं की देन है और उनके अनुयायी डिरोजियंस कहलाए. उनके द्वारा 1928 में स्थापित किये गए यंग बंगाल आन्दोलन का मुख्य उद्देश्य प्रेस की स्वतन्त्रता, जमींदारों द्वारा किये जा रहे अत्याचारों से रैय्यत की संरक्षा, सरकारी नौकरियों में ऊँचे वेतनमान के अन्तर्गत भारतीय लोगों को नौकरी दिलवाना था. समाज सुधार हेतु 'एकेडेमिक एसोसिएशन' एवं 'सोसायटी फॉर द एक्वीजीशन ऑफ जनरल नॉलेज' की स्थापना की. इसके अलावा डेरोजियो ने 'एंग्लो-इंडियन हिन्दू एसोसिएशन', 'बंगहित सभा' व 'डिबेटिंग क्लब' का भी गठन किया.

डेरेजिओ ने 'ईस्ट इंडिया' नामक दैनिक पत्र का भी संपादन किया. उनके प्रमुख शिष्य थे-कृष्णमोहन बनर्जी, रामगोपाल घोष, महेशचन्द्र घोष. डेरेजियो ने अपने अनुयायियों, शिष्यों के साथ मिलकर बंगाल में एक सांस्कृतिक सामाजिक क्रांति का पर्यावरण निर्मित कराने में अभूतपूर्व योगदान दिया था. 26 दिसंबर, 1831 को उनका देहांत हो गया था.

NOTES

राजव्यवस्था शब्दावली

भारतीय संविधान का विकास-I

भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है. भ. ारतीय संविधान के विकास की जड़ें ब्रिटिश शासन में निहीत हैं. ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 में व्यापार के लिए भारत आई थी. वर्ष 1765 में, कंपनी बंगाल, बिहार और उड़ीसा के "दीवानी" अधिकार प्राप्त करके एक क्षेत्रीय शक्ति बन गई. 1858 के 'प्रथम स्वतंत्रतासंग्राम' ने ब्रिटिश राजशाही को भारत के शासन के लिए प्रत्यक्ष जिम्मेदारी संभालने का मौका दिया.

भारतीय संविधान के विकास को 2 चरणों में बांटा गया है:-
1. कंपनी शासन (1773-1858)
2. ब्रिटिश राजशाही द्वारा शासन (1858-1947 .)

रेगुलेटिंग एक्ट 1773

- भारतीय उपमहाद्वीप में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा उठाया गया पहला कदम
- बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर-जनरल के रूप में नामित किया गया था.
- गवर्नर जनरल की सहायता के लिए कार्यकारी परिषद (चार सदस्य) का गठन किया गया था.
- बंगाल की प्रेसीडेंसी, बॉम्बे और मद्रास से प्रधान हो गई.
- कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में हुई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाधीश शामिल थे.

पिट्स इंडिया एक्ट 1784:

- कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया
- राजनीतिक मामलों को संभालने के लिए छह सदस्यों वाला एक "नियंत्रण बोर्ड" नियुक्त किया गया था.
- कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को वाणिज्यिक मामलों का प्रबंधन करने की अनुमति दी गई थी.

1813 का चार्टर अधिनियम:

- ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया.
- ईसाई मिशनरियों को भारत में काम करने की अनुमति दी गई

1833 का चार्टर अधिनियम

- बंगाल के गवर्नर जनरल बने भारत के गवर्नर जनरल
- भारत के लिए केंद्रीय विधायिका की शुरुआत. अधिनियम ने बॉम्बे और मद्रास प्रांतों की विधायी शक्तियों को छीन लिया
- ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से एक प्रशासनिक निकाय बन गई. वाणिज्यिक निकाय के रूप में कंपनियों की गतिविधियां समाप्त की गई.

1853 का चार्टर अधिनियम:

- गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग कर दिया गया
- भारतीय (केंद्रीय) विधान परिषद में 6 सदस्य नियुक्त किये गए. जिनमें 4 प्रांतीय सरकारों द्वारा नियुक्त किए गए थे.

NOTES

ध्येय IAS
most trusted since 2003

DSC
DHYEYA SCHOOL OF COMPETITION

COMPREHENSIVE
UPPSC PRELIMS 2022
TEST SERIES PROGRAMME

STARTS FROM
16th JANUARY, 2022

Total Fee Structure

OFFLINE	ONLINE
Rs. 5,500/- (Including GST)	Rs. 3,500/- (Including GST)

Fee Structure for Winter Phase / Knock Out

OFFLINE	ONLINE
Rs. 3,500/- (Including GST)	Rs. 2,500/- (Including GST)

SCHOLARSHIP AVAILABLE ON COMPLETE PACKAGE

Rank 1-3 Students 100% Discount.
Rank 4-6 Students 50% Discount.
Rank 7-10 Students 25% Discount.

ONLINE / OFFLINE

WINTER PHASE
Total 9 Tests
(Sectional+Current Affairs+CSAT)

- Focused development to ensure achievements.
- NCERT revision test.
- Theme based test.
- Segment wise test of GS.
- Test of Current Affairs and miscellaneous.

KNOCK OUT
Total 11 Tests
(9 GS Full Test+1 CSAT+ 1 Full Current Affairs)

- Power packed Programme created for cracking UPPCS Exam.
- Provide real feeling of UPPSC Preliminary Exam.
- Full GS and CSAT test.

Face to Face Centres

DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | **LAXMI NAGAR :** 9205212500, 9205962002 | **RAJENDRA NAGAR:** 9205274743 | **UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ:** 0532-2260189, 8853467068 | **LUCKNOW** (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | **LUCKNOW** (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | **GREATER NOIDA:** 9205336037, 38 | **KANPUR:** 7887003962, 7897003962 | **ODISHA BHUBANESWAR:** 9818244644/7656949029

AN INTRODUCTION

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

DhyeyaIAS, one and half decade old institution, was founded by Mr.Vinay Singh and Mr. Q. H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential aspirants realize their dreams which is evident from the success stories of the previous years.

As the nation progresses, the young generations become more conscious and aware about their career options. There is plethora of jobs and one among them is civil services, the most prestigious service in the country, which needs no introduction. It attracts many young minds hailing from almost all spectra of academic disciplines. The popular belief that the examination for this service is only meant for the brilliant lots has become a taboo as it also attracts the hardworking, sincere and disciplined minds. The saying- "In the end passion and hard work can substitute natural talent" holds true. It gives immense power and opportunity for young folks to bring about the positive changes in the society which would bring harmony and development. It inculcates values, moral, ethos and feeling of national integrity.

Quite a large number of students desirous of building a career for themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vastly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move may invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. Classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals' capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything, you can only help him find it within himself.

We feel that despite brilliance and diligence, most of the students are lacking proper guidance and aptitude needed to clear Civil Services Examination. This is why, we at Dhyeya IAS amalgamated the traditional as well as modern approach of teaching by incorporating best educators of the industry ably supported by Academic Associates, Class Notes and printed Study Material, routine as well as surprise Tests. Due to its arduous efforts, Dhyeya IAS is able to carve a niche among all the civil services coaching institutes in India. Access to an institution is as important as the quality of Institution. Our faith in this philosophy made us grow. With 12 Face to Face Centers located in different parts in India, Distance Learning Program , Live Streaming Centers and Residential Academy, we have made truly pan India presence. Ever since the foundation the institute has produced a heavy pool of bureaucrats both at central and state level. Dhyeya IAS not only aims at imparting the content of civil services in best way but also nurturing the aspirants as leaders of tomorrow who have a responsibility of fulfilling the dreams of around 1.4 billion Indians. Dhyeya IAS has guided over 50,000 aspirants with more than 4000 selections in civil services. Our journey is a small contribution for the development of the society and nation by nurturing the potential civil services aspirants.

Considering the toughness of Civil Services Exam, where success rate is a meager 0.1 percent, Dhyeya IAS has continuously produced phenomenal results over the years. Year after Year Dhyeya IAS is being recognized for imparting guidance to civil services aspirants using benchmarked quality practices. On the basis of scalability, innovation, achievements, impact potential our efforts and contribution have been acknowledged and rewarded with Education Excellence Awards by ET NOW, Brands Academy, Times of India, etc. This has enhanced motivation, pride and self-esteem of entire Dhyeya family.

dhyeyaias.com

Face to Face Centres

North Delhi : A 12, 13, Ansal Building, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi - 110009, Ph: 9205274741/42/44 | **Laxmi Nagar :** 1/53, 2nd floor, Lalita Park, Near Gurudwara, Opposite Pillar no.23, Laxmi Nagar, Delhi -110092, Ph: 9205212500/9205962002 | **Greater Noida :** 4th Floor Veera Tower, Alpha 1 Commercial Belt., Greater Noida, UP - 201310, Ph: 9205336037/38 | **Prayagraj :** II & III Floor, Shri Ram Tower, 17C, Sardar Patel Marg, Civil Lines, Prayagraj, UP - 211001, Ph: 0532-2260189/8853467068 | **Lucknow (Aliganj) :** A-12, Sector-J, Aliganj, Lucknow, UP- 226024, Ph: 0522-4025825/9506256789 | **Lucknow (Gomti Nagar) :** CP-1, Jeewan Plaza, Viram Khand-5, Near Husariya Chauraha, Gomti Nagar, Lucknow , UP - 226010, Ph: 7234000501/ 7234000502 | **Kanpur :** 113/154 Swaroop Nagar, Near HDFC Bank, Kanpur, UP - 208002, Ph: 7887003962/7897003962 | **Gorakhpur :** Narain Tower, 2nd floor, Gandhi Gali, Golghar, Gorakhpur, Uttar Pradesh 273001, Ph: 7080847474 | **Bhubaneswar :** OEU Tower, Third Floor, KIIT Road, Patia, Bhubaneswar, Odisha - 751024, Ph: 9818244644/7656949029

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.com/hindi

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 9205274741, 9205274742, 9205274744

Subscribe Dhyeya IAS Email Newsletter
(ध्येय IAS ई-मेल न्यूजलेटर सब्स्क्राइब करें)

जो विद्यार्थी ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp Group) से जुड़े हुये हैं और उनको दैनिक अध्ययन सामग्री प्राप्त होने में समस्या हो रही है | तो आप हमारेईमेल लिंक Subscribe कर ले इससे आपको प्रतिदिन अध्ययन सामग्री का लिंक मेल में प्राप्त होता रहेगा | **ईमेल से Subscribe करने के बाद मेल में प्राप्त लिंक को क्लिक करके पुष्टि (Verify) जरूर करें अन्यथा आपको प्रतिदिन मेल में अध्ययन सामग्री प्राप्त नहीं होगी |**

नोट (Note): अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अध्ययन सामग्री प्राप्त करनी है, तो आपको दोनों में अपनी ईमेल से Subscribe करना पड़ेगा | आप दोनों माध्यम के लिए एक ही ईमेल से जुड़ सकते हैं |

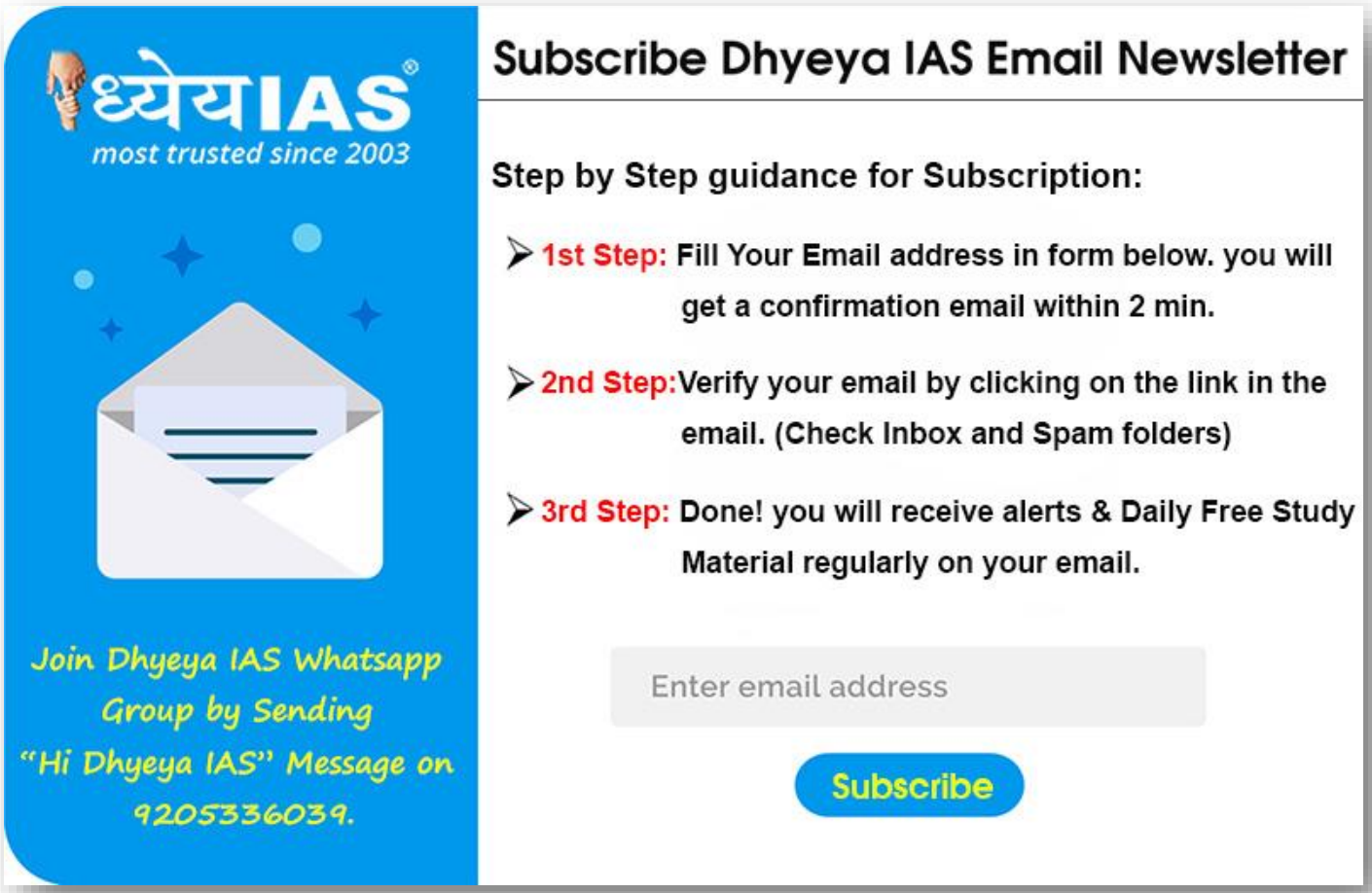

ध्येय IAS
most trusted since 2003
Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 9205274741, 9205274742, 9205274744